uxj ifj"kn lksyu] ftyk lksyu] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 1-4-2007 ls 31-3-2009

Hkkx&,d

1 नगर परिषद सोलन में 1.4.2007 से 31.3.2009 तक निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

iz/kku %& श्री देवेन्द्र ठाकुर 1.4.2007 से 31.3.2009 तक

dk;Zdkjh vf/kdkjh %& (1) श्री बी0आर0 नेगी 1.4.2007 से 2.2.2008

(2) श्री अजमेर सिंह ठाकुर 3.3.2008 से 31.3.09 तक

2 नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के लेखों में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सार :–

Øe la[;k	iSjk la[;k	xEHkhj vkifÙk;ksa dk laf{kIr lkj
1	पैरा 4(क)(1)	रैन बसेरा भवन में कर्मचारियों को आवास आबंटन।
2	पैरा 4(ख)	गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को ₹4,39,31,375.00 की वित्तीय हानि।
3	पैरा 4(झ)	नगर परिषद के विश्राम गृह को अत्यन्त सस्ती दरों पर ठेके पर देना।
4	पैरा 4(ण)	मोहन मेकिंग लिमिटेड ब्रूरी से ₹23,27,230.00 की सफाई शुल्क की बकाया राषि।
5	पैरा 5(क)	स्थापना पर ₹60,18,497.00 का अधिक व्यय।
6	पैरा 6(ख)	स्ट्रीट लाईट बिलों का ₹81,96,041.00 का भुगतान न करना।

7	पैरा 6(ग)	हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग को पानी की आपूर्ति की ₹8,40,39,584.00 की देनदारी।
8	पैरा 6(घ)	राशि ₹11,43,189.00 की खरीददारी दर संविदाओं के माध्यम से न करके खुले बाजार से करना।
9	पैरा 6(ञ)	राशि ₹1,85,510.00 का संदिग्ध भुगतान।
10	पैरा 6(त)	राशि ₹29,197.00 की कीमत का सीमेन्ट गणना में न लेना।
11	पैरा 6(थ)	ठेकेदार को एक बार जारी सीमेन्ट की स्टॉक प्रविष्टियां करने के कारण 50 बोरी सीमेन्ट का दुरूपयोग।
12	पैरा 6(द)	स्टॉक रजिस्टर में घटाव करते समय सीमेन्ट की 45 बोरियां कम दर्षाना।
13	पैरा 6(ध)	ठेकेदारों को 425 बोरियां सीमेन्ट तथा 260 किलोग्राम सरिया बिना इन्डैन्ट के जारी करना।
14	पैरा 7(क)	ठेकेदारों द्वारा कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर भी अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत उनसे ₹2,07,054.00 की क्षतिपूर्ती राशि वसूल न करना।
15	पैरा 7(ख)	ठेकेदारों को कार्यालय भण्डार में सीमेन्ट जारी किए बिना सीमेन्ट से सम्बन्धित कार्य करवाना।
16	पैरा 7(ग)	ठेकेदारों को जारी निर्माण सामग्री की पूरी खपत न होने तथा शेष निर्माण सामग्री वापिस भण्डार में न लौटाए जाने की अवस्था में ठेकेदारों से ₹93,646.00 की शेष वसूली।
17	पैरा 7(घ)	ठेकेदारों को ₹61,240.00 का संदेहास्पद भुगतान।
18	पैरा 7(ङ)(1)	निर्माण कार्यों के ₹1,70,04,410.00 से अधिक के टैण्डर नोटिस को प्रकाषित न करना।

19	पैरा 7(ङ)(2)	राशि ₹57,83,174.00 के टैण्डर नोटिसों का समाचार पत्रों में प्रकाषन संशयपूर्ण।
20	पैरा 7(च)	मूल प्राक्कलन से अधिक निर्माण कार्य होने पर भी विचलता (Deviation) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ₹1,62,008.00 का अनियमित भुगतान।
21	पैरा 7(ण)	राशि ₹18,000.00 की फर्जी मस्टर रोल का भुगतान।
22	पैरा 8(क)	वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित खपत से अधिक होने के कारण ₹2,74,412.00 की अपेक्षित वसूली।
23	पैरा 8(ख)	नगर परिषद पदाधिकारियों द्वारा वाहन की हकदारी न होने पर भी वाहन प्रयोग करने वश ₹16,951.00 का अपव्यय।
24	पैरा 8(ग)	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना वाहन का अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने वश ₹22,149.00 का अपव्यय।
25	पैरा 8(ङ)	लॉग बुक में यात्राओं की 60 किलोमीटर की फर्जी प्रविष्टियां।
26	पैरा 9	नगर परिषद द्वारा विभिन्न संस्थाओं व अपने कर्मचारियों को दिए गए ₹7,81,408.00 के अग्रिमों का समायोजन न होना।
27	पैरा 10(क)	पैन्षन एवं ग्रेच्युटी निधि में ₹75,56,527.00 का अंषदान विभागीय प्रभार के रूप में न करना।
28	पैरा 10(ख)	हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंषदायी पैन्षन नियम 2006 की अवहेलना में पैन्षन एवं ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता अंषदान का ₹4,28,676.00 का अनुचित अभिदान तथा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा पैन्षन नियम, 2006 लागू न करना।

Hkkx&nks

ikjfEHkd %&

नगर परिषद सोलन को अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के लेखाओं का लेखा परीक्षण व निरीक्षण श्री डी0आर0 चौहान, अनुभाग अधिकारी(लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 22.10.2009 से 3.4.2010 तक (अवकाश के अतिरिक्त) नगर परिषद सोलन कार्यालय में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए हैं। लेखा परीक्षण हेतु विस्तृत जांच के लिए माह नवम्बर, 2007 तथा मार्च, 2009 का चयन किया गया था। आगामी अनुच्छेदों में दर्षाए गए विवरण के अतिरिक्त अन्य आवष्यक समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा किसी सूचना व अभिलेख की अनुपस्थिति अथवा अपूर्ण होने की स्थिती में अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रभाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

1 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹63,000.00 बनता है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के नाम से देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43, दिनांक 2.4.2010 द्वारा अनुरोध किया गया था अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही यथाषीघ्र करके इस विभाग को अवगत किया जाए।

2 foÙkh; fLFkfr %&

¼d½ ikfydk fuf/k %&अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद कार्यालय की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

	2007&2008	2008&2009
पूर्व शेष	96,61,250.64	3,26,04,775.41
प्राप्तियां	8,37,19,339.77	8,59,12,869.02

योग	9,33,80,590.41	11,85,17,644.43
व्यय	6,07,75,815.00	8,26,25,756.00
अन्तषेष	3,26,04,775.41	3,58,91,888.43

jkdM cgh d vuqlkj fnukd 31-3-2009 dk vUr'k"k ₹3]58]91]786-43

vUrj ₹102-00

vUrj dk fooj.k %&

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99 में दिनांक 7.10.1996 को ₹2/–तथा दिनांक 10.4.1997 को ₹100.00 का अन्तर गलत गणना के कारण पाया गया था जिसका उल्लेख उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 3(ख) तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2002 के पैरा 4(क) व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007 के पैरा 2(क) में भी किया गया था। चुंकि वांछित समायोजन/षुद्धिकरण अभी तक नहीं किया गया है अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

cSd lek/kku %&

नगर परिषद कार्यालय द्वारा रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेषों का मिलान वर्ष 1986–87 से ही नहीं किया जा रहा, जो अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त कार्य अब अविलम्ब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए तथा भविष्य में उक्त कार्य समय रहते ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए। रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेष में दिनांक 31.3. 2009 को निम्न विवरणानुसार ₹8,79,518.73 का अन्तर था जिसका समय रहते मिलान कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जानी सुनिष्चित की जाए :–

Ø0 l0	cSd dk fooj.k	[kkrk l[;k	jkf'k
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चालू खाता	55080–123350	35,85,409.75
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता	55080–128257	6,599.91
3	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	117	10,001.80

4	पंजाब नैषनल बैंक	19477	19,831.06
5	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	3600	12,526.00
6	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया	5450	74,349.00
7	बैंक ऑफ बड़ौदा	2031	62,09,622.64
8	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एफ0डी0आर)	65056251082	80,00,000.00
9	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एफ0डी0आर)	65056251082	80,00,000.00
10	पंजाब नैषनल बैंक (एफ0डी0आर)	पी0एस0—1875	50,00,000.00
11	यूको बैंक (एफ0डी0आर)	06490310004876	50,00,000.00
12	कॉरपोरेषन बैंक (एफ0डी0आर)	0900300001372	8,52,965.00
		d|y ;kx	₹3]67]71]305-16
jkdM cgh d vu|lkj 31-3-2009 dk vUr'k"k			₹3]58]91]786-43
vUrj			₹8]79]518-73

¼[k½ vkb0Mh0,l0,e0Vh y[kk ½& अंकेक्षण अवधि में उक्त लेखे की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी

	o"k 2007&2008	o"k 2008&2009
पूर्ण शेष	47,38,662.90	48,28,326.90
प्राप्तियां	2,28,531.00	3,33,051.00
योग	49,67,193.00	51,61,377.90
व्यय	1,38,867.00	—षून्य—
अन्तषेष	48,28,326.90	51,61,377.90

¼x½ ,l0t0,l0vkj0okbZ y[kk ½& अंकेक्षण अवधि में उक्त लेखे की वित्तीय स्थिति निमनानुसार थी :—

	o"k 2007&2008	o"k 2008&2009
पूर्ण शेष	4,40,338.00	3,57,279.00
आय	1,22,516.00	1,75,969.00
योग	5,62,854.00	5,33,248.00
व्यय	2,05,575.00	45,218.00
अन्तषेष	3,57,279.00	4,88,030.00

ukV %& अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 तक उक्त खाते में अन्तषेष ₹4,32,838.00 दर्षाया गया है जो कि वास्तव में ₹4,40,338.00 होना चाहिए था तथा ऐसा सम्भवतः इस लिए हुआ प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने उक्त खाते से प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को एक लाभकर्त्ता को अनुदान राशि जारी करने हेतु चेक संख्या 874735, दिनांक 29.3.2000, राशि ₹7,500.00 जारी किया था। किन्तु बैंक द्वारा उक्त लाभकर्त्ता के पक्ष में ऋण स्वीकृत न करने की अवस्था में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा इस राशि का समाधान बैंक के साथ मिलान करने पर वर्ष 2007 में हुआ तथा ऐसा प्रतीत होता है कि या तो नगर परिषद कार्यालय द्वारा गत अंकेक्षण की समाप्ति अर्थात 25.8.2007 तक बैंक के साथ इस खाते का मिलान ही नहीं किया था और या फिर विगत अंकेक्षण को उक्त खाते की पास बुक उपलब्ध नहीं करवाई थी क्योंकि पास बुक में तो उक्त खाते में अन्तषेष ₹4,40,338.00 है जबकि लैज़र में पहले 31.3.2007 को अन्तषेष ₹4,32,838.00 दर्षाया गया है तथा तदोपरान्त एक और प्रविष्टि (₹7,500.00) की करके पुनः अन्तषेष ₹4,40,338.00 दर्षाया गया है। अतः भविष्य में इस खाते का समय–समय पर बैंक से मिलान व इस प्रकार की पुनरावृति न दोहराया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ <u>fuos'k</u> %& नगर परिषद द्वारा 1.4.2007 से 31.3.2009 की अवधि में कृत निवेषों में से दिनांक 31.3.2009 को ₹2,68,52,965.00 के निम्नावर्णित निवेश चल रहे थे। अतः इन निवेषों के परिपक्व होने पर ब्याज की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए :–

Ø0 l0	fuos'k o cSad dk fooj.k	fuos'k dh frfFk	fuos'k dh jkf'k	C;kt nj	fuos'k dh ifjiDork

					frfFk
1	एफ.डी.आर खाता सं0 6503480005 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	20.3.09	₹80,00,000 की दो एफ.डी.आर कुल योग ₹1,60,00,000.00	6%	19.5.2009
2	एफ.डी.आर खाता सं0 पी. एस–1875 पंजाब नैषनल बैंक	20.3.09	₹50,00,000.00	5%	8.5.2009
3	एफ.डी.आर खाता सं0 06490310004876 यूको बैंक	20.3.09	₹50,00,000.00	5½%	18.5.2009
4	एफ.डी.आर खाता सं0 0900300001372 कॉरपोरेषन बैंक	30.3.09	₹8,52,965.00	7.25%	28.9.2009
		dqy ;kx	₹2]68]52]965-00		

¼3½ <u>cSdks }kjk fuos'kks ij ₹3]46]814-55 de C;kt iznku djuk</u> %& नगर परिषद के उन निवेषों जो कि 1.4.2007 से 31.3.2009 के मध्य में परिपक्व हुए हैं, की ब्याज गणना की पुष्टि करने पर पाया गया कि यथा विस्तृत गणना परिशिष्ट ''ख'' बैंकों द्वारा नगर परिषद को कृत निवेषों पर ₹3,46,814.55 कम ब्याज दिया गया है, जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :–

	o"kZ 2007&2008 ds nkSjku iznr de C;kt dk C;kSjk	o"kZ 2008&2009 ds nkSjku iznr de C;kt dk C;kSjk
(1) नगर परिषद खाता	18,968.00	1,22,315.00
(2) आर.जी.यू.आर.एफ खाता	–	67,182.55
(3) भविष्य निधि खाता	51,014.00	87,335.00

₹69]982-00	₹2]76]832-55

₹69,982 + ₹2,76,832.55 = ₹3,46,814.55

अतः प्रदत कम ब्याज का प्रकरण सम्बन्धित बैंकों से उठाते हुए उपरोक्त ₹3,46,814.55 की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए तथा भविष्य में ब्याज की गणना निवेश के समय ही सुनिष्चित कर प्रकरण यथानुसार ही सम्बन्धित बैंक से उठाया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की त्रुटियों की सम्भावना न हो।

3 ljdkjh vuqnku %&

नगर परिषद सोलन को अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के दौरान राज्य वित्त आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य एजैन्सियों से प्राप्त अनुदान का विवरण यथा परिशिष्ट ''ग'' है। नगर परिषद कार्यालय द्वारा इन अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की पड़ताल करने पर इनकी स्थिति निम्नानुसार है :–

¼1½ vuqi;Dr jkf'k;k %& उपरोक्त परिशिष्ट में दर्षाई गई राशियों में से Solid Waste Management Project के अन्तर्गत पत्र संख्या SK/Acctts/CRF/2007, दिनांक 18.6.2007 द्वारा वार्ड नम्बर 6 में विद्यमान रास्ते से सनलाईट बिल्डिंग तक के रास्ते के सुधार हेतु प्राप्त ₹50,000.00 की राशि तथा पत्र संख्या PLG/1-2/2007-606-624, दिनांक 13.6.2009 द्वार दरगाह के निकट चिल्ड्रन पार्क मे शैड के निर्माण हेतु प्राप्त ₹60,000.00 की राशियां अंकेक्षण समाप्ति तक अव्ययित/अनुपयुक्त पड़ी थी जिनका कारण क्रमशः Site dispute & Court Casr बताया गया। इन अवस्थाओं में या तो इन अनुपयुक्त राशियों को वापिस लौटाया जाए अथवा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी से इनमें समय बढ़ौतरी प्राप्त करने के पष्चात उन्हीं उद्देष्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिष्चित किया जाए जिस के लिए इन्हें स्वीकृत किया गया है।

¼2½ vkf'kd :i ls O;; dh xbZ jkf'k;k %& उपरोक्त परिशिष्ट में दर्षाई गई निम्नलिखित अनुदान राशियों का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक पूरा नहीं हुआ था तथा अंकेक्षण को इसका कारण यह बताया गया था कि इन अनुदान राशियों से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है :–

Ø0 l0	i= la[;k ftlds vUrxZr jkf'k Lohd`r dh xbZ	Lohd`r jkf'k o mís'; ftlds fy, jkf'k Lohd`r gqbZ	vdsk{k.k lekfIr rd O;; dh xbZ jkf'k

1	RGURF के अन्तर्गत पत्र संख्या UD-H(F)(10)-2/2005/RGURF-4132 dated 23-4-2008	₹1,36,00,000-00 for C/o Car Parking at Solan	₹58,00,267.00
2	Solid Waste Management Project के अन्तर्गत पत्र संख्या UD-H(F)SWM-5/2005-10007 dated 23-11-2007	₹1,60,00,000-00 for Solid Waste Management Project Under 12th Finance Commission	₹6,90,896.00
3	SD/AB/Cash/Deposit/2008-15134-38 dated 10-1-2009	₹2,50,00-00 for S/R to Dhobighat Road	₹1,47,276.00
4	SD/AB/Cash/Deposit/2008-15134-38 dated 10-1-2009	₹2,50,000-00 for S/R To Bawra Road	₹84,470.00
5	Grant from H.P.State Pollution Control Board vide letter No. PCB/CD/Water Cess Assignment 08-25393 dated 6-3-2009	₹8,52,965-00 for C/o retairing Wall at Salogra dumping site	₹7,25,742.00
6	SK/Acctts/CRF/2007 dated 7-1-08	₹50,000-00 for R/R of rain damages near the house of Smt Shailja Verma, Bawra Road Chambaghat	₹31,680.00

अतः इन अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर खर्च करना सुरिष्चित किया जाए अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को वापिस लौटाया जाना या इनका व्यय सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देष्य हेतु किया जाना सुनिष्चित किया जाए जिस हेतु वास्तव में इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर जारी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

¼3½ ,lh vuqi;qDr jkf'k;ka ftu ij O;; rks ugha fd;k x;k fdUrq dk;Z izxfr ij gS

¼& परिशिष्ट में दर्षाई गई निम्नलिखित राशियों ऐसी बताई गई हैं जिनपर कार्य तो प्रगति पर है किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

Ø0 l0	i= la[;k ftlds vUrxZr jkf'k Lohd`r dh xbZ	Lohd`r jkf'k o mís'; ftlds fy, jkf'k Lohd`r gqbZ	vdk{k.k lekfIr rd 0;; dh xbZ jkf'k
1	S/K/Acctts/CRF/2007-4823 dated 30-8-07	₹1,00,000-00 for R/R of Path from Salogra Road to the house of Tulsi Ram Sharma in ward no-4	–षून्य–
2	S/K/Acctts/CRF/2007 dated 22-10-08	₹25,000-00 for R/R of path upper side of railway opposite to Sanatan Dharam Mandir in Vikas Mohalla	–षून्य–
3	SD/AB/Cash/Deposit/2008-15134-38 dated 10-1-2009	₹3,00,00-00 for S/R to Chambaghat fast track court	–षून्य–
4	PLG/1-6/2008 dated 16-2-2009	₹3,00,000-00 for Car Parking at Kather, Bye Pass Road	–षून्य–
5	UD(EIUS)/(NSDP)-H(F)-1/02-VII-3259 dated 7-4-2008	₹10,00,000-00 for C/o Modern Dhobhighat at Solan town in ward no-7	–षून्य–

अतः उपरोक्त राशियों को निर्धारित समय के अन्दर उन्हीं उद्देष्यों हेतु जिनके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था, खर्च किया जाए। ऐसा न होने की अवस्था में सम्बन्धित प्राधिकारी को वापिस लौटाया जाना अथवा व्यय करने की अवस्था में व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी प्राप्त करके किया जाए। इसके अतिरिक्त अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी को पेषित किए जाने सुनिष्चित किए जाएं व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼4½ परिशिष्ट ''ग'' में सम्बन्धित प्राधिकारियों को वापिस लौटाई गई अथवा कार्य हेतु पेषित दर्षाई गई अनुदान राशियों की पुष्टि नगर परिषद कार्यालय के अभिलेख से कर ली गई है।

¼5½ परिशिष्ट में दर्षाई गई प्राप्त सभी अनुदान राशियों की पुष्टि रोकड़ बही तथा अनुदान रजिस्टर में कर ली गई है।

¼6½ परिशिष्ट में दर्षाई गई व्यय की गई अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि निम्न मामलों को छोड़कर नगर परिषद के कार्यालय अभिलेख से कर ली गई है।

Ø0 l0	i= la[;k ftlds vUrxZr jkf'k Lohd`r dh xbZ	vuqnku dh jkf'k o mís'; ftlds fy, jkf'k Lohd`r gqbZ	O;; dh xbZ jkf'k	vfHk;qfDr
1	PLG/IV-1/2007-2249 -51 dated 29-2-2008	₹3,75,000-00 for Completion of stage at Thodo ground	₹3,75,000.00	अंकेक्षण को बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र दस्ती तौर पर जिलाधीश कार्यालय में निर्माण कार्यो की बैठक के समय दे दिया गया था किन्तु अंकेक्षण को उक्त प्रमाण पत्र की कार्यालय प्राप्ति नहीं दर्षाई गई। जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।
2	PLG/1-2/2008-4915 dated 26-9-2008	₹8,00,000-00 for Providing tree guard for plants in 13 wards of Solan Town	₹8,00,000.00	अंकेक्षण को उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसे अब उपलब्ध करवाना सुरिष्चित करें ।
3	DTO/SLN-3-4/06-134 dated 11-5-2007	₹1,40,000-00 for illumination of	₹1,40,000.00	अंकेक्षण को उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं

		Thodo ground		करवाई गई। जिसे अब उपलब्ध करवाना सुरिष्चित करें ।
4	UD-HCF(10)-4/2006-Maintenance of roads dated 5-1-07	₹21,58,453-00 for different roads of Solan Town	₹21,58,453.00	अंकेक्षण को उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसे अब उपलब्ध करवाना सुरिष्चित करें ।
5	UD-H(F)(10)-4/2006 -Maintenance of roads dated 8-9-2008	₹7,49,500-00 for different roads of Solan Town	₹13,24,595.00 on different roads of Solan Town	अंकेक्षण को उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसे अब उपलब्ध करवाना सुरिष्चित करें ।
6	UD-H(F)(10)-4/ 2006 -Maintenance of roads -1356 dated 12-2-09	₹5,75,095-00 for different roads of Solan Town		

उपरोक्त के अतिरिक्त परिशिष्टि में दर्षाई गई EIUS/NSDP से प्राप्त वर्ष 2007–2008 तथा 2008–2009 व Calamity Relief Fund के अन्तर्गत वर्ष 2007–2008 तथा वर्ष 2008–2009 से सम्बन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किए गए हैं।

अतः उपरोक्त सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय रहते सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रेषित किए जाने सुनिष्चित किए जाएं व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

4 vk; %&

¼d½ jSu clsjk ls izkIr vk; %&

नगर परिषद द्वारा संचयिका रैन बसेरा भवन/कम्पलैक्स के सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

¼1½ jSu clsjk Hkou esa deZpkfj;ksa dks vukf/kd`r vkokl vkcaVu %&

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05, दिनांक 16.1.2010 के प्रत्युतर में कार्याकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार रैन बसेरा भवन/कम्पलैक्स का निर्माण मई, 2008 को पूर्ण हुआ तथा इस भवन में सर्वश्री राजेन्द्र सैन, कार्य पर्यवेक्षक तथा सी0बी0 नेगी, पटवारी को क्रमशः दिनांक 8.5.2007 तथा दिनांक 4.7.2007 से रिहायषी आवास

आबंटित किए गए हैं। निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-NSDP/EIUS-H(F)(1)-1/02-IX-7593-7641, दिनांक 30.6.2008 जो कि आयुक्त, नगर निगम के अतिरिक्त सभी नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों व नगर पंचायतों के सचिवों को सम्बोधित है तथा जिसके अनुसार रैन बसेरा भवनों/प्रांगणों के संचालन के दिषा निर्देश जारी किए गए हैं, में कर्मचारियों को रिहायषी आवास आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उपरोक्त आवास आबंटन तत्काल रद्द किए जाएं अन्यथा अनियमित रूप से कर्मचारियों को रैन बसेरा भवन में रिहायषी आवास आबंटन बारे नियमानुसार औचित्य स्पष्ट करें व अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼2½ निदेषक शहरी के उपरोक्त पत्र के अनुसार रैन बसेरा भवनों से सम्बन्धित आय व व्यय के पृथक रजिस्टरों व खातों का रख–रखाव अपेक्षित है जिनमें अंकेक्षण योग्य (Auditable) आय व व्यय का ब्योरा हो तथा इसके अतिरिक्त रैन बसेरा भवनों से सम्बन्धित आय व व्यय का लेखा प्रतिमाह उनके कार्यालय को प्रत्येक महीने की पांच तारीख से पहले प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद सोलन के रैन बसेरा भवन से सम्बनिधत न तो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आय व व्यय के रजिस्टरों व खातों का संचालन किया गया है और न ही उपरोक्त लेखे कभी निदेषक शहरी विकास के कार्यालय को प्रेषित किए जाने सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण को अवगत करवाया गया है।

अतः उपरोक्त दिषा निर्देषों की अवहेलना के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त इन विषयों में भविष्य में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिष्चित करें व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼3½ कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण अधियाचना के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार रैन बसेरा पर हुए कुल खर्च व वर्ष 2007–2008 में रैन बसेरा से हुई कुल आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

ju cljk ij [kp %&

सिविल कार्य	₹16,71,968.00
जालियां, रंग–रोगन तथा सफेदी इत्यादि	₹1,39,482.00
बिजली कार्य पर व्यय	₹49,069.00

dqy [kpZ	₹18]60]519-00
o"kZ 2007&2008 esa jSu clsjk ls dqy izkIr vk;	₹6]000-00

निदेषक शहरी के उपरोक्त पत्र के अनुसार रैन बसेरा भवनों के Operational Charges, Maintenance Charges and Upkeep का सारा व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना अपेक्षित है तथा इन भवनों से प्राप्त आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की होगी व इन भवनों को आत्मनिर्भर बनाया जाना अपेक्षित है। अतः जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि नगर परिषद रैन बसेरा को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने में पूर्णतया विफल रहा है क्योंकि प्राप्त आय के आंकड़े इतने कम हैं कि इनसे भवन के Operational Charges जैसे कि कर्मचारियों पर व्यय व पानी तथा बिजली इत्यादि पर व्यय ही पूरा हो पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार रैन बसेरे के रख–रखाव व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय हेतु उक्त नाममात्र अर्जित धन से पुरा करने की बिलकुल गुंजाईश नहीं रहती। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त भवन के नियन्त्रण अधिकारी होने के नाते रैन बसेरा से प्राप्त आय और उस पर होने वाले व्यय पर प्रभावी वित्तीय एवं प्रषासनिक नियन्त्रण रखने की नितान्त आवष्यकता है जिस पर तुरन्त अमल किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण मे अवगत किया जाए।

¼[k½ xgdj vf/kjksfir u djus ds dkj.k uxj ifj"kn dks ₹4]39]31]375-00 dh gkfu

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.डी(1)/9/94, दिनांक 28.8.1997 की अनुसूची क्रमांक 2 द्वारा नगर परिषद सोलन क्षेत्र में दिनांक 1.9.1997 से 10% वार्षिक भारक मूल्य पर गृहकर अधिरोपित करने, निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ULB-H(C)(9)2/91-II-दिनांक 20.4.1998 तथा ULB-H(C)(9)-I-दिनांक 6.11.1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 271 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गृहकर की वसूली का परामर्ष देने तथा इसके पष्चात भी निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-10/97-दिनांक 4.12.1999 द्वारा प्रदेश की समस्त नगर परिषदों/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियो/सचिवों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिषों व उनके कार्यान्वयन की और ध्यान आकृष्ट करते हुए गृहकर की वसूली सुनिष्चित करने हेतु कहे जाने के बावजूद भी नगर परिषद गृहकर अधिरोपण के प्रति वास्वत में गम्भीर नहीं हुआ अपितु नगर परिषद की विभिन्न बैठकों में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को टाला गया।

अंकेक्षण द्वारा यह मुद्दा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के पैरा 4(घ) द्वारा भी विस्तारपूर्वक उठाया गया था किन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक इस विषय में नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन द्वारा यथा परिशिष्ट ''घ'' पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार दिनांक 31.3.2009 को विभिन्न गृहकरदाताओं से ₹4,39,31,375.00 की राशि वसूली योग्य शेष थी तथा दिनांक 31.3.2005 के पष्चात गृहकर की कोई भी वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त परिशिष्ट के अनुसार वर्ष 2003–2004 की कुल मांग ₹22,441.00 थी अर्थात नगर परिषद द्वारा गृहकर अधिरोपण का सर्वेक्षण 2003–2004 में किया गया और उस वर्ष की कुल गृहकर मांग ₹22,441.00 थी जबकि विगत अंकेक्षण की उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2003–2004 में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार उस वर्ष की कुल मांग ₹1,10,30,758.00 थी तथा वर्तमान अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई परिशिष्ट ''घ'' पर सुचनानुसार ₹1,10,30,758.00 की चालू मांग वर्ष 2005–2006 से सम्बन्धित है। अतः नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त दो सूचनाओं में से एक सूचना सही नहीं है जिसकी पुष्टि करके दरूस्ती सुनिष्चित की जाए व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाएं इसके अतिरिक्त दिनांक 1.9.1997 से वसूली जाने वाली गृहकर की बकाया राशि की गणना करके गृहकर की पूरी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼x½ jgMh 'kYd %&

नगर परिषद को रेहड़ी शुल्क के रूप में वर्ष 2007–2008 में कुल ₹1,19,240.00 तथा वर्ष 2008–2009 में कुल ₹2,32,320.00 की आय प्राप्त हुई। रेहड़ी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा रेहड़ी धारक को टोकन संख्या जारी करके उसका लैज़र में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा रहा जिसमें सुगमता से प्रतिवर्ष नवीनीकरण की प्रविष्टियां दर्ज करके यह ज्ञात हो सके कि किस रेहड़ी धारक से कब कितना शुल्क प्राप्त हुआ है तथा कितना बकाया है। यह प्रकरण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(घ) द्वारा भी उठाने के बावजूद इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई । अतः आवष्यक कार्यवाही अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼?k½ VsM ykbZlsUl 'kYd %&

नगर परिषद के ट्रेड लाईसैन्स शुल्क के अवलोकन की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2007–2008 के दौरान 234 व्यापारियों से ट्रेड शुल्क के रूप में ₹11,700.00 तथा वर्ष 2008–2009 में 241 व्यापारियों से ₹12,050.00 की आय प्राप्त हुई थी जो कि सोलन शहर मे व्यापारियों की संख्या के दृष्टिगत नगण्य है। अतः अधिक से अधिक व्यापारियों को ट्रेड लाइसैन्स जारी करना व उनका नवीनीकरण करना सुनिष्चित किया जाए ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

¼3½ tUe ,o eR;q iek.k i= 'kqYd ½&

नगर परिषद को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज़ में प्राप्त शुल्क का विवरण निमनानुसार है :–

o"k 2007&2008 ₹44]505-00

o"k 2008&2009 ₹43]765-00

¼p½ ¶y'k Cykd ikIrh y[kk ½&

नगर परिषद द्वारा पुराने बस स्टैण्ड व अन्य स्थानों पर स्थापित अपने फ्लश ब्लाक को ठेके पर दिए जाने के एवज़ में प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

o"k 2007&2008 ₹2]60]984-00

o"k 2008&2009 ₹74]064-00

क्योंकि वर्ष 2008–2009 में इस मद से प्राप्त आय में 70% से अधिक की कमी आई है अतः न केवल इस कमी के सन्दर्भ में ठोस कारणों/तथ्यों व सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अपितु प्रतिवर्ष आय की स्वभाविक बढ़ौतरी भी सुनिष्चित की जाए।

¼N½ BkMk xkÅM ls ikIr vk; ½&

नगर पालिका द्वारा ठोडो ग्राऊंड को खेल स्पर्धाओं व अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु प्रतिदिन का किराया ₹200.00 तथा बिजली शुल्क ₹50.00 कुल योग ₹250.00 प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है। परिषद के ठोडो ग्राऊंड से सम्बन्धित अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में दर्षाई गई संस्थाओं से ग्राऊंड के किराए व बिजली प्रभार के रूप में ₹500.00 की कम वूसली की गई है :–

(1) रसीद (जी–8) संख्या 178/80, दिनांक 9.3.2009 द्वारा हिम गोल्ड कम हॉकी टूर्नामैन्ट सोसाइटी से दिनांक 19.5.2009 से 29.5.2009 अर्थात 11 दिनों का ग्राऊंड किराया व बिजली प्रभार क्रमशः ₹2000 +₹500 (कुल राशि ₹2500) ही ली गई है जबकि वास्तव में यह राशि क्रमशः ₹2200+₹500 अर्थात कुल राशि ₹2750 होनी चाहिए थी। अतः ₹250 की कम वसूली की गई है।

(2) रसीद (जी–8) संख्या 178/84, दिनांक 16.3.2009 द्वारा प्रिंसीपल आई.टी.आई. सोलन से दिनांक 5.4.2009 से 11.4.2009 अर्थात 7 दिनों का किराया व बिजली प्रभार क्रमशः ₹1,200.00 व बिजली प्रभार ₹300.00 (कुल राशि ₹1500/–) लिया गया है जबकि वास्तव में यह राशि क्रमशः ₹1400/– + ₹350/– (कुल राशि ₹1,750.00) वसूली जानी थी। इस प्रकार ₹250.00 की राशि कम वसूली गई है।

अतः उपरोक्त 250+250=₹500.00 की वसूली सुनिष्चित करते हुए अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(ज) कुत्ता शुल्क (Dog Tax) :-

नगर परिषद द्वारा कुत्ता शुल्क के रूप में 15 प्रकरणों में वर्ष 2007–2008 के दौरान ₹900.00 तथा 12 प्रकरणों में वर्ष 2008–2009 के दौरान ₹650.00 की वसूली की गई जो कि नगर मे पालतू कुत्तों की संख्या की दृष्टि से बिलकुल ही नगण्य है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने शहर में कुत्ता शुल्क वसूलने का बिलकुल भी प्रयास नहीं किया गया जबकि नगर परिषद के पास सफाई निरीक्षक के दो तथा सफाई कर्मचारियें के 49 तथा बेलदारों के 38 पद भरे हुए हैं।

अतः इस सन्दर्भ में आवष्यक कदम उठाते हुए पालतु कुत्तों की कुल संख्या का निर्धारण करके कुत्ता शुल्क की आय में बढौतरी सुनिष्चित करें व अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(झ) नगर परिषद के प्रांगण के विश्राम गृह को अत्यन्त सस्ती दरों पर ठेके पर देना

नगर परिषद द्वारा कार्यालय प्रांगण में बने विश्राम गृह को 7.3.2005 से ठेके पर दिया जा रहा है तथा ठेके की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	विश्राम गृह ठेके पर लेने वाले का नाम	ठेके की अवधि	ठेके की

l0	dk fooj.k		jkf'k
1	मैसर्ज शूलिनी टैण्ट हाऊस, राजगढ़ रोड सोलन	7.3.2005 से 7.2.2006 अर्थात 11 महीने	₹3,51.000
2	मैसर्ज शूलिनी एन्टर प्राईज़िज राजगढ रोड, सोलन	1.4.2007 से 31.3.2009 अर्थात 2 वर्ष	₹6,00,000.00
3	मैसर्ज शूलिनी एन्टर प्राईज़िज राजगढ रोड, सोलन	31.8.09 से 31.8.2011 अर्थात 2 वर्ष	₹4,25,000.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह ठेका न केवल एक ही फर्म को लगातार दिया जा रहा है अपितु ठेके की राशि भी ठेका दर ठेका घटती जा रही है मूल्य सूचकांक के अनुसार इसमें बढ़ौतरी अपेक्षित थी। जबकि इसे वर्ष 2007–2008 व 2008–2009 की तुलना में दिनांक 31.3.09 से 31.8.11 के दौरान समरूप अवधि के लिए 6 लाख की अपेक्षा 4.25 लाख की दर से ठेके पर दिया गया व इस प्रकार नगर परिषद को सीधे तौर पर 1.75 लाख की हानि हुई है जिस बारे ठोस तथ्य स्पष्ट किए जाएं। एसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में मिलीभगत से ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ दिया गया है। अतः इस प्रकरण की छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼¥½ foKkiu 'kqYd ¼&

नगर परिषद को विज्ञापन शुल्क के रूप में वर्ष 2007–2008 के दौरान दो संस्थाओं से मात्र ₹20,640.00 (क्रमशः ₹10,740.00 व ₹9,900.00) तथा वर्ष 2008–2009 में मात्र एक संस्था से ₹400 ही प्राप्त हुए हैं जो कि शहर में जहां–तहां लगी होर्डिंग्ज़ व साईन बोर्डों तथा अन्य विज्ञापन प्रचार सामग्रियों की संख्या के दृष्टिगत नाम मात्र ही है ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद विज्ञापन शुल्क वसूलने हेतु उदासीनता बरत रही है। अतः इस सन्दर्भ में एक विषेष अभियान सुनिष्चित करते हुए विज्ञापन शुल्क उगाही मे बढ़ौतरी सुनिष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼V½ fctyh 'kqYd ij ,d ilk ifr ;fuV d fglkc l ikIr vk; ¼&

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी–(डी)(1)–9/94, दिनांक24.8. 2000 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से

एक पैसा प्रति युनिट के हिसाब से विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद, जहां बिजली की खपत हुई है, को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि मे नगर परिषद सोलन को बिजली शुल्क के रूप में वास्तव में कोई आय प्राप्त नहीं हुई तथा अवधि 9/2006 से 3/2009 तक की प्राप्त होने वाली ₹10,62,556.00 की राशि का समायोजन भी अधिषासी अभियन्ता विद्युत मण्डल, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कर लिया गया क्योंकि नगर परिषद द्वारा बिजली बोर्ड को गली प्रकाश (Street Light) का इस राशि से अधिक भुगतान करना है। जैसा कि पत्र संख्या HES/AB-General/09-1827-28, दिनांक 12.6.2009 के अवलोकन से विदित होता है।

अधिषासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त ₹10,62,556.00 का समायोजन बिजली के कितने युनिटों के खपत के विरूद्ध किया गया तथा 9/2006 से 3/2009 की अवधि मे नगर परिषद सोलन के परिक्षेत्र में कुल कितनी युनिट बिजली की खपत हुई है का उल्लेख न तो अधिषासी अभियन्ता के उपरोक्त पत्र में शामिल है और न ही नगर परिषद कार्यालय में इस तथ्य की पुष्टि हेतु कोई अन्य अभिलेख उपलब्ध है। जिस कारण उपरोक्त समायोजित राशि का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा सम्भव न हो सका। अतः न विचाराधीन प्रकरण में एवम् भविष्य में प्राप्त शुल्क की राशि की पुष्टि हेतु प्रतिमाह/प्रतिवर्ष नगर परिषद के परिक्षेत्र में खपत हुई कुल बिजली युनिटों की संख्या हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए ताकि अंकेक्षण द्वारा इस मद से प्राप्त आय की पुष्टि/सत्यापन सम्भव हो सके।

¼B½ <u>₹1-00 izfr cksry ds fglkc ls 'kjkc 'kqYd</u> ¼&

नगर परिषद को आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद के परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल के हिसाब से अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

o"kZ	Mªk¶V la[;k@frfFk	i= la[;k ftlds vUrxZr 'kYd izkIr gqvk rFkk o"kZ ftlls lEcfU/kr 'kYd izkIr gqvk	jkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½
2007–2008	ड्राफ्ट संख्या 766820 दिनांक 31.3.2007	पत्र संख्या EXNSLN(CASh)-6894 dated 20-4-2007 द्वारा वर्ष	₹2,46,027.00

		2005–2006 से सम्बन्धित शुल्क	
2008–2009	ड्राफ्ट संख्या 222816 दिनांक 24.12.2008	पत्र संख्या EXNSLN(CASh)-860 dated 17-1-2009 द्वारा वर्ष 2006–2007 से सम्बन्धित शुल्क	₹4,80,250.00

उपरोक्त से जहां यह स्पष्ट होता है कि शुल्क अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त हो रहा है, वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग के उपरोक्त शुल्क कितनी बोतलों से सम्बन्धित है तथा वास्तव में उपरोक्त अवधि में नगर परिषद के परिक्षेत्र में शराब की कुल कितनी बोतलों की बिक्री हुई है, का अभिलेख नगर परिषद के पास भी उपलब्ध नहीं है जिस कारण उपरोक्त प्राप्त आय का सत्यापन न हो सका। अतः वांछित अभिलेख/आंकड़े सम्बन्धित विभाग से एकत्रित कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए ताकि प्राप्त राशि का सत्यापन सम्भव हो सके।

¼3½ rgckt kjh 'kYd dh olyh u djuk %&

नगर परिषद द्वारा 1.4.2007 से 31.3.2009 की अवधि में तहबाजारी शुल्क की वसूली मात्र शूलिनी मेले के दौरान माह जून, 2007 तथा जून, 2008 में ही की गई है जबकि नगर परिषद परिक्षेत्र में अनगिनत व्यवसायियों की मौजूदगी सड़कों/गलियों/चौराहों में अक्षरशः विद्यमान रहती है यदि नगर परिषद नगर पालिका अधिनियम, 1994 की घारा 66(1)(1) के अन्तर्गत ऐसे व्यवसायियों से तहबाजारी शुल्क की वसूली करती है तो प्रतिदिन हज़ारों रुपये तथा प्रतिवर्ष लाखों रुपये का अतिरिक्त आय से इन्कार नहीं किया जा सकता जिससे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आना स्पष्ट था चूंकि विगत अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या यू0डी0(ऑडिट) 81/7, दिनांक 20.6.2007 के अतिरिक्त अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के अंकेक्षण पैरा 4(ज) द्वारा भी उठाया गया था तथा इस सन्दर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई है अतः नगर पालिका अधिनियम 1994 की उपरोक्त धारा को लागू करने में उदासीनता बरतने तथा अंकेक्षण अभियुक्तियों पर कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण के अतिरिक्त तहबाजारी वसूलने के लिए आवष्यक कदम उठाए जाएं तथा तत्सम्बन्धी प्रगति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼<½ dkedkth efgyk vkokl ls iklr vk; %&

कामकाजी महिला आवास के लेखों की जांच पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई :–

(1) उप निदेषक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5–9/75–Wel-W, दिनांक 3.4.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु काम काजी महिला से उसके कुल emoluments का 15% बतौर आवास शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद सोलन के कामकाजी महिला आवास के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि कुमारी मोनिका पुत्री श्री विद्यासागर नगर परिषद के कामकाजी महिला आवास में दिनांक 2.7.2005 से रह रही है तथा दिनांक 2.7.2005 को वह ₹5,654.00 emoluments प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार इस महिला से ₹5,654.00 का 15% =₹848.00 प्रतिमाह के हिसाब से आवास शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था जबकि उससे दिनांक 2.7.2005 से अंकेक्षण की समाप्ति तक यह शुल्क ₹483.00 प्रतिमाह के हिसाब से वसूल किया जाता रहा। इस प्रकार जुलाई, 2005 से अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक अर्थात 31.3.2009 तक ₹848.00–₹483.00=₹365.00 प्रतिमाह के हिसाब से 45 महीने की ₹16,425.00 की वसूली अपेक्षित है। अतः न केवल यह वसूली अपितु 31.3.2009 के पष्चात भी जो वसूली शेष बनती है, सुनिष्चित कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼2½ <u>dkedkth efgyk vkokl e: jg jgh vkokfl;k: l: fctyh iHkkj dh ₹29]739-00 dh de olwyh</u> ¼&

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17, दिनांक 2.2.2010 के प्रत्युत्तर से कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन द्वारा पत्र संख्या नगर परिषद सोलन कामकाजी महिला आवास–2010–938, दिनांक 8.3.2010 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार कामकाजी महिला आवास से सम्बन्धित अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 तक के बिजली के बिलों का नगर परिषद द्वारा ₹75,753.00 का कुल भुगतान किया गया है जबकि इसके विरूद्ध नगर परिषद द्वारा आवास से रह रही महिलाओं से बिजली प्रभार के रूप में मात्र ₹46,014.00 की ही वसूली की गई है जिसके परिणामस्वरूप शेष ₹29,739.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि उक्त महिला आवास के भवन में नगर परिषद का एक चौकीदार भी रहता है जो कि उन्हीं मीटरों से बिजली का प्रयोग कर रहा है जिससे छात्रावास में रहने वाली महिलाएं भी प्रयोग करती है। चूंकि महिला आवास में नगर परिषद द्वारा बिजली आपूर्ती न लाभ न हानि (No Profit No Loss) पर की जानी अपेक्षित है अतः उपरोक्त शेष ₹29,739.00 की वसूली न केवल छात्रावास में रह रही कामकाजी महिलाओं अपितु उपरोक्त चौकीदार से भी अनुपातिक आधार पर की जानी अपेक्षित है।

अतः न केवल उपरोक्त वसूली अपितु विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी दर्षाई गई ऐसी राशि की पूरी वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के पैरा संख्या 4(प) द्वारा कुमारी चांद रानी से अवधि 4/2002 से 9/2003 तक आवास शुल्क की ₹3,360.00 की बकाया राशि शेष दर्षाई गई थी जिनमें अंकेक्षण की समाप्ति तक मात्र ₹1,620.00 की राशि ही वसूली गई थी तथा उक्त महिला ने अक्तूबर, 2003 में छात्रावास छोड़ दिया था। अतः शेष ₹1,740.00 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(4) कुमारी मधु से अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के पैरा 4(प) में अवधि 4/2002 से 3/2004 तक आवास शुल्क की ₹6,960.00 की बकाया राशि शेष दर्षाई गई थी जिनमें से अंकेक्षण की समाप्ति तक मात्र ₹3,650.00 की वसूली की गई थी तथा उक्त महिला भी माह 3/2004 में महिला आवास छोड़ चुकी है। अतः शेष ₹3,310.00 की वसूली भी उचित स्त्रोत से सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(5) कुमारी शीला उपरोक्त अंकेक्षण पैरा द्वारा वसूली योग्य ₹25,928.00 की राशि में से मात्र ₹1,800.00 की राशि ही अंकेक्षण समाप्ति तक वसूली गई थी तथा इस प्रकार ₹24,128.00 की राशि वसूली योग्य शेष थी। चूंकि उक्त महिला अभी भी छात्रावास में रह रही है तथा उससे बकाया राशि की वसूली ₹100.00 प्रतिमाह के हिसाब से की जा रही है, जो कि बकाया राशि के दृष्टिगत बहुत ही कम है, अतः अपेक्षित वसूली शीघ्र सुनिष्चित कर अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6) उपरोक्त कुमारी शीला चूंकि अभी भी कामकाजी महिला आवास में ही रह रही है तथा उप निदेषक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त पत्र के अनुसार कामकाजी महिला छात्रावास की आवासियों से किराया भारत सरकार की कामकाजी महिला छात्रावास स्कीम के नियम 29(ii) में प्रावधानानुसार आवासी द्वारा प्राप्त कुल emoluments का 15% प्रतिमाह वसूला जाना अपेक्षित है यदि आवासी सिंगल बैडरूम मे रह रही है। चूंकि कुमारी शीला सिंगल बैडरूप की सुविधा प्राप्त कर रही है माह 4/2003 में एक्त महिला के emoluments ₹4,273.00 प्रतिमाह थे जैसा कि उपरोक्त अंकेक्षण पैरे के अतिरिक्त नगर परिषद कार्यालय के अभिलेख से भी स्पष्ट होता है। अतः उक्त महिला से ₹641.00 प्रतिमाह के हिसाब से किराया वसूला जाना अपेक्षित है। नगर परिषद के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि कुमारी शीला के

नियोक्ता से उनके emoluments के सन्दर्भ में जो पत्र नगर परिषद को पत्राचार के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसमें कुमारी शीला के emoluments ₹4,273.00 प्रतिमाह दर्षाए गए हैं तथा जो दस्तावेज कुमारी शीला ने उपरोक्त पत्र के अतिरिक्त दस्ती तौर पर प्राप्त करके दस्ती तौर पर ही नगर परिषद कार्यालय को प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार कुमारी शीला के emoluments ₹1,800.00 प्रतिमाह है। नगर परिषद कार्यालय द्वारा प्रमाणिक तौर पर प्राप्त emoluments सम्बन्धी प्रमाण पत्र के अनुसार किराया प्राप्त करने की बजाए उनसे माह जून, 2005 से किराया ₹270.00 प्रतिमाह के हिसाब से वसूला जा रहा है तथा चर्चा में अंकेक्षण को बताया गया कि उक्त निर्णय दिनांक 20.5.2005 को हुई नगर परिषद की बैठक में प्रस्ताव संख्या 763/2005 (परिशिष्ट–''ङ'') के अन्तर्गत लिया गयां चूंकि यह प्रस्ताव प्रामाणिक तौर पर प्राप्त प्रमाण पत्र के पष्चात दस्ती तौर पर प्राप्त प्रमाण पत्र तथा आवासी महिला के कथन पर आधारित है। अतः उक्त प्रकरण में कामकाजी महिला के वास्तविक वेतन प्रमाण पत्र को अनदेखा करके आवासी महिला के कथन पर ₹1,800.00 वेतन को मान लिए जाए बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच करके परिणामों से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(7) चूंकि कामकाजी महिला आवास का किराया आवासियों द्वारा प्राप्त emoluments के आधार पर निष्चित होना है तथा नगर परिषद द्वारा अत्याधिक प्रकरणों में आवासियों से उन्हें छात्रावास आबंटन के समय ही emoluments प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जिसकी समय समय पर पुष्टि नही की जाती अतः यह सुनिष्चित किया जाए कि प्रत्येक आवासीय महिला से सम्बन्धित emoluments Certificate उनके नियोक्ता से प्रामाणिक/षासकीय तौर पर प्रतिवर्ष प्राप्त किए जाएं व किराया निर्धारण भी तदानुसार ही किया जाए तथा किसी भी अवस्था में आवासीय महिला से दस्ती emoluments Certificate प्राप्त न किया जाए ताकि उपरोक्त पेचीदगियों से बचा जा सके तथा किराए में भी समय–समय पर वृद्धि सुनिष्चित हो सके क्योंकि बढ़ते उपभोक्ता सूचकांक में emoluments की बढ़ौतरी को नकारा नहीं जा सकता।

¼.k½ <u>ekgu efdx fyfeVM cjh l ₹23]27]230-00 dh lQkbl 'kYd dh cdk;k jkf'k d lUnHk e</u> %&

नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के पैरा 4(त) में वर्णित स्थिति यथावत बनी हुई है जिसपर नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपेक्षित कार्यवाही अतिषीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उचित होगा कि इस प्रकरण से उदासीनता के लिए उतरदायित्व

निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों को संपरीक्षा सुझावानुसार अनुपालना हेतु समूचित निर्देश दिए जाएं ताकि परिषद को अनावष्यक रूप से वित्तीय हानि न हो व कृत कार्रवाई से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼r½ ikuh d: u, duD’ku 'kYd] ikbi fQfVx 'kYd rFkk flD;kfjVh 'kYd %&

नगर परिषद को 1.4.2007 से 31.3.2009 की अवधि में पानी के नए कनैक्षन शुल्क, पाईप फिटिंग शुल्क तथा सिक्योरिटी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

	o"k 2007&2008	o"k 2008&2009
पानी के नए कनैक्षन शुल्क	₹86,370.00	₹1,86,161.00
पाईप फिटिंग चार्जिज़	₹56,161.00	₹38,368.00
सिक्योरिटी	₹77,150.00	₹1,01,350.00
d|y ;kx	₹2]19]681-00	₹3]25]879-00

इसके अतिरिक्त विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(ञ) में इन मदों के अन्तर्गत दर्षाई गई 1.4.2002 से 7.10.2002 की अवधि की रसीद पुस्तिकाएं (जी–8) वर्तमान अंकेक्षण को भी प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वर्तमान अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼Fk½ in'kZu dj ¼**Show Tax**½ %&

वितायुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस. जी–डी(1)–9/94–खण्ड–IV, दिनांक 13.12.2000 जिसके अनुसार विभिन्न नगर पालिकाओं को उनके परिक्षेत्र में अधिरोपित करने वाले करों की दरें निर्धारित की गई है के अनुसार प्रदर्षन कर (Show Tax) की दर ₹50.00 प्रति प्रदर्षन निर्धारित की गई है। किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा वर्तमान अंकेक्षण को प्राप्त किए गए प्रदर्षन कर से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि शहर में एक सिनेमा घर तो निरन्तर ही चलता आ रहा है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में शहर में हुए किसी अन्य प्रदर्षन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत

होता है कि नगर परिषद द्वारा निरन्तर चल रहे सिनेमा घर से भी प्रदर्षन कर वसूला नहीं जा रहा है। अतः उक्त सिनेमा घर से अपेक्षित वसूली सुनिष्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी न केवल सिनेमाघर से अपितु शहर में होने वाले अन्य प्रदर्षनों (मनोरंजन) से सम्बन्धित वसूली उपरोक्त निर्धारित दर पर सुनिष्चित कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼n½ eyogu dj ¼&

नगर परिषद द्वारा मलवहन कर के रूप में दिनांक 31.3.2009 को ₹22,87,333.00 की वसूली शेष थी जिसका विवरण यथा परिशिष्ट ''च'' पर है। शेष वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼/k½ LVky fdjk;k ¼&

नगर परिषद द्वारा विभिन्न आबंटियों से स्टाल किराए के रूप में दिनांक 31.3.2009 को ₹28,35,772.00 की वसूली शेष थी। वर्षवार वसूली व वसूली योग्य राशि का विवरण यथा परिशिष्ट ''छ'' अनुसार है जिसके अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आबंटियों से जहां 31.3.2007 को ₹21,77,722.00 की वसूली शेष थी वह अब बढ़कर 31.3.2008 को ₹22,18,499.00 तथा 31.3.2009 को ₹28,35,772.00 हो गई। आबंटियों से वसूली योग्य राशि में बढ़ौतरी होना चिन्ता का विषय है तथा इस राशि की वसूली यथा शीघ्र करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼u½ ikuh iz:Hkkj d: ₹548-00 vf/kd tek djokuk ¼&

रसीद (जी–8) संख्या 940/36 से 940/87 तक दिनांक 8.11.2007 को पानी दर तथा मीटर किराए के रूप मे कुल ₹6,339.00 (अर्थात ₹6,335.00 पानी दर तथा ₹4.00 मीटर किराए) की वसूली की गई। किन्तु तत्सम्बन्धी गौण रोकड़ बही अर्थात पानी प्रभार व मीटर किराया प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 008 व 009 पर इन्हीं रसीदों की प्राप्त राशि का कुल योग त्रुटिपूर्वक ₹6,335.00 के स्थान पर ₹6,887.00 अर्थात ₹6,883.00 पानी दर व ₹4/– मीटर किराया दर्षाया गया हे तथा ''मुख्य रोकड़ बही '' के पृष्ठ–66 पर भी यह राशि ₹6,883 +₹4.00 =₹6,887.00 दर्षाई गई है। इस प्रकार एकत्रित ₹6,339.00 के स्थान पर नगर परिषद कोष में ₹6,887.00 जमा

करवाने के परिणामस्वरूप इस प्रकरण में ₹548.00 अधिक जमा करवाए गए हैं जो कि पर्यवेक्षण/प्रभावी नियन्त्रण की कमी का परिचायक है।

5 LFkkiuk %&

¼d½ ₹60]18]497-00 dk LFkkiuk ij vf/kd O;; %&

हिमाचल प्रदेश मयुन्सिपल एक्ट के नियम 53(1)(c) के अनुसार नगर परिषदों/नगर पंचायत के स्थापना व्यय जिसमें कर्मचारियों का वेतन व भत्ते, भविष्य निधि व गैच्युटी तथा सदस्यों को देय भत्ते इत्यादि भी शामिल हैं, की सीमा कुल व्यय का एक तिहाई निर्धारित किया गया है। किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि उक्त परिषद ने वर्ष 2007–2008 तथा वर्ष 2008–2009 में उपरोक्त नियम का उलंधन करते हुए स्थापना पर ₹60,18,497.00 का अधिक व्यय किया है जैसा कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर आधारित तैयार की गई निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

o"kZ	dqy O;;	LFkkiuk ij okfNr O;; ¼dqy O;; dk 1@3 Hkkx½	uxj ifj"kn }kjk o"kZ ds nkSjku dqr LFkkiuk ij okLrfod O;;	vf/kd O;;
2007–2008	₹6,07,75,815.00	₹2,02,58,605.00	₹2,35,11,601.00	₹32,52,996.00
2008–2009	₹8,26,25,756.00	₹2,75,41,919.00	₹3,03,07,420.00	₹27,65,501.00
			dqy vf/kd O;;	₹60]18]497-00

अतः अनुदेय सीमा से अधिक स्थापना पर कृत अनाधिकृत व्यय का स्पष्टीकरण ठोस कारणों सहित प्रस्तुत करते हुए कृत अधिक व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाने के अतिरिक्त भविष्य मे इस त्रुटि की पुनरावृति न होना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ fcuk ;k=k dk;Øe vuqeksfnr fd, ₹3]858-00 dk ;k=k HkÙkk nkoksa dk Hkqxrku

यात्रा भत्ता दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में यात्रा दावों का भुगतान बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करवाए हुए किया गया जो कि नियमों के विपरीत है :–

Øe l[;k	okÅpj l[;k	ikf/kdkjh o deZpkjh dk fooj.k	;k=k HkÙkk nkos dk vuqlkj ;k=k dk mís';	jkf'k
1	463 माह 11/2007	श्री देवेन्द्र ठाकुर अध्यक्ष नगर परिषद सोलन	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार Solid Waste Management प्रबन्धन हेतु शर्मा इन्डस्ट्रीज यमुनानगर द्वारा लगाए गए संयत्र की जांच हेतु यमुनानगर यात्रा	₹2,196.00
2	464 माह 11/2007	श्री बी.आर नेगी, कार्यकारी अधिकारी	माननीय उच्च न्यायालय के आदेषानुसार Solid Waste Management प्रबन्धन हेतु शर्मा इन्डस्ट्रीज यमुनानगर द्वारा लगाए गए संयत्र की जांच हेतु यमुनानगर यात्रा	₹72.00
3	–यथोपरि–	–यथोपरि–	पीटर हॉफ षिमला ₹126.00 में दूसरी क्षेत्रीय कार्यषाला एन.यू. आई.एस. में भाग लेने सम्बन्धी यात्रा	₹126.00
4	–यथोपरि–	–यथोपरि–	HIPA में दिनांक 24.8.07 से 26.8.07 तक Solid Waste Management सम्बन्धी कार्यषाला तथा दिनांक 9.11. 2007 को माननीय उच्च न्यायालय के अदोषानुसार Solid Waste Management हेतु नगर निगम षिमला द्वारा बाईपास में स्थापित Solid Waste Management Plant के निरीक्षण के सन्दर्भ में यात्रा	₹592.00
5	463 माह 11/2007	श्री अजय मितल, सदस्य नगर परिषद, सोलन	दिनांक 15.10.2007 ₹458.00 से 17.10.2007 तक हिमाचल प्रदेश लोक प्रषासन संस्थान, मषोबरा, षिमला–12 में	₹458.00

			प्रशिक्षण	
6	464 माह 11/2007	श्री एन.एल वर्मा, सहायक अभियन्ता	माननीय उच्च न्यायालय के आदेषानुसार Solid Waste Management हेतु नगर परिषद षिमला द्वारा बाईपास में स्थापित संयत्र के निरीक्षण के सन्दर्भ में यात्रा	₹150.00
7	464 माह 11/2007	श्री एन.एल वर्मा, सहायक अभियन्ता	माननीय उच्च न्यायालय के आदेषानुसार कचरा प्रबन्धन हेतु शर्मा इन्डस्ट्रीज़ यमुनानगर द्वारा स्थापित संयत्र की जांच के सन्दर्भ में यमुनानगर यात्रा	₹80.00
8	464 माह 11/2007	श्री एन.एल वर्मा, सहायक अभियन्ता	माननीय उच्च न्यायालय के आदेषानुसार CWP.No 1374/2006 में पारित आदेश दिनांक 27.8.07 के अन्तर्गत मानीय न्यायालय में अनुपालना तौर पर नगर परिषद की ओर से शपथ पत्र दायर करने हेतु षिमला यात्रा	₹134.00
9	464 माह 11/2007	श्री बी.एस.ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता	माननीय उच्च न्यायालय के आदेषों के दृषित कचरा प्रबन्धन हेतु नगर निगम षिमला द्वारा बाई पास में स्थापित कचरा संयत्र के निरीक्षण हेतु षिमला यात्रा	₹126.00
10	464 माह 11/2007	श्री राजेन्द्र सिंह बिलवाल, स्थापना लिपिक	माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के अनुपालन में अधिवक्ता से शपथ पत्र बनवाने तथा उक्त शपथ पत्र को दायर करने के सन्दर्भ में षिमला यात्रा	₹240.00
			d|y ;kx	₹3]858-00

अतः उपरोक्त प्रकरणों में यात्रा कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए बिना कृत अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में या तो अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई

जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित प्राधिकारियों/कर्मचारियों से सुनिष्चित की जाए।

¼x½ <u>gdnkjh ¼**entitlement**½ ls vf/kd ;k=k HkÙkk nkok dk ₹38-00 dk vf/kd Hkqxrku</u>

नगर परिषद कार्यालय के यात्रा भत्ता दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में यात्रा भत्ता दावों का भुगतान वास्तव में पदाधिकारियों के देय से अधिक किया गया है जैसा कि निम्न तालिका में दर्षाए गए कारणों से स्पष्ट होता है :–

Ø0 l0	ok0 l0	i{kf/kdkjh@deZpkjh dk uke o inuke ¼gdnkjh o ewy osru lfgr½	nfud HkÙkk tks fn;k x;k	nfud HkÙkk tks okLro esa ns; Fkk ¼dkj.kksa lfgr½	vf/kd Hkqxrku
1	463 माह 11/07	श्री देवेन्द्र ठाकुर अध्यक्ष नगर परिषद (अषासकीय प्रथम श्रेणी)	₹96.00	राशि 84.00 दिनांक 8.9.07 को प्रातः 9.00 बजे सोलन से यमुनानगर यात्रा प्रारम्भ करने के उपरान्त उसी दिन वापिस सोलन सांय 8 बजे पहुंचने के कारण उन्हें मूल भत्ते अर्थात ₹120.00 का 70% भत्ता देय था।	₹12 .00
2	464 माह 11/07	श्री एन.एल वर्मा, सहायक अभियन्ता (श्रेणी–2 मूल वेतन 11660/–)	₹80.00	राशि ₹67.00 क्योंकि दिनांक 11.9.07 को प्रातः 8 बजे सोलन से षिमला यात्रा प्रारम्भ करने के उपरान्त उसी दिन सोलन सांय 8 बजे पहुंचने के कारण उनका भत्ता उनके मूल भत्ते अर्थात ₹96.00 को 70% पर सीमित किया जाना था।	₹13.00
3	464 माह 11/07	–यथोपरि–	₹80.00	राशि 67.00 दिनांक 8.9.07 को प्रातः 9.00 बजे सोलन से यमुनानगर यात्रा प्रारम्भ करने के उपरान्त उसी दिन वापिस सोलन सांय 8 बजे पहुंचने के कारण उन्हें मूल भत्ते अर्थात ₹96.00 का 70% भत्ता देय था।	₹13.00

d|y vf/kd Hk|xrku	₹38-00

अतः किए गए उपरोक्त ₹38.00 के अधिक भुगतान की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ fpfdRlk ijh{k.k iHkkj dk LokLF; foHkkx }kjk fu/kkfjr njk e lhfer u dju o'k ₹95-00 dk vf/kd Hk|xrku ½&

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में कर्मचारियों द्वारा निजि प्रयोगषालाओं/क्लीनिकों में करवाए गए परीक्षणों के प्रभार को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सीमित न करके पूरे के पूरे प्रभार की व्यय प्रतिपूर्ति की गई है जिस कारण इन कर्मचारियों को ₹95.00 का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली कर अंकेक्षण को अनुपालनप दर्षाई जाए :–

Ø0 l0	deZpkjh dk uke o inuke	Hk|xrku ok0 l0	ijh{k.k dk fooj.k o iz;kx'kkyk vFkok Dyhfud dk fooj.k	Hk|xrku dh xbZ jkf'k	ljdkj }kjk fu/kkZfjr jkf'k	vf/kd Hk|xrku
1	श्री राजेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी	489 माह 11/07	X-Ray(Right) foot ankle (Durga Clinical lab opposite zonal hospital, Solan	60	50	₹10.00
2	–यथोपरि–	यथोपरि	Stool examination Ova &Cyst (Himachal Medical center Solan)	50	25	₹25.00
3	–यथोपरि–	यथोपरि	Blood HB, Fasting Blood Sugar Blood Urea Serum Creatinine (Himachal Medical Center Solan)	170	120 (क्रमशः 15,40 25 व 40)	₹50.00
4	श्री हरि नन्द कष्यप	818 माह 3/09	Blood HB & ESR (Honey Mobils Clinical Lab opposite	40	30 (क्रमशः	₹10.00

zonal hospital, Solan)	15 व 15)
dqy vf/kd Hkqxrku	₹95-00

¼3½ dk;kZy; gsrq fu/kkZfjr lhek ls vf/kd lekpkj i= [kjhnus dk dkj.k de ls de ₹1]217-00 dk vi0;; ½&

अतिरिक्त सचिव (वित्त विनियम), हिमाचल प्रदेश सरकार के समस्त सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)8/83, दिनांक 9.12.2002 के अनुसार विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पढ़ने हेतु प्रतिदिन अधिक से अधिक दो समाचार पत्र ही खरीदने हेतु सक्षम है किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि उक्त कार्यालय द्वारा माह 6/2008 से 3/2009 तक निम्न विवरणानुसार तीन अथवा चार समाचार पत्र प्रतिदिन खरीदे गए हैं जिनपर सबसे कम कीमत वाले समाचार पत्रों को भी अपव्यय मानते हुए ₹1,217.00 का अपव्यय हुआ है जैसा कि अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14, दिनांक 01.02.2010 के प्रत्युत्तर में उक्त कार्यालय द्वारा पत्र संख्या नगर परिषद सोलन–2010–737, दिनांक 25.02.2010 द्वार उपलब्ध करवाई गई तथा अंकेक्षण द्वारा सत्यापित सूचनाओं पर आधारित तैयार की गई निम्न तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है :–

Ø0 l0	ekg	ekg ds nkSjku dk;kZy; }kjk [kjhns x, lekpkj i=ksa ij dqy O;;		U;wure dher okys lekpkj i=ksa dk vi0;; dk vk/kkj ekurs gq, ekg esa gqvk vi0;; ¼nks ls vf/kd lekpkj i=½
1	6/2008	पंजाब केसरी	₹90.00	₹80.00
		दिव्य हिमाचल	₹90.00	
		हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹80.00	
2	7/2008	पंजाब केसरी	₹93.00	₹81.50
		दिव्य हिमाचल	₹93.00	
		हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹81.50	
3	8/2008	पंजाब केसरी	₹93.00	₹79.00

		दिव्य हिमाचल	₹93.00	
		हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹79.00	
4	9／2008	पंजाब केसरी	₹90.00	₹79.00
		दिव्य हिमाचल	₹90.00	
		हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹79.00	
5	10／2008	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹94.00	₹60.00
		पंजाब केसरी	₹90.00	₹90.00
		आपका फैसला	₹60.00	
		दिव्य हिमाचल	₹90.00	
6	11／2008	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹94.00	₹60.00
		पंजाब केसरी	₹90.00	₹90.00
		आपका फैसला	₹60.00	
		दिव्य हिमाचल	₹90.00	
7	12／2008	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹97.00	₹62.00
		पंजाब केसरी	₹93.00	₹93.00
		आपका फैसला	₹62.00	
		दिव्य हिमाचल	₹93.00	
8	1／2009	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹95.00	₹60.00
		पंजाब केसरी	₹90.00	₹90.00
		आपका फैसला	₹60.00	
		दिव्य हिमाचल	₹95.00	
9	2／2009	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹88.00	₹56.00
		पंजाब केसरी	₹86.00	₹86.00
		आपका फैसला	₹56.00	
		दिव्य हिमाचल	₹88.00	
10	3／2009	हिन्दुस्तान टाइम्पस	₹95.00	₹60.00
		पंजाब केसरी	₹90.00	₹90.00
		आपका फैसला	₹60.00	
		दिव्य हिमाचल	₹94.00	

dqy vi0;;	₹1]216-50 vFkkZr ₹1]217-00

अतः उपरोक्त अपव्यय की प्रतिपूर्ती हेतु उतरदायितव निर्धारित करते हुए उचित स्त्रोत से करने के अतिरिक्त दो से अधिक समाचार पत्रों से अधिक की खरीद यदि अभी भी की जा रही है, तत्काल बन्द की जाए तथा अन्तरावधि (intervering period) अर्थात 1.4.2009 से दो से अधिक समाचार पत्रों की खरीद की निरन्तरता तक हुए अपव्यय की गणना (यदि कोई हो) भी उपरोक्तानुसार कर समस्त प्रकरण की अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼p½ <u>lsok iqfLrdk,¡</u> ½&

सेवा पुस्तिकाओं के अवलोकन की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जिनमें से अत्याधिक सेवा पुस्तिकाओं में इन त्रुटियों का सुधार अंकेक्षण के समय करवा लिया गया था तथा इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी व सम्बन्धित लिपिक से चर्चा भी की गई थी तथा अंकेक्षण को आष्वासन दिया गया था कि भविष्य में इन त्रुटियों की पुनरावृति नहीं दोहराई जाएगी :–

(1) लगभग प्रत्येक सेवा पुस्तिका में अर्जित व अर्धवेतन अवकाश का क्रैडिट अग्रिम में नियमानुसार प्रत्येक छैमाही में पहली जनवरी और पहली जुलाई में न देकर केवल तभी दिया जाता है जब कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा ऐसे भी प्रकरण सामने आए जिनमें यह क्रैडिट दो अथवा तीन सालों के बाद तभी दिया जब कर्मचारी के पक्ष में अवकाश स्वीकृत किया गया।

(2) कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते समय सेवा पुस्तिका में विहित कॉलम में कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए जाते।

(3) अनेक कर्मचारियों की फोटो सेवा पुस्तिका में नहीं है।

(4) स्वीकृत अवकाश (अर्जित, अर्धवेतन व परिणीत) की प्रविष्टियां स्वीकृती के साथ ही सेवा पुस्तिकाओं में नहीं की जाती अपितु अत्यन्त विलम्ब से की जाती हैं तथा लगभग 60–70 स्वीकृत आवेदनों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अंकेक्षण के समय ही की गई तथा इस सन्दर्भ में चच्रा में बताया गया कि यह कार्य श्री कर्म सिंह राठौर को दिया गया था तथा चूंकि उक्त कर्मचारी गबन मामले में निलम्बित था अतः यह कार्य पैन्डिंग चल रहा है। बहरहाल कारण जो भी हो प्रत्युत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यदि एक कर्मचारी निलम्बित है तो यह कार्य दूसरे कर्मचारी से समय रहते करवाया जा सकता हे बषर्ते कार्यालय अध्यक्ष इस पहलुओं पर ध्यान दें। स्वीकृत अवकाश को

अत्यन्त विलम्ब से सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज करने के कारण ऐसे प्रकरणों से इनकार नहीं किया जा सकता जिनमें कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत होने तथा उस द्वारा व्यतीत करने पर भी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि न हुई हो। अतः सुनिष्चित किया जाए कि अंकेक्षण अवधि मे कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कर्मचारी ने स्वीकृत अवकाश व्यतीत तो किया हो तथा उसकी अवकाश सम्बन्धी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में न हुई हो।

¼N½ vf’kf{kr deZpkfj;ksa dh tUe frfFk tUe d.Myh vFkok 'kiFk i= ds vk/kkj ij lsok iqfLrdk esa ntZ djuk ½&

नगर परिषद के कर्मचारियों के सेवा अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2007 मे दिहाड़ीदार से नियमित किए गए निम्नलिखित अषिक्षित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सेवा पुस्तिकाओं) में जन्म तिथि की प्रविष्टियां इन कर्मचारियों द्वारा दायर शपथ पत्र/जन्म कुण्डली के आधार पर बिना किसी चिकित्सीय राय (Medical opinion) प्राप्त किए हुए की गई है जो कि अनुचित है :–

Ø0 l0	deZpkjh dk uke o in uke	fu;qfDr i= l0	tUe frfFk o tUe d.Myh dh izfof"V dk vk/kkj
1	श्री षिवदत्त, पुत्र श्री धनी राम, बेलदार	2165 दिनांक 21.8.2007	26.6.1953 शपथ पत्र
2	श्री विरेन्द्र, पुत्र श्री घैना राम, बेलदार	2527 दिनांक 6.9.2007	30.10.1969 जन्म कुण्डली एवं शपथ पत्र
3	श्रीमति गौरी देवी, पत्नी श्री कृष्ण दत्त, बेलदार	2184 दिनांक 21.8.2007	शपथ पत्र
4	श्री सिरी राम, पुत्र श्री मेघ राम, बेलदार	2189 दिनांक 21.8.2007	21.9.1956 शपथ पत्र
5	श्री देव कुमार, पुत्र श्री बाला राम, बेलदार	2532 दिनांक 6.9.2007	28.2.1972 शपथ पत्र
6	श्रीमति सुनिता, पत्नी श्री विजय, सफाई कर्मचारी	1470 दिनांक 20.7.2007	15.3.1972 शपथ पत्र
7	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री गुलाब, सफाई कर्मचारी	1458 दिनांक 20.7.2007	11.3.1971 शपथ पत्र

अतः न केवल उपरोक्त प्रकरणों में अपितु वर्ष 2007—2008 तथा वर्ष 2008—2009 के दौरान नियमित किए। नियुक्त किए गए ऐसे कर्मचारियो ंजिनकी जन्म तिथि अशिक्षित होने वश सेवा पुस्तिकाओं में शपथ पत्रों के आधार पर ही दर्ज की गई हो, के सन्दर्भ में भी चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त कर या सम्बन्धित पंचायत से प्रमाण—पत्र प्राप्त करके यथानुसार ही उनकी सेवा पुस्तिकाओं में जन्म तिथि की प्रविष्टियां अंकित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

यहां यह वर्णन करना भी उपयुक्त होगा कि ऐसे ही प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा श्री महेश कुमार , पुत्र श्री सुरजीत व श्री दिवेश कुमार, पुत्र श्री लक्खी, (दोनों सफाई कर्मचारी) जिन्हें क्रमशः पत्र संख्या 4440 व 4446 प्रत्येक दिनांक 26.11.2008 द्वारा नियुक्त किया गया है, के प्रकरणों में शपथ पत्र के अतिरिक्त चिकित्सीय राय (Medical openion) भी प्राप्त की है। अतः एक ही मुद्दे हेतु एक ही कार्यालय मे दो विभिन्न माप दण्ड अपनाए जो के सन्दर्भ में की अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼t½ ifj.khr vodk'k gsrq vkosnu fofgr iz= ij u djuk %&

नगर परिषद के कर्मचारियों के सेवा अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों द्वारा परिणीत अवकाश हेतु आवेदन विहित प्रपत्र पर न होने पर भी सादे कागज़ पर आवेदन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जैसा कि श्री टी0एन0अत्री, सफाई निरीक्षक के निम्नवर्णित अवकाश के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन से भी स्पष्ट हो जाता है :—

Øe la[;k	ifj.khr vodk'k dh vof/k
1	26.11.2007 से 7.12.2007
2	6.05.2008 से 31.05.2008

अतः इस सन्दर्भ में व अन्य ऐसे प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए तथा भविष्य में सभी अर्जित/अर्धवेतन/परिणीत/असाधारण /अदेय अवकाष विहित प्रपत्रों पर ही प्रापत व स्वीकृत किए जाने सुनिष्चित किए जाएं।

6 Hkqxrku %&

¼d½ ₹23]040-00 dh fctyh dh rkjks dh vferO;;h ¼**Uneconomical**½ [kjhn %&

नगर परिषद सोलन के केंन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया यगा कि उक्त रजिस्टर के पृष्ठ–75 पर प्रविष्टियों के अनुसार भण्डार में वर्ष 2006–2007 की समाप्ति पर 4 मि.मी0 पी0वी0सी0 बिजली की तार की 16 कॉयलज़ उपलब्ध थी आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 2007–2008 की समाप्ति पर भी उक्त तार की 6 कॉयलज़ भण्डार में उपलब्ध थी जैसा की उपरोक्त स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–76 पर कृत प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित होता है तथा इस तार की एक कॉयल भण्डार में दिनांक 14.8.2008 तक भी उपलब्ध थी।

उपरोक्त तार की खरीद सम्बन्धि अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा मैसर्ज चड्ढा इलैक्ट्रीकलज़ सोलन से 4 एम.एम0 पी0वी0सी0 तार की 40 कॉयलज़ उक्त फर्म के बिल संख्या 10930, दिनांक 7.7.2005 के अन्तर्गत ₹23,040.00 में खरीदी गई थी जिसका भुगतान नगर परिषद कार्यालय द्वार वाऊचर संख्या 190, माह 7/2005 द्वारा किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खरीदी गई तार की खपत तीन वर्षों में भी पूरी नहीं हुई जिससे यह स्वतः स्पष्ट है कि यह खरीद कार्यालय की वास्तविक आवष्यकता को ध्यान में रखकर वास्तविक आवष्यकता को ध्यान में रखकर नहीं की गई है तथा चूंकि यह खरीद दर संविदा (Rate Contract) के माध्यम से न करके खुले बाज़ार से की गई है अतः प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में आपूर्तिकर्त्ता को अनावष्यक लाभ देने के उद्देष्य से ही यह थोक खरीद की गई है।

अतः इस प्रकरण में ठोसा तथ्यों सहित अंकेक्षण को वास्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा साभिप्राय की गई अमितव्ययी खरीद के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ LVªhV ykbZV fcyksa dk ₹81]96]041-00 dk Hkqxrku u djuk ½&

नगर परिषद द्वारा बिजली बोर्ड से प्राप्त स्ट्रीट लाईट बिलों का पूर्व मे भुगतान पूरा न करने की बजाए अंषिक भुगतान करने तथा यह भुगतान अवधि 10/2000 से 8/2004 तक पूर्णतया ही बन्द करने के परिणाम स्वरूप नगर परिषद की हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के देय कुल देनदारी 31.3.2009 तक ₹81,96,041.00 हो गई जो कि 31.3.2007 तक ₹63,29,079.00 थी। चूंकि इस राषि में दण्ड प्रभार की राषि भी शामिल है अतः इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारण अपेक्षित है। जैसा कि अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6(ज) में भी स्पष्ट किया गया था। स्ट्रीट लाईट के जिन–जिन मीटर खातो का भुगतान शेष है उनका विवरण राषिवार निम्नानुसार है :–

Øe la[;k	ehVj [kkrk la[;k	jkf'k
1	RRSLI	8,44,421.00
2	LCSLI	10,39,730.00
3	MTSLI	4,32,590.00
4	BSSLI	2,37,738.00
5	SLSLI	4,35,939.00
6	BRSLI	2,19,138.00
7	ITSLI	3,99,684.00
8	TRSLI	7,79,865.00
9	SNSLI	2,74,521.00
10	MDSLI	5,75,489.00
11	MCSLI	6,09,164.00
12	SGSLI	2,50,950.00
13	SCSLI	5,22,834.00
14	MRSLI	4,20,120.00
15	KNSLI	5,70,153.00
16	JRSLI	2,54,324.00
17	KRSLI	1,92,653.00

18	KHSLI	1,36,728.00
	d|y ;k|x	₹81]96]041-00

अतः उपरोक्त देनदारी का समय रहते भुगतान सुरिष्चित करने के अतिरिक्त अब तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही न करने के ठोस कारणों से अवगत करवाया जाए व कोताही हेतु दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण के अतिरिक्त दण्ड प्रभार का भुगतान नगर परिषद से न किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए जैसा की विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी स्पष्ट किया गया था।

¼x½ fgekpy izns'k flapkbZ ,oa tu LokLF; foHkkx dks ikuh dh vkiwfrZ dh ₹40]39]584-00 ls vf/kd dh nsunkjh %&

नगर परिषद सोलन अपने क्षेत्र के नागरिकों को जल आपूर्ति करता है तथा यह जल हिमाचल प्रदेष सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग्र से प्राप्त कर नगर में वितरित किया जाता है। हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या आई0पी0एच(एफ)5–4/2004, दिनांक 15.6.2005 द्वारा जल की कीमतों में दिनांक 1.6.2006 से बढ़ाई गई जिसके अनुसार नगर परिषद सोलन हेतु यह दर ₹2/– प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर ₹8/– प्रति किलो लीटर की गई तथा इन बढ़ी हुई दरों मे प्रति वर्ष अप्रैल माह में 10% बढ़ौतरी का प्रावधान है। किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा इन संषोधित दरों को लागू ही नहीं किया गया। यद्यपि यह प्रकरण सदन के सम्मुख दिनांक 8.9.2005, 27.5.2006 तथा 30.6.2006 की बैठकों में भी विचारार्थ रखा गया किन्तु इस प्रस्ताव को बैठक मे सदैव ही निरस्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद की देनदारी 31.3.2007 को ₹2,53,56,133.00 हो गई जैसा कि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के अंकेक्षण पैरा 6(ढ) में भी स्पष्ट किया गया था।

किन्तु इसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण यह देनदारी 31.5.2009 को बढ़कर ₹7,08,12,652.00 तथा 30.9.2009 को ₹8,40,39,584.00 हो गई जैसा कि अधिषासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सोलन के कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन को सम्बोधित पत्र संख्या आई0पी0एच0(डी) सोलन/ए0बी0–एम0सी–सोलन–REVENUE/2008-17720-29, दिनांक 23.12.2009, जिस की प्रतिलिपि अन्यों के साथ–साथ निदेषक, शहरी विकास को भी सम्बोधित है, के अवलोकन से विदित

होता है। उक्त पत्र (परिषिष्ट ''ज'') से यह भी स्पष्ट होता है कि नगर परिषद सोलन सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग से इस सन्दर्भ में अनेकों पत्र/स्मरण पत्रों के बावजूद भी वांछित भुगतान नहीं कर रहा है।

अतः अनावष्यक कोताही का यह प्रकरण पुनः शहरी विकासा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आषय से लाया जाता है कि समय रहते इस प्रकरण से आवष्यक कार्यवाही करके प्रत्येक उपभोक्ता से दिनांक 1.6.2005 से पानी की कीमत की वसूली सुनिष्चित कर हिमाचल प्रदेष सिंचाई एवं जनस्वास्थय विभाग को तदानुसार ही अदायगी किया जाना तथा किसी भी अवस्था में इस बकाया राषि का भुगतान नगर परिषद कोष से न किया जाना भी सुनिष्चित करें।

इसके अतिरिक्त जैसा कि अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7(1)(स) में स्पष्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेष सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग से भी ₹12,06,110.00 की वसूली सुनिष्चित की जाए अथवा उक्त भुगतान की राषि काटकर उपरोक्त देनदारी की राषि का भुगतान किया जाए तथा इस प्रकार वसूली गई/काटी गई राषि को नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ ₹11]43]189-00 dh [kjhnnkjh nj lafonkvksa ¼**Rate Contracts**½ ds ek/;e ls u djds [kqys cktkj ls djuk ¼&

हिमाचल प्रदेष सरकार के सभी विभागों, बोर्डों तथा निगमों इत्यादि को अपने विभागों/कार्यालयों की आवष्यकता की वस्तुओं की खरीद सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर संविदाओं (Rate Contract) द्वारा निर्धारित फर्मों से की जानी अपेक्षित है तथा खुले बाज़ार से खरीद केवल उन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है जब किसी वस्तु अथवा मद की दर संविदा सरकार द्वारा निर्धारित न हो तथा ऐसे प्रकरणों मे भी नियन्त्रण, भण्डार क्रय, हिमाचल प्रदेष से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

किन्तु नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के व्यय वाऊचरों, स्टॉक रजिस्टरों व क्रय सम्बन्धि अन्य दस्तावेज़ों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्यालय द्वारा अवधि 1.4.2005 से अंकेक्षण समाप्ति तक निम्न विवरणानुसार पानी व बिजली आपूर्ती तथा हार्डवेयर का छुटपुट सामान दर संविदाओं की किसी औपचारिक्ता में न पड़ते हुए सीधे खुले बाजार से क्रय किया गया है। जिसका भुगतान अवधि 1.4.2007 से इस अंकेक्षण की समाप्ति तक किया गया है :–

Ø0 l0	Qe! dk uke tgk¡ ls lkeku [kjhnk x;k	lkeku dk lf{kIr fooj.k	Qe! dk fcy l[;k o fnukad	Hkqxrku ok0 l0	jkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
1	आर0के0 ट्रेडर्ज, दि माल सोलन	पानी आपूर्ति का सामान	5174, दिनांक 24.4.07	211, माह 7/2007	5,018.00
2	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5175, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	168.00
3	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5176, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	566.00
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5230, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	2,224.00
5	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5177, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	2,441.00
6	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5178, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	2,319.00
7	—यथोपरि—	—यथोपरि—	37448, दिनांक 23.11.07 (फर्म से बिल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भुगतान 19.7.07 को किया गया)	—यथोपरि—	374.00
8	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5179, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	6,389.00
9	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5180, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	354.00
10	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5181, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	928.00
11	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5182, दिनांक 24.4.07	—यथोपरि—	3,326.00
12	—यथोपरि—	—यथोपरि—	4177, दिनांक 15.1.07 (भुगतान 19.09.07 को किया गया)	—यथोपरि—	187.00
13	—यथोपरि—	—यथोपरि—	4182, दिनांक 15.1.07 (भुगतान 19.9.07 को किया गया)	—यथोपरि—	187.00
14	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5201, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	340.00
15	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5202, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	2,212.00

16	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5203, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	911.00
17	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5204, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	499.00
18	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5205, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	187.00
19	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5206, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	187.00
20	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5207, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	2,839.00
21	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5208, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	579.00
22	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5209, दिनांक 25.4.07	—यथोपरि—	6,500.00
23	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5218, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	187.00
24	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5219, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	151.00
25	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5220, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	423.00
26	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5221, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	777.00
27	—यथोपरि—	—यथोपरि—	5222, दिनांक 26.4.07	—यथोपरि—	11,559.00
28	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6072 एवं 6073, दिनांक 26.7.07	वाऊचर संख्या 359, माह 9/2007	23,354.00
29	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6076, 6077 एवं 6078, दिनांक 26.7.07	—यथोपरि—	28,907.00
30	—यथोपरि—	—यथोपरि—एवं हार्डवेयर सामग्री	10740 एवं 10741, दिनांक 6.1.09	वाऊचर संख्या 706, माह 1/2009	8,394.00
31	—यथोपरि—	पानी आपूर्ति की सामग्री	7897, दिनांक 22.1.08 व 7898 दिनांक 22.1.08	वाऊचर संख्या 198, माह 6/2008	12,036.00
32	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7899, दिनांक 22 .1.08	—यथोपरि—	499.00
33	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7900, दिनांक 22 .1.08	—यथोपरि—	468.00
34	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7902, दिनांक 22 .01.08	—यथोपरि—	500.00

35	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7901, दिनांक 22 .01.08	—यथोपरि—	480.00
36	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7913, दिनांक 22 .01.08	—यथोपरि—	265.00
37	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8728 व 8730, दिनांक 7.5.08	—यथोपरि—	28,211.00
38	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7958, दिनांक 15.02.08	—यथोपरि—	5,016.00
39	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8877 व 8878, दिनांक 23.5.08	—यथोपरि—	14,626.00
40	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8879, दिनांक 23.5.08	—यथोपरि—	487.00
41	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8880, दिनांक 23.5.08	—यथोपरि—	499.00
42	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8881, दिनांक 23.5.08	—यथोपरि—	250.00
43	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8898, दिनांक 26.05.08	—यथोपरि—	16,733.00
44	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8923, दिनांक 28.05.08	—यथोपरि—	7,041.00
45	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8997, दिनांक 5.6.08	—यथोपरि—	499.00
46	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8995, दिनांक 5.6.08	—यथोपरि—	620.00
47	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9040, दिनांक 9.6.08	—यथोपरि—	402.00
48	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9362, दिनांक 18.7.08	वाऊचर संख्या 326, माह 8 / 2009	10,155.00
49	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9364, दिनांक 18.7.08	—यथोपरि—	1,357.00
50	—यथोपरि—	हार्डवेयर सामग्री	9363, दिनांक 18.7.08	—यथोपरि—	1,544.00
51	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9977, दिनांक 17.9.08	—यथोपरि—	416.00
52	—यथोपरि—	—यथोपरि—	10299 दिनांक 20.10.08	—यथोपरि—	374.00
53	—यथोपरि—	पानी आपूर्ति सामान	10546 तथा 10547, दिनांक 22.11.08	—यथोपरि—	13,742.00
54	—यथोपरि—	—यथोपरि—	11110 से 11113, दिनांक 28.2.09	—यथोपरि—	35,447.00

55	—यथोपरि—	—यथोपरि—	11340 तथा 11341, दिनांक 21.3.09	—यथोपरि—	13,170.00
56	—यथोपरि—	—यथोपरि—	13342, दिनांक 21.3.09	—यथोपरि—	385.00
57	—यथोपरि—	हार्ड वेयर सामग्री	8915, दिनांक 22.1.08	वाऊचर संख्या 503, माह 10/08	634.00
58	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8914, दिनांक 27.5.2008	—यथोपरि—	387.00
59	—यथोपरि—	पानी आपूर्ति सामान	9179 व 9180, दिनांक 28.6.08	—यथोपरि—	11,069.00
60	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9183, दिनांक 28.6.08	—यथोपरि—	489.00
61	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9184, दिनांक 28.6.08	—यथोपरि—	499.00
62	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9185, दिनांक 28.6.08	—यथोपरि—	478.00
63	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9190, दिनांक 30.6.08	—यथोपरि—	478.00
64	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9191, दिनांक 30.6.08	—यथोपरि—	473.00
65	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9192, दिनांक 30.6.08	—यथोपरि—	374.00
66	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9397 व 9398, दिनांक 19.7.08	—यथोपरि—	9,628.00
67	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9400, दिनांक 19.7.08	—यथोपरि—	474.00
68	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9401, दिनांक 19.7.08	—यथोपरि—	259.00
69	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9399, दिनांक 19.7.08	—यथोपरि—	478.00
70	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9465, दिनांक 24.7.08	—यथोपरि—	43,794.00
71	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9497, दिनांक 26.7.08	वाऊचर संख्या 503, माह 10/08	1,388.00
72	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9499, दिनांक 26.7.08	—यथोपरि—	265.00
73	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9535, दिनांक 30.7.08	—यथोपरि—	5,220.00
74	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9692 व 9693, दिनांक	—यथोपरि—	11,112.00

			14.8.08		
75	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9782, दिनांक 28..8.08	—यथोपरि—	409.00
76	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9784, दिनांक 28.8.08	—यथोपरि—	458.00
77	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9785 दिनांक 28.2.08	—यथोपरि—	348.00
78	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9786, दिनांक 28.8.08	—यथोपरि—	250.00
79	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9774 व 9775, दिनांक 27.8.08	—यथोपरि—	20,412.00
80	—यथोपरि—	—यथोपरि—	9975 व 9976, दिनांक 19.7.08	—यथोपरि—	13,023.00
81	—यथोपरि—	—यथोपरि—	10145व 10146, दिनांक 06.10.08	—यथोपरि—	11,573.00
82	—यथोपरि—	—यथोपरि—	10149, दिनांक 6.10.08	—यथोपरि—	224.00
83	—यथोपरि—	—यथोपरि—	10295 व 10296, दिनांक 20.10.08	—यथोपरि—	9,636.00
84	—यथोपरि—	—यथोपरि—	10297, दिनांक 20.10.08	—यथोपरि—	495.00
85	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6849, दिनांक 12.10.07	वाऊचर संख्या 472, माह 11/2007	21,601.00
86	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6850 व 6851, दिनांक 12.10.07	—यथोपरि—	17,759.00
87	—यथोपरि—	हार्डवेयर सामग्री	6209, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	506.00
88	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6210, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	250.00
89	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6211, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	374.00
90	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6214, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	499.00
91	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6215, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	400.00
92	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6216, दिनांक 14.8.07	—यथोपरि—	187.00
93	—यथोपरि—	हार्डवेयर सामग्री व औज़ार	6848, दिनांक 12.10.07	—यथोपरि—	10.499.00

94	मैसर्ज़ सरदार इलैक्ट्रोनिकस वर्कस लोअर बाजार सोलन	स्ट्रीट लाईट हेतु बिजली का सामान	1825, दिनांक 21.6.2007	वाऊचर संख्या 221, माह 7/2007	3,375.00
95	मैसर्ज़ चड्डा इलैक्ट्रीक वर्कस, पुरानी कचहरी रोड, सोलन	—यथोपरि—	1012, दिनांक 22.12.07	—यथोपरि—	45,838.00
96	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1021, दिनांक 26.12.07	—यथोपरि—	9,675.00
97	—यथोपरि—	बिजली का सामान	1130, दिनांक 24.1.08	—यथोपरि—	3,808.00
98	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1148, दिनांक 28.1.08	—यथोपरि—	22,219.00
99	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1140, दिनांक 28.1.08	—यथोपरि—	478.00
100	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1371, दिनांक 7.3.2008	वाऊचर संख्या 290, माह 8/2008	46,463.00
101	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1283, दिनांक 31.5.08	—यथोपरि—	4,025.00
102	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1547, दिनांक 9.6.08	—यथोपरि—	394.00
103	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1548, दिनांक 9.6.08	—यथोपरि—	81.00
104	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1588, दिनांक 17.6.08	—यथोपरि—	499.00
105	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1586, दिनांक 17.6.08	—यथोपरि—	81.00
106	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1589, दिनांक 17.6.08	—यथोपरि—	431.00
107	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1593, दिनांक 19.6.08	—यथोपरि—	149.00
108	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1595, दिनांक 19.6.08	—यथोपरि—	480.00
109	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1598, दिनांक 20.6.08	—यथोपरि—	240.00
110	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1682, दिनांक 2.7.2008	—यथोपरि—	45.00
111	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1688, दिनांक 2.7.2008	—यथोपरि—	301.00
112	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1607, दिनांक 21.6.2008	—यथोपरि—	3,189.00
113	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1681, दिनांक 22.7.08	—यथोपरि—	1,659.00

114	मैसर्ज़ चोपड़ा जनरल स्टोर्ज मैक्लोड गंज धर्मषाला	बिजली का सामान	033 व 034 दिनांक 16.6.08	वाऊचर संख्या 203, माह 6/2008	2,63,398.00
115	–यथोपरि–	–यथोपरि–	041, दिनांक 3.7.2008	वाऊचर संख्या 754, माह 2/2009	65,084.00
116	–यथोपरि–	–यथोपरि–	181, दिनांक 30.8.2008	–यथोपरि–	3,718.00
117	–यथोपरि–	–यथोपरि–	184, दिनांक 14.1.2009	–यथोपरि–	28,895.00
118	–यथोपरि–	–यथोपरि–	164, दिनांक 16.2.2009	–यथोपरि–	32.00
119	मैसर्ज़ दयाल ट्रेडर्ज़ मनाली, हिमाचल प्रदेष	बिजली का सामान	फर्म से बिल प्राप्त न होने के कारण भुगतान फर्म के चालान दिनांक 28.3.09 के विरूद्ध किया गया तथा बिल अंकेक्षण की समाप्ति तक भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था।	वाऊचर संख्या 66, माह 4/2009	59,280.00
120	मैसर्ज़ चोपड़ इलैक्ट्रिक वर्कस, पुरानी कचहरी रोड, सोलन	–यथोपरि–	925, दिनांक 24.2.2009	''षून्य'' माह 12/2009	46,997.00
121	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10253, दिनांक 2.8.05	467, माह 11/2007	25,144.00
122	–यथोपरि–	–यथोपरि–	647, दिनांक 7.8.2007	–यथोपरि–	23,175.00
123	–यथोपरि–	–यथोपरि–	11056, दिनांक 8.11.05	–यथोपरि–	3,375.00
124	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10945, दिनांक 27.7.05	वाऊचर संख्या 482, माह 11/2007	1,905.00
125	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10866, दिनांक 25.5.05	–यथोपरि–	498.00
126	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10986, दिनांक 29.8.05	–यथोपरि–	1,718.00
127	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10892, दिनांक 28.5.05	वाऊचर संख्या 482, माह	232.00

				11/2007	
128	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10865, दिनांक 25.5.05	–यथोपरि–	477.00
129	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10911, दिनांक 14.6.05	–यथोपरि–	191.00
130	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10917, दिनांक 21.6.05	–यथोपरि–	231.00
131	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10920, दिनांक 21.6.05	–यथोपरि–	169.00
132	–यथोपरि–	–यथोपरि–	10921, दिनांक 24.6.05	–यथोपरि–	498.00
133	–यथोपरि–	–यथोपरि–	11107, दिनांक 22.9.05	–यथोपरि–	631.00
				d|y ;kx	₹11]43]189-00

उपरोक्त खरीद के प्रकरणो मे यद्यपि अपेक्षित औपचारिकताएं जैसे कि दर सूची (Quotations) इत्यादि आमंत्रित करना पूरी की गई है, किन्तु इतनी अधिक मात्रा में सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदाओं (Rate contracts) को दर किनार करते हुए निजि फर्मों से खरीद करना संशयपूर्ण है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह खरीद इन फर्मों विषेषकर मैसर्ज़ आर0के0 ट्रेडर्ज़ इन फर्मों विषेषकर मैसर्ज़ आर0के0 ट्रेडर्ज, दि माल सोलन को लाभ देने के उद्देष्य से ही निजि फर्मों से की गई है क्योंकि उपरोक्त ₹11,43,189.00 की खरीद में से ₹4,74,111.00 के पानी आपूर्ति व हाईवेयर के छुटपुट सामान की खरीद केवल उक्त फर्म से ही की गई है, जिस बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

अतः अनियमितता का यह प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि उक्त प्रकरण की पूर्ण छानबीन कर शासकीय अनुदेषों की अवज्ञा बारे उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उक्त खरीद से हुई वित्तीय हानि, यदि कोई हो, की गणना करके वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियों से सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼3½ ikuh dh lIykbZ ykbuksa ls cnys x, iqjkus lkeku dk iqjk Hk.Mkj esa okfil u djuk ½&

नगर परिषद के जल कार्य अनुभाग के खपत रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पानी सप्लाई लाइनों में कृत मुरम्मत कार्य के कारण बदली गई मुरम्मत सामग्री

के बदले पुरानी सामग्री की पूरी मात्रा भण्डार में अवधि 1.4.2007 से अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं की गई जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	सामग्री/वस्तु का विवरण	अंकेक्षण अवधि में उपयोग में लाई गई कुल मात्रा	अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस की गई पुरानी सामग्री की मात्रा	कम वापिस की गई मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) [(3)-(4)]
1	G.I.T ½” x ½”	55	–	55
2	G.I.T ¾” x ½”	5	3	2
3	G.I.T ¾” x ¾”	2	1	1
4	G.I.T 1” x ½”	59	8	51
5	G.I.T 1” x 1”	2	–	2
6	G.I.T 1½” x 1”	4	–	4
7	G.I.T 1½” x ¾”	4	–	4
8	G.I.T 1½” x 1¼”	2	–	2
9	G.I.T 1½” x 1½”	11	–	11
10	G.I.T 1½” x ½”	25	–	25
11	G.I.T 2” x 1”	17	2	15
12	G.I.T 2” x 1-½”	4	–	4
13	G.I.T 2” x ½”	4	2	2
14	G.I.T 1¼” x 1¼”	1	–	1
15	G.I.T 1½” x ½”	4	1	3
16	G.I.T 1¼” x 1”	1	–	1

17	G.I.T 2½” x 2”	2	–	2
18	G.I.T 2½” x 1½”	1	–	1
19	Hexa Nipple 1¼”	2	–	2
20	Migi Hexa Nipple 1½”	1	–	1
21	G.I.T 1¼” x 4”	35	6	29
22	G.I.Nipple 1” x 4”	84	13	71
23	G.I.Nipple 1½” x 4”	19	3	16
24	G.I.Nipple 2” x 4”	33	13	20
25	G.I.Nipple ¾” x 3”	8	–	8
26	G.I.Nipple ¾” x 4”	10	3	7
27	G.I.Nipple ½” x 6”	40	9	31
28	G.I.Nipple ½” x 4”	102	–	102
29	G.I.Nipple ½” x 12”	12	–	12
30	G.I.Nipple ½” x 3”	11	–	11
31	G.I.Nipple ½” x 2”	12	–	12
32	G.I.Nipple 1” x 6”	32	4	28
33	G.I.T 1¼” x 4”	29	3	26
34	G.I.Nipple 1½” x 6”	18	7	11
35	G.I.Nipple 1½” x 4”	34	–	34
36	G.I.Nipple 2” x 4”	33	1	32
37	G.I.Nipple 2-½” x 6”	8	4	4
38	G.I.Nipple 3” x 4”	9	4	5
39	G.I.Nipple 4” x 4”	5	3	2
40	G.I.Nipple 1” x 3”	23	–	23

41	Union 2”	83	33	50
42	Union 1½”	72	20	52
43	G.I.Union 1”	135	22	113
44	G.I.Union ½”	130	12	118
45	G.I.Union ¾”	24	5	19
46	G.I.Union 1-¼”	51	23	28
47	G.I.Union 2-½”	43	18	25
48	G.I.Union 3”	33	5	28
49	G.I.Union 4”	7	11	(–) 4 {सम्भवत 4 युनियन विगत वर्षों के वापिस किए गए हैं।}
50	G.I.Socet ¾”	33	1	32
51	G.I.Socet ½”	228	5	223
52	G.I.Socet 1½”	13	4	9
53	G.I.Socet 1”	41	6	35
54	G.I.Socet 4”	5	3	2
55	G.I.Band ¾”	1	2	(–)1 {सम्भवतः एक बैण्ड विगत वर्षों का वापिस किया गया है।}
56	G.I.Band 1”	15	–	15
57	Albow ½”	164	5	159
58	Albow ¾”	20	2	18
59	Albow 1”	63	2	61
60	Albow 1½”	31	2	29
61	Albow 1¼”	4	6	(–) 2 {सम्भवतः दो एल्बो विगत वर्षों के

				वापिस किए गए हैं।}
62	G.I.Albow 2”	37	—	37
63	G.I.Albow 2½”	10	1	9
64	G.I.Albow 3”	5	—	5
65	G.M. Gate volve ½”	12	2	10
66	G.M. Gate volve ¾”	12	5	7
67	G.M. Gate volve 1”	48	22	26
68	G.M. Gate volve 1¼”	13	9	4
69	G.M. Gate volve 1½”	27	15	12
70	G.M. Gate volve 2”	30	21	9
71	G.M. Gate volve 2½”	6	7	(–) {सम्भवतः एक गेट वाल्व विगत वर्षों का लौटाया गया है।}
72	G.M. Half Gate volve ¾”	3	—	3
73	G.M. Half Gate volve 2”	4	—	4
74	G.I. Redusar 1” x ¾”	3	2	1
75	G.I. Redusar 3” x 2½”	2	—	2
76	G.I. Redusar 2” x 1½”	5	—	5
77	G.I. Redusar 1½” x 1”	2	1	1
78	G.I. Redusar 1½” x 1¼”	1	—	1
79	G.I. Redusar 1½” x 1”	4	—	4
80	G.I. Redusar ¾” x ½”	9	1	8
81	G.M. ball Cock	13	9	4
82	Brass Tap 15 M.M	33	12	21

83	G.I. Band 1¼”	3	1	2
84	G.I. Band 1½”	14	–	14
85	G.I. Band 2”	10	3	7
86	G.I. Band 2½”	8	4	4
87	G.I. Band 3”	2	–	2
88	Plag ½”	130	–	130
89	Plag ¾”	16	–	16
90	Plag 1½”	10	–	10
91	Plag 1”	46	–	46
92	Plag 2”	3	1	2
93	Plag 2½”	2	–	2
94	Plag 3”	1	–	1
95	Plag 4”	4	–	4
96	Tank Nipple ½”	13	–	13
97	G.I. Pipe ½”	74	38	36
98	G.I. Pipe ¾”	3	–	3
99	G.I. Pipe 1”	19	–	19
100	G.I. Pipe 1½”	20	–	20
101	G.I. Pipe 2”	31	–	31
102	G.I. Pipe 3”	5	–	5
103	C.I. Bib Cock (Iron Tap with Brass Spindal)	17	2	15
104	P.V.C. Connection ½”	4	2	2

उपरोक्त तालिका के स्तम्भ संख्या (3) पर दर्षाए गए जारी नए सामान की प्रमात्रा की तुलना में स्तम्भ संख्या (4) पर दर्षाए गए वापिस लौटाए गए पुराने सामान की प्रमात्रा (कुछ मदों

को छोड़कर) लगभग नगण्य होने के कारण जारी किए गए नए सामान द्वारा दर्षाया गया मुरम्मत कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि पानी की लाइनों में जहां भी मुरम्मत कार्य में नया सामान प्रयुक्त होगा, यह स्वाभाविक है कि पुराना सामान वापिस भण्डार में आएगा। अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन कर अभियांत्रिकी कक्ष (Engineering Cell) से यह सुनिष्चित करवाया जाए कि वास्तव में उपरोक्त तालिका के सतम्भ संख्या (3) में दर्षाया गया सामान मुरम्मत में ही प्रयुक्त हुआ है तथा इसके अतिरिक्त वापिस भण्डार में न लौटाए गए पुराने सामान का आंकलन विभागीय स्तर पर करवाकर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इसकी वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼p½ Ø; fd, x, [kqnkbZ ds vkStkjksa dh izfof"V;ka mfpr LVkWd jftLVj esa u djuk rFkk bu vkStkjksa ds izkIrdÙkkZvksa ls LVkWd jftLVj vFkok fdlh vU; nLrkost ij izkfIr jlhn u ysuk ½&

नगर परिषद कार्यालय द्वारा मैसर्ज़ आर0के0 ट्रेंडर्ज़, दि माल सोलन से निम्न खुदाई के औजार उक्त फर्म के बिल संख्या 6848, दिनांक 12.10.2007 द्वारा क्रय किए गए जिसका भुगतान वाऊचर संख्या 472, माह 11/2007 द्वारा किया गया :–

1	Pick Axe (गौंतियां) 5 अदद ₹170.00 प्रति के हिसाब से	₹850.00
2	Belcha (बेलचे) 5 अदद ₹150.00 प्रति के हिसाब से	₹750.00
3	Handles for Pick Axe 10 अदद ₹25.00 प्रति के हिसाब से	₹250.00
	dqy ;ksx	₹1]850-00

क्योंकि उपरोक्त सामान अनुपभोज्य (Non Consumable) है अतः इसकी स्टॉक प्रविष्टियां भी अनुपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी। किन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त सम्बन्धित रजिस्टर में करने की बजाए अन्य उपभोज्य वस्तुओं के साथ की उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में कर दी तथा यह सामान मज़दूरों को जारी किया हुआ दर्षाया गया जबकि न तो इन वस्तुओ को प्राप्त किए जाने सम्बन्धि किसी मजदूर के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध थे और न ही एतत् सम्बन्धि किसी मजदूर से प्राप्त कोई रसीद अंकेक्षण को दर्षाई गई जिसके अभाव में इन वस्तुओं को जारी किए जाने सम्बन्धि प्रविष्टियां प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती।

अतः उपरोक्त त्रुटिपूर्वक स्टॉक प्रविष्टियों की परिषोधित स्टॉक प्रविष्टियां सम्बन्धित मज़दूरों के पावती के समर्थन में हस्ताक्षरों सहित अंकेक्षण को दर्षाया जाना तथा ऐसा न होने की अवस्था में क्रय की गई वस्तुओं की कीमत की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼N½ ₹1]183-00 dk lkeku LVkWd jftLVj esa u ysus dk dkj.k nq:i;ksx ¼&

नगर परिषद के बिजली अनुभाग के स्टॉक रजिस्टरें व इन्डैन्टों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹1,183.00 का सामान केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त होने के बावजूद भी इस अनुभाग के स्टॉक व खपत रजिस्टरों में दर्ज नहीं होने के कारण इन वस्तुओं के दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता जैसा की निम्न प्रकरणों से स्पष्ट होता है :–

(1) बिजली अनुभाग द्वारा इन्डैन्ट संख्या एस0के0टी0–25, दिनांक 10.10.2008 द्वारा 5 Ignators, 70 to 250 Watt (Universal) केन्द्रीय भण्डार से जारी करवाए तथा सम्बन्धि प्रविष्टि केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 71 पर उपलब्ध है। किन्तु इन मदों को बिजली विभाग के स्टॉक रजिस्टर में गणना में नहीं लिया गया जैसा कि उक्त विभाग के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 203 तथा अन्य पृष्ठों के अवलोकन से विदित होता है। ये इगनोटरस मैसर्ज चोपड़ा जनरल स्टोर्ज़, मैक्लोडगंज, धर्मषाला से उक्त फर्म के बिल संख्या 034, दिनांक 16.6.2008 द्वारा ₹200.00 + 12.5 प्रतिषत वैट प्रभार के हिसाब से खरीदे गए थे। अतः इन 5 इगनोटरस की कीमत ₹1,125.00 बनती है।

(2) इन्डैन्ट संख्या एस.के.टी.–24, दिनांक 7.10.2008 द्वारा केन्द्रीय भण्डार से 20 अदद Tube Holders Rotary Type उक्त अनुभाग द्वारा जारी करवाए गए जिसकी प्रविष्टि केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 92 पर उपलब्ध है। किन्तु बिजली अनुभाग द्वार यह होलडर अपने स्टॉक अथवा खपत रजिस्टर में गणना में नहीं लिए गए। इन होल्डरों की कीमत ₹5,080.00 प्रति जोड़ी है जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट होता है। अतः 20 अदद टयूब होल्डर अर्थात 10 जोड़ियों की कीमत ₹58.00 बनती है।

अतः उपरोक्त ₹1,125 + 58 = 1,183 की वसूली उत्तरदायितव निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼t½ 95 ehVj 4,e0,e0ih0oh0lh0 fctyh dh rkj dk nq:i;ksx ¼&

नगर परिषद के बिजली अनुभाग के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 14 पर प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 15.9.2007 को 180 मीटर 4 मिली मीटर पी0वी0सी0 तार में से 60 मीटर तार प्रयोग में लाने के उपरान्त शेष बची तार 25 मी0 दर्षाई गई है जबकि वास्तव में यह प्रमात्रा 120 मीटर होनी चाहिए थी तथा इस त्रुटि का कोई शुद्धिकरण अंकेक्षण अवधि तक भी न होने के कारण यह स्पष्ट है कि 120–25=95 मीटर तार का दुरूपयोग हुआ है। अतः इसकी कीमत की गणना कर कीमत की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼>½ LVkd jftLVj ea lngkLin ifof"V;k ¼&

बिजली अनुभाग के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–89 पर प्रविष्टियों के अनुसार केन्द्रीय भण्डार से इन्डैन्ट संख्या 10 के अन्तर्गत दिनांक 25.3.2009 को 2 कॉयल अर्थात 180 मीटर 6 एम.एम पी.वी.सी सर्विस वायर(एल्यूमिनियम) प्राप्त की गई है। तथा इसकी खपत भी आगामी तिथियों में स्टॉक रजिस्टर में तदानुसार ही दर्षाइ गई है। इन्डैन्ट बुक के अवलोकन से विदित होता है कि केन्द्रीय भण्डार द्वारा इन्डैन्ट संख्या एस.के.टी–10 दिनांक 25.3.2009 द्वारा केन्द्रीय भण्डार से 2 कायल पी.वी.सी सर्विस वायर 6 एम.एम (एल्यूमिनियम) तथा 5 अद्द एस0ी0एल0 250 वॉट हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु केन्द्रीय भण्डार में पी0वी0सी0 र्स्वीस वायर 6 एम0एम0 (एल्यूमिनियम) उपलब्ध नहीं थी जैसा कि केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाता है जिसके अनुसार उक्त तार की कोई प्रमात्रा 11.2.2009 के उपरान्त से उपलब्ध नहीं थी।

चूंकि उपरोक्त तार नगर परिषद के केन्द्रीय भण्डार से जारी नहीं की गई थी अतः बिजली अनुभाग के स्टॉक रजिस्टर में एवं सम्बन्धि कृत प्रविष्टियां संदेहास्पद हैं। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया है कि कई बार आपातकालीन में केन्द्रीय भण्डार में आवष्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण इनकी खरीद उधार में खुले बाजार से की जाती है तथा सम्बन्धित फर्में कई बार ऐसी खरीद का बिल बहुत विलम्ब से कार्यालय को प्रस्तुत करती है तथा कार्यालय द्वारा सामान की प्रविष्टियां ऐसे बिलों के प्राप्त होने के बाद ही स्टॉक रजिस्टर में की जाती हैं। चूंकि इस सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय से कोई तर्क संगत प्रतयुतर अंकेक्षण को अंकेक्षण अवधि में प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त प्रविष्टियां खरीद के सन्दर्भ में स्वतः पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण को दिया जाए तथा यदि नगर परिषद कार्यालय में वास्तव में खरीद की ऐसी कोई त्रुटिपूर्ण प्रणाली प्रचलित है तो इसे तुरन्त बन्द किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

¼¥½ ₹1]85]510-00 dk lfnX/k Hkxrku ¼&

हिम उद्योग, गोयल निवास, सोलन को नगर परिषद सोलन द्वारा आर.सी.सी पाईप की खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार ₹1,85,510.00 का अग्रिम भुगतान किया गया है :–

Ø0 l0	Hkqxrku ok0 l0 o fnukad	Hkqxrku dk iz;kstu	jkf'k
1	वाऊचर संख्या 386 दिनांक 20.11.2006	आर0सी0सी पाईप की खरीद हेतु अग्रिम	52,096.00
2	वाऊचर संख्या 447 दिनांक 27.10.2007	आर0सी0सी पाईप की खरीद हेतु अग्रिम	66,707.00
3	वाऊचर संख्या 448 दिनांक 3.11.2007	आर0सी0सी पाईप की खरीद हेतु अग्रिम	66,707.00
		dqy ;kx	₹1]85]510-00

नगर परिषद के अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय के पास कोई ऐसा दस्तावेज व कोई ऐसी प्रविष्टि अभिलेख में अंकित है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त संस्था द्वारा उपरोक्त अग्रिमों के विरूद्ध वांछित सामग्री की आपूर्ती वर्तमान अंकेक्षण के समापन तक की हो और न ही इस सामग्री से सम्बन्धित किसी निर्माण कार्य में खपत सम्बन्धि कोई प्रविष्टि अथवा उल्लेख अंकेक्षण को दर्षाया गया। जिससे स्पष्ट है कि हिम उद्योग सोलन द्वारा नगर परिषद को उपरोक्त अग्रिमों के विरूद्ध सामग्री की आपूर्ती नहीं की गई है तथा इस प्रकरण में नगर परिषद कार्यालय का रवैया चिन्ता का विषय है क्योंकि वर्तमान अंकेक्षण द्वारा इस सन्दर्भ में सोलन नगर परिषद कार्यालय द्वारा हिम उद्योग, सोलन से हुए किसी प्रकार के पत्र व्यवहार की प्रतियां उपलब्ध करवाने में उक्त कार्यालय विफल रहा जिससे उपरोक्त अग्रिम भुगतान संदेहजनक प्रतीत होता है।

अतः यह प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण की गहन छानबीन कर ₹1,85,510.00 की वसूली अथवा वांछित सामग्री की आपूर्ति करने के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारी से अग्रिम अदा करने की तिथि से सामग्री आपूर्ति की तिथि तक अग्रिम राशि पर दण्ड ब्याज व अग्रिम की तिथि से सामग्री आपूर्ति की तिथि तक सामान की कीमत मे बढ़ौतरी, यदि कोई हो, की वसूली भी सुनिष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षणको अवगत करवाएं।

¼V½ <u>₹29]197-00 dh dher dk lheUV x.kuk esa u ysuk</u> ½&

नगर परिषद द्वारा सप्लाई ऑर्डर संख्या एम0सी/एस0एल0एन/2007–127, दिनांक 10.7.2007 द्वार अम्बुजा सीमेन्ट से 200 बोरियां सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया तथा इस आपूर्ति का भुगतान अग्रिम में किया गया। अम्बुजा सीमेन्ट से उक्त सीमेन्ट की 200 बोरियां इन्वोईस नम्बर सी0ई–07–56241 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यालय में प्राप्त हुई तथा उक्त इन्वोईस में प्रविष्ट सीमेन्ट की कीमत का विवरण निमनानुसार है :–

200 बोरियां सीमेन्ट की कीमत	₹25,425.00
दाड़लाघाट से सोलन ट्रक भाड़ा	₹3,772.00
dqy ;ksx	₹29]197-00

उपरोक्त 200 बोरियां नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त होने के बावजूद भी स्टॉक रजिस्टर में कहीं गणना में नहीं ली गई हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि इस सीमेन्ट का दुरूपयोग हुआ है। अतः इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित कर ₹29,197.00 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भण्डार में प्रभावी नियन्त्रण भी सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼B½ Bsdsnkj dks ,d ckj tkjh lheasV dh LVkWd jftLVj esa iwfof"V;ka nks ckj djus ds dkj.k 50 cksfj;ka lheasV dk nq:i;ksx ½&

नगर परिषद के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की विस्तृत जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि श्री शाम लाल, ठेकेदार को इन्डैन्ट संख्या बी0एस0–2008/2007 द्वारा 50 बोरियां सीमेन्ट जारी की गई थी। इस जारी सीमेन्ट की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ–74 पर 50 बोरियां तथा पृष्ठ 83 पर 50 बोरियां करने के परिणामस्वरूप एक बार जारी सीमेन्ट की प्रविष्टियां दो बार की गई हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से 50 बोरियां सीमेन्ट का दुरूपयोग होने वश सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली अपेक्षित है। अतः उक्त 50 बोरी सीमेन्ट की निर्गम दर (Issue Rate) की गणना करके संलिप्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼M½ LVkWd jftLVj esa ?kVko iwfof"V;ka djrs le; lheasV dh 45 cksfj;ka de n'kkZuk½&

नगर परिषद के स्टॉक रजिस्टरों की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों में सामान जारी करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों में सामान जारी करने के उपरान्त कृत प्रविष्टियों का घटाव करते समय निम्न विवरणानुसार स्टॉक रजिस्टरों में सीमेन्ट की 45 बोरियां कम दर्षाई गई हैं :—

(1) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 66 (सीमेन्ट) के अनुसार श्री दलीप शर्मा, ठेकेदार को इन्डैन्ट संख्या बी.एस—150/07, माह 6/2007 द्वारा भण्डार में कुल उपलब्ध 713 बोरियां सीमेन्ट में से 25 बोरियां सीमेन्ट जारी करने के उपरान्त भण्डार में सीमेन्ट की उपलब्ध मात्रा 663 बोरियां दर्षाई गई हैं जबकि वास्तव में यह मात्रा 688 बोरियां होनी चाहिए थी। इस प्रकार से प्रकरण में भण्डार में स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 25 बोरियां सीमेन्ट कम दर्षाई गई हैं।

(2) स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 78(सीमेन्ट) के अनुसार इन्डैन्ट संख्या के0डी0—2—117/08, दिनांक 21.1.2008 द्वारा भण्डारा में कुल 1653 बोरियां सीमेन्ट में से 60 बोरियां सीमेन्ट श्री शंकर दास ठेकेदार को जारी करने के उपरान्त स्टॉक में 1593 बोरियां शेष रहती है जबकि स्टॉक रजिस्टर में यह प्रमात्रा 1553 दर्षाने के कारण 40 बोरियां सीमेन्ट कम दर्षाई गई हैं।

(3) स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ—83 (सीमेन्ट) के अनुसार इन्डैन्ट संख्या बी.एस—185/07, दिनांक 24.8.2007 द्वारा स्टॉक में कुल उपलब्ध 827 बोरियां सीमेन्ट में से 50 बोरियां सीमेन्ट श्री रमेश कुमार, ठेकेदार को जारी करने के उपरान्त शेष 777 बोरियां रहती हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में यह प्रमात्रा 797 बोरियां दर्षाई गई हैं। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में 20 बोरियां सीमेन्ट अधिक दर्षाई गई हैं। चूंकि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से सीमेन्ट के दुरूपयोग से सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त 25+40—20=45 बोरियां सीमेन्ट, जो कि स्टॉक रजिस्टर में गणना में कम दर्षाई गई है, की निर्गम दर से वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए। भविष्य हेतु सुनिष्चित किया जाए कि भण्डार सामग्रियों को गणना नियत कालिक रूप से की जा रही है तथा स्टॉक पंजिका में उल्लिचित शेष की मात्रा की शुद्धता का सत्यापन किया जा रहा है व तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा नियतकालिक रूप से अभिलिखित किया गया है, ताकि उक्त प्रकार की पूनरावृति से बचा जा सके।

¼<½ fofHkUu Bdnkjk dk 425 ckfj;k lheUV rFkk 260 fdykxke lfj;k fcuk bUMUV d tkjh djuk ½&

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि ठेकेदारों को सीमेन्ट व सरिया बिना इन्डैन्ट के जारी किया गया है :–

Ø0 l0	Bdnkj dk uke	fuek.k lkexh dk fooj.k o iek=k	LVkd jftLVj dk fooj.k tgk mDr fuek.k lkexh tkjh dh gbl n'kkbl xbl gA	eki ifLrdk dk fooj.k tgk fuek.k lkexh dh olyh Bdnkj l dh xbl gA	vfHk;fDr ;fn dkbl gA
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
1	राजेश कुमार	सीमेन्ट 105 बोरियां	पृष्ठ–67	माप पुस्तिका सं0 226, पृष्ठ–47	–
2	राजेश कुमार	सरिया 12 एम.एम =182कि0ग्रा0 तथा 8 एम.एम = 78 कि0 ग्रा0 कुल = 260 कि0 ग्रा0	पृष्ठ–18 व पृष्ठ–44	माप पुस्तिका सं0 226, पृष्ठ–47	दिनांक 23.8.2007 को भण्डार की भौतिक जांच के अनुसार 8 एम.एम परिधि का सरिया भण्डार में मौजूद नहीं था जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार भण्डार में इस परिधि का 6681.24 कि0ग्रा0 सरिया उपलब्ध था तथा इस तालिका के स्तम्भ सं0 3 मे वर्णित 78 कि0ग्रा0 सरिया उपरोक्त 6681.24 कि0ग्रा0 में से ही जारी किया हुआ दर्शाए जाने के कारण अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया जाए कि यह प्रविष्टि किस प्रकार न्यायोचित है? तथा यदि यह प्रविष्टि न्यायोचित है तो दिनांक 23.8.2007 को की गई भण्डार की भौतिक जांच क्योंकर व किस हद तक न्यायोचित है?
3	शंकर दास	सीमेन्ट 95 बोरियां	पृष्ठ 67	माप पुस्तिका संख्या 229, पृष्ठ 36	माप पुस्तिका में कृत प्रविष्टियों के अनुसार ठेकेदार से कुल 160 सीमेन्ट

					बोरियों की वसूली की गई है जिनमें से 65 बोरियां इन्डैन्ट सं. बी. एस–125/2007 द्वारा ठेकेदार को जारी की गई हैं तथा शेष 95 बोरियों का कोइ इन्डैन्ट अंकेक्षण को नहीं दर्षाया गया।
4	तरूण कुमार	सीमेन्ट 160 बोरियां	पृष्ठ 67 पर 40 बोरियां तथा पृष्ठ 71 पर 120 बोरियां कुल 160 बोरियां	माप पुस्तिका सं0 226 पृष्ठ 82	माप पुस्तिका सं0 226 के पृष्ठ 82 पर प्रविष्टियों के अनुसार ठेकेदार को 160 बोरियां सीमेन्ट जारी की गई व वसूली भी 160 बोरियों की ही की गई।
5	गुलजारी लाल	सीमेन्ट 65 बोरियां	पृष्ठ 77	माप पुस्तिका सं0 230 पृष्ठ 56	–

उपरोक्त प्रकरणों से यह स्वतः स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा भण्डार से वस्तुएं जारी करने में कोई प्रभावषाली नियन्त्रण नहीं है। अतः ठेकेदारों को बिना इण्डैन्ट के जारी भण्डार सामग्री का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त प्रकरणों में जहां ठेकेदारों से आवष्यक वसूली न की गई हो, उनकी सम्यक रूप से वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

¼.k½ 31 Mªe rkjdksy ds bUMsaV vads{k.k dks izLrqr u djuk ¼&

नगर परिषद के स्टॉक रजिस्टरों, इन्डैन्टों व माप पुस्तिकाओं के मिलान करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में सम्बन्धित ठेकेदारों को तारकोल के ड्रम न केवल जारी हुए हैं अपितु इस ठेकेदारों से इन तारकोल के ड्रमों की वसूली भी की गई है। किन्तु निम्न दर्षाए गए 31 ड्रम तारकोल से सम्बन्धित इन्डैन्ट अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए :–

Øa0 la0	Bsdsnkj dk uke	tkjh fd, x, rkjdksy ds Mªeksa dh la[;k	LVkWd jftLVj dk fooj.k tgka rkjdksy tkjh fd;k gqvk n'kkZ;k x;k gS rFkk bUMsUV dk fooj.k ;fn dksbZ gks	eki iqfLrdk dk fooj.k tgka rkjdksy dh olwyh Bsdsnkj ls dh xbZ gS
1	श्री प्रेम कुमार	17 ड्रम	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ–48 इन्डैन्ट संख्या बी.एस–129/2007	माप पुस्तिका संख्या 230, पृष्ठ–34
2	श्री तरूण कुमार	14ड्रम	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ–49	माप पुस्तिका संख्या

d|y Mªe 31 Mªe

अतः उपरोक्त इन्डैन्ट आगामी अंकेक्षण को दर्षाने के अतिरिक्त उक्त इन्डैन्ट वर्तमान अंकेक्षण को न दर्षाए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिष्चित करें कि उक्त जारी सामग्री का ठेकेदारों के बिलों को पारित करते समय उनसे देय रकमों की वसूली कर ली गई है व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

¼r½ 210 V;|c pkdk ¼**Tube Chokes-40 Watt**½ dh [kjhn fcuk fcy o vU; vkSipkfjDrkvksa ds djuk ½&

नगर परिषद के केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर की (बिजली के सामान से सम्बन्धित) जांच करने पर पाया गया कि उक्त रजिस्टर के पृष्ठ–24 पर प्रविष्टि के अनुसार मैसर्ज़ चोपड़ा जनरल स्टोर्ज़, माल रोड, मैक्लोडगंज, धर्मषाला हिमाचल प्रदेश से 210 टयूब चौक 40 वॉट प्राप्त की गई है जो कि दिनांक 25.9.2008 से 28.1.2009 के मध्य विभिन्न इन्डैन्टों द्वारा इलैक्ट्रिशियन (Electrician) को जारी की गई है तथा इलैक्ट्रिशियन के खपत रजिस्टर के अनुसार भी यह टयूब चॉक विभिन्न स्थानों पर प्रयोग की गई है। किन्तु इस खरीद से सम्बन्धित न तो कोई बिल और न ही इस खरीद से सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार की औपचारिकता जैसे कि Notice Inviting quotations, quotations, दरों की तुलनात्मक विवरणिका व आपूर्ति आदेश (Supply order) इत्यादि से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में उक्त खरीद संदेहजनक प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में निम्न बिन्दूओं पर अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट की जाए :–

(1) उपरोक्त खरीद हेतु समूचित मंजूरी ली गई है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा विहित नियमों/आदेषों के अनुसार ही सामग्री खरीदी गई है, स्पष्ट करें।

(2) उपरोक्त खरीद के सम्बन्धित से समर्थित बिल तथा तत्सम्बन्धी प्राप्ति एवम् निर्गम स्टॉक प्रविष्टियां अभिलेख सहित स्पष्ट की जाए।

(3) उपरोक्त मदों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा फर्म से न खरीदे जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त खरीद अधिक दर पर किए जाने की स्थिति में अधिक भुगतान। हानि की सम्बन्धित कर्मचारी से क्षति की प्रतिपूर्ति की जाए।

¼Fk½ fctyh dk [kir jftLVj esa lUnsgkLin izfof"V;ka gkuk ¼&

नगर निगम के केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर व बिजली अनुभाग के बिजली सामान खपत रजिस्टरों में कृत प्रविष्टियों के मिलान करने पर पाया गया कि बिजली अनुभाग के बिजली सामान खपत रजिस्टर मे निम्न विवरणानुसार शामिल प्रविष्टियां संदेह जनक है। जैसा कि इन प्रकरणों से स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

(1) केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार (पृष्ठ–17) केन्द्रीय भण्डार में Starter Holder Box Type की प्रमात्रा शून्य थी जबकि बिजली विभाग के बिजली सामान खपत रजिस्टर के पृष्ठ–169 पर प्रविष्टि के अनुसार इन्डैन्ट संख्या एस0के0टी–10, दिनांक 4.4.08 द्वारा 9 अदद Starter Holder Box Type केन्द्रीय भण्डार से न केवल प्राप्त किए गए अपितु इनको प्रयोग भी विभिन्न स्थानों पर किया जाना दर्षाया गया है।

(2) केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–24 के अनुसार इन्डैन्ट संख्या एस0के0टी–12, दिनांक 19.8.2008 द्वारा 10 अदद Tube Choke-40 Watt. जारी की जानी दर्षाई गई है जबकि बिजली अनुभाग के बिजली सामान प्राप्ति एवं खपत रजिस्टर के अनुसार इस मद की न केवल प्राप्ति संख्या 10 के स्थान पर15 अदद हैं अपितु खपत भी यथानुसार ही 15 अदद की दर्षाई गई है।

(3) बिजली विभाग के बिजली सामान प्राप्ति व खपत रजिस्टर के पृष्ठ–89 पर प्रविष्टि के अनुसार केन्द्रीय भण्डार से इन्डैन्ट संख्या–10, द्वारा दिनांक 25.3.2009 को PVC Service Wire 6mm (Aluminium) की 2 कॉलय (180 मीटर लम्बी) प्राप्त हुई है तथा समय–समय पर इस तार का उपयोग भी विभिन्न स्थानों पर दर्षाया गया है। किन्तु बिजली विभाग की इन्डैन्ट पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि इन्डैन्ट संख्या एस0के0टी–10, दिनांक 25.3.2009 द्वारा बिजली विभाग ने केन्द्रीय भण्डार से 5 अदद एस0वी0एल 250 वॉट के साथ–साथ उपरोक्त 2 कॉयल पी0वी0सी वायर की आपूर्ती हेतु भी अनुरोध किया था। किन्तु उक्त कॉयल न तो उक्त इन्डैन्ट में जारी की हुई दर्षाई गई है और न ही दिनांक 11.2.2009 के पष्चात केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध थी जैसा कि केन्द्रीय भण्डार के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से विदित होता है। अतः यह सामान केन्द्रीय भण्डार द्वारा बिजली विभाग को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अतः उपरोक्त प्रकरणों में केन्द्रीय भण्डार मे सामान उपलब्ध न होने अथवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होने अथवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होने की अवस्था में भी बिजली विभाग द्वारा

केन्द्रीय भण्डार से सामान प्राप्त किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इन तीनों प्रकरणों की विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य हेतु सुनिष्चित किया जाए कि भण्डार सामग्रियों की प्राप्तियों के लेखे चाहे वे खरीदी गई हों या अन्यथा रूप से प्राप्त की गई हों, तथा उनके निर्गमों व शेषों के लेखे सही प्रकार रखे जाएं ताकि उक्त प्रकार की संदिग्धता से बचा जा सके।

¼n½ LVkd jftLVj o bUMsUV esa tkjh n'kkZbZ xbZ fuekZ.k lkexzh esa fHkUurk ¼&

नगर परिषद सोलन के स्टॉक रजिस्टरों व इन्डैन्टों की जाँच करने पर पाया गया कि इन दोनों दस्तावेज़ों में जारी दर्षाई गई निर्माण सामग्री की प्रमात्रा में भिन्नता है जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है :–

Ø0 l0	fuekZ.k lkexzh dk fooj.k	Bsdsnkj dk uke ftls fuekZ.k lkexzh tkjh dh xbZ	bUMsUV la[;k o fuekZ.k lkexzh dh ek=k	LVkd jftLVj i"B la[;k o n'kkZbZ xbZ fuekZ.k lkexzh dh ek=k	ek=k esa fHkUurk	fHkUurk esa lfUufgr dqy jkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½ ¼¼5½& ¼4½½	¼7½
1	सीमेन्ट	श्री पवन कष्यप	के0डी–4–195 सीमेन्ट 115 बोरियां	पृष्ठ संख्या 93 पर 125 बोरियां	10 बोरियां	10x190=1900
2	सीमेन्ट	श्री शंकर दास	बी0एस–132 / 07, 80 बोरियां (इन्डैन्ट पर न तो किसी कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही किसी अन्य प्राधिकारी के)	पृष्ठ सं0 65 पर 77 बोरियां तथा पृ0सं0 72 पर 7 बोरियां कुल 84 बोरियां	4 बोरियां	4x170=680

चूंकि स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त विवरणानुसार 14 बोरियां सीमेन्ट अधिक जारी की हुई दर्षाए जाने के कारण इन सीमेन्ट की बोरियों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त विवरणानुसार इन 14 बोरियों की ₹2,580.00 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼?k½ LVkd dk izR;{k lR;kiu u djokuk ¼&

अंकेक्षण द्वारा अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 तक नगर परिषद के स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12, दिनांक 29.01.2010 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सोलन से उठाने के पष्चात कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा परिशिष्ट ''झ'' स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन के सन्दर्भ में पत्र संख्या सोलन–11–नगर परिषद–106–4–650–652, दिनांक 19.2. 2010 द्वारा आदेश पारित तो किए थे किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक स्टॉक का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार यह आदेश महज़ एक औपचारिकता प्रतीत होती है। अतः एक और जहां 1.4.2007 से 31.3.2010 तक स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने अपने आप में गंभीरता का परिचायक है, वहीं दूसरी ओर अंकेक्षण के दौरान भी इस ओर महज़ औपचारिकता निभाने की कोशिश करना भी प्रभावषाली प्रषासनिक नियन्त्रण खो देने का परिचायक है क्योंकि उपरोक्त आदेषों की अवहेलना से स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकारी अधिकारी का अपने अभियन्ताओं व कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं है। इस प्रकरण में जहां सम्बन्धित कर्मचारी आदेषों की अवज्ञा हेतु उत्तरदायी है वहीं कार्यकारी अधिकारी का उत्तरदायित्व भी उपरोक्त आदेषों के पारित किए जाने के पष्चात समाप्त नहीं होता।

अतः न केवल स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन तत्काल सुनिष्चित किया जाए अपितु 1.4.2007 से 31.3.2010 की अवधि में उक्त सत्यापन न करवाए जाने व उपरोक्त दिनांक 19.2.2010 को पारित कार्यकारी अधिकारी के आदेषों की अनुपालना न हाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में स्टॉक का नियमानुसार वर्षानुवर्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा परिणामों से यथा समय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

7 fuekZ.k dk;Z %&

¼d½ vuqcU/k dh /kkjk 2 ds vUrxZr Bsdsnkjksa ls dk;Z foYkEc ls iw.kZ djus ij Hkh ₹2]07]054-00 dh {kfr iwfrZ jkf'k olwy u djuk %&

निर्माण कार्यों के बिलों व एत सम्बन्धी अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण न करने पर तथा नगर परिषद कार्यालय द्वारा ठेकेदारों के अनुबन्ध पर आवष्यक समय बढौतरी प्रदान न करने की अवस्था में भी ठेकेदारों से अनुबन्ध की धारा 2 मे प्रावधानानुसार वसूली नहीं की गई है जबकि उक्त धारा के अनुसार "In the event of the contractor failing to cemply with this condition, he shall be liable to pay an amount equal to one percent or such smaller amount as the Municipal Council may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of the work remains incomplete provided always that the entire amount of

compensation shall not exceed 10% on the estimated cost of the work shown in the tender”. अतः चयनित मासों में निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹2,07,054.00 की राशि विभिन्न ठेकेदारों से वसूली योग्य शेष थीः–

Ø0 l0	eki iqfLrdk l0 o i"B	dk;Z dk fooj.k	dk;Z izkjEHk djus dh frfFk	dk;Z lekfIr dh fu/kkZfjr frfFk	dk;Z lekfIr dh okLrfod frfFk	dk;Z dh vuqekfur ykxr	{kfriwfrZ jkf'k ¼vuqekfur ykxr dk 10%½
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½
1	संख्या 228 पृ0 73–74	वार्ड न0 3 में लिंक रोड का सुधार	14.3.07	14.4.07	12.10.07	1,55,000	15,500
2	संख्या 235 पृ0 27–31	वार्ड न0 10 में टैंक रोड का सुधार	24.1.07	24.2.07	6.10.07	79,900	7,990
3	संख्या 225 पृ0 57–59	वार्ड न0 3 में चामुण्डा कालोनी मे रास्ते का सुधार	10.10.07	10.11.07	2.7.08	1,59,170	15,917
4	संख्या 234 पृ0 12–13	वार्ड न0 2 में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यालय से आई0टी0आई तक रास्ते का सुधार	4.6.07	4.7.07	17.10.07	2,13,270	21,327
5	संख्या 233 पृ0 60–63	वार्ड न0 10 में वन निगम कार्यालय से श्री भण्डारी तथा श्री उप्पल के घर	20.8.07	20.9.07	13.10.07	1,31,600	13,160

		तक रास्ते का सुधार					
6	संख्या 251 पृ0 3–6	वार्ड न0 6 में जवाहर पार्क से के0आर0बाली के घर तक रास्ते का सुधार	7.7.08	7.8.08	26.2.09	1,23,900	12,390
7	सं0 251 पृ0 6–9	वार्ड न0 13 कलीन में मस्त राम के घर से जालम सिंह के घर तक रास्ते का सुधार	26.5.08	26.6.08	27.2.09	1,41,550	14,155
8	संख्या 242 पृ0 44–53	वार्ड न0 13 में सन्तोषी माता मन्दिर के पास रास्ते का सुधार	1.12.08	1.1.09	2.3.09	1,31,860	13,186
9	संख्या 242 पृ0 42–44	वार्ड न0 5 में Saint Lukesa School के पीछे अनुपमा स्वीट शॉप से कालौनी तक रास्ते का सुधार	4.6.07	4.7.07	28.2.09	1,49,930	14,993
10	संख्या 231 पृ0 16–17	वार्ड न0 3 में कथेड़ में नाली का सुधार	4.6.07	4.7.07	22.10.07	63,800	6,380
11	संख्या 231 पृ0 17–18	वार्ड न0 1 विकास मोहल्ला में नाले व	20.8.07	20.9.07	22.10.07	76,797	7,680

		रास्ते का सुधार					
12	संख्या 250 पृ0 31–35	नगर परिषद के टेबल टैनिस हॉल की मुरम्मत	28.1.09	28.2.09	7.3.09	72,830	7,283
13	संख्या 250 पृ0 24–26	वार्ड न0 3 में नेता जी सुभाष चन्द्र मार्ग का सुधार	2.12.08	2.1.09	2.3.09	1,64,050	16,405
14	संख्या 251 पृ0 14–16	वार्ड न0 8 में जौणा जी मार्ग से शक्ति नगर तक एम्बुलैंस मार्ग का सुधार	12.11.08	12.12.08	9.3.09	2,28,084	22,808
15	संख्या 231 पृ0 19–20	वार्ड न0 3 में बावरा रोड में टैरिंग का कार्य	19.5.07	19.6.07	24.10.07	1,34,300	13,430
16	संख्या 234 पृ0 24–25	वार्ड न0 3 बसन्त बिहार में अग्रवाल बिल्डिंग से कैप्टन राणा के घर तक नाली का निर्माण	4.6.07	4.7.07	30.10.07	44,500	4,450
						dy ;kx	₹2]07]054

अतः ऐसे प्रकरणों में न केवल चयनित मासों की उपरोक्त ₹2,07,054.00 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा ऐसा न होने की अवस्था में सम्बन्धित अभियन्ताओं से सुनिष्चित की जाए अपितु 1.4.07 से 31.3.09 की अवधि में ऐसे सारे प्रकरणों की गणना करके सारी वसूली उपरोक्ततानुसार ही सुनिष्चित करते हुए अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ Bsdsnkjksa dks uxj ifj"kn Hk.Mkj ls lheasV tkjh fd, fcuk fuekZ.k dk;Z djokuk ½&

निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के आयुक्त, नगर निगम षिमला व सभी नगर परिषदों/पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों सचिवों को सम्बोधित पत्र संख्या यू0डी0–एच(एफ)(10)–2/2005, दिनांक 5.9.2005 के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे कि स्टील, सीमेन्ट तथा सी0जी0आई0 शीट इत्यादि की निर्धारित गुणवता व प्रमात्रा के उचित अनुश्रवण (Monitoriaory) हेतु यह आवष्यक है कि यह सारा सामान सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से खरीदकर ठेकेदारों को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों से कार्य उन्हें नगर परिषद द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध करवाए बिना ही निष्पादित करवाया गया यद्यपि इन कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग भी हुआ है जैसा कि इन कार्यों के विरूद्ध दर्षाए गए कृत कार्यों के (nomenclature) से भी स्पष्ट हो जाता है :–

Ø0 l0	dk;Z dk fooj.k	Bsdsnkj dk uke	eki iqfLrdk l[;k o i"B tgka lheasV ls gkus okys dk;ksa dk fooj.k gS	dk;Z dk ¼nomenclature½ o izek=k rFkk bl dk;Z gsrq ekud ds vuqlkj vis{kr lheasV dh izek=k	vis{kr lheasV dh dqy izek=k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
1	वार्ड नं0 11 में राजगढ रोड से तहसील कालौनी तक रास्ते का सुधार	श्री सुरेश कुमार वशिष्ट	209–ए पृष्ठ–69 से 73	(1) P/L 1:6:12 9.63 cubic meter x 2.2 bags percubic meter	21.19 Bags.
				(2) Second Class breck work in Cement mertar 1:6, 7.82 Cubic meter x 1.20 bags per Cubic meter	9.40 bags
				(3) Second Class Half Brick work ih Cement mertar 1:4, 120.40 Squere meter x 0.2/28 bags per square meter	25.62 bags
				(4) R.R massonary/Polygonal R massonery in cement mertar 1:6, 12.34 cubic meter x 1.65	20.36 bags

				bags per cubic meter	
				Total	**76.57 Say 77 bags**
2	वार्ड नं0 1 में बाईपास रोड से नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग कार्यालय तक सड़क का निर्माण	श्री नैन सिंह	244 पृष्ठ 64	(1) P/L cement concrete 1:6:12] 2.61 cubic meter x 2.20 pags/cubic meter	5.74 bags
				(2) R/R marsonaryin half stone in C.C 1:6:12, 36.51 cubic meter x 1.65 bags per cubic meter	60.24 bags
				Total	**65.98 Say 66 bags**
3	जवाहर पार्क व षिल्ली रोड में नगर परिषद के क्वाटरों की मुरम्मत	श्री गुरमीत सिंह	250 पृष्ठ 27 से 31	(1) P/L cement concrete in C.M 1:2:4, 0.337 cubic meter x 6.40 bags per cubic meter	2.15 bags
				(2) P/L cement concrete 1:6:12, 0.66 cubic meter x 2.20 bags per cubic meter	1.45 bags
				(3) P/L cement concrete 1:2:4 in foundation and planth. 0.59 cubic meter x 6.40 bags per cubic meter	3.77 bags
				Total	**16.01 bags say 16 bags**
4	वार्ड नं0 12 में पुराने धोबी घाट में रास्ते का सुधार	श्री नैन सिंह	242 पृष्ठ 53 से 56	(1) P/L cement concrete 1:6:12, 2.52 cubic meter x 2.20 bags per cubic meter	5.54 bags
				(2) R/R Massonary/ Ploygonal onassonary in cement concrete 1:6:12, 38.05 cubic meter x 1.65 bags per cubic meter	62.78 bags
				(3) P/L cement concrete in cement metar 1:2:4, 0.74 cubic meter x 6.40 bags per cubic meter	4.73 bags
				Total	**73.05 say 73 bags**
5	वार्ड नं0 12 में नाले/रास्ते का सुधार	श्री नैन सिंह	248 पृष्ठ 27 से 29	(1) P/L cement concrete 1:6:12, 5.12 cubic meter x 2.20 bags per cubic	11.26 bags

				menter	
				(2) R/R massonary/ polygonal rubble massenary in cement mortar 1:6, 69.48 cubic meter x 1.65 bags per cubic meter	114.64 bags
				(3) P/L 40 mm thick cement concrete flooring in C.M 1:2:4, 24.06 square meter x 0.30 bags per squere meter	7.21 bags
				Total	**133.11 say 133 bags**
6	वार्ड नं0 3 में नेताजी सुभाष चन्द्र मार्ग में सड़क की मुरम्मत	श्री रतन सिह चौहान	250 पृष्ठ 24 से 26	(1) P/L C.C 1:6:12 in foundation and plinth. 3.13 cubic meter x 2.20 bags per cubic meter	6.89 bags
				(2) R/R massonary/ polygonal rubble massonary in cement mortar 1:6, 68.48 cubic meter x 1.65 bags per cubic meter	112.91 bags
				(3) P/L C.C 1:2:4 in foundation and plinth 1.62 cubic meter x 6.40 bags per cubic meter	10.37 bags
				(4) 2nd class brick work in cement mertar 1:6, 3.33 cubic meter x 1.20 bags per cubic meter	3.99 bags
				(5) 15 mm thick plaster in single coat on rough side of the back wall in C.M 1:6, 8.40 square meter x 0.086 bags per squere meter	0.72 bags
				Total	**134.88 say 135 bags**
7	वार्ड नं0 8 में दुर्गा स्टॉल से सोहन लाल के घर तक रास्ते का सुधार	श्री सुमन कुमार	247 पृष्ठ 42–43	(1) P/L cement concrete 1:6:12, 1.95 cubic meter x 2.20 bags per cubic meter	4.29 bags
				(2) providing and fixing per-cast chequeredtiles 20 mm thick lain in	64.59 bags

				floors, treads of steps and landing on a sed of 25mm average thickness of cement mertar 1:4, 174.66 square meter x 0.3698 bags per square meter	
				(3) 15mm thick plaster in single coat on the rough side of brick concrete stonewalls in cement mortar 1:4, 7.68 square meter x 1.3072 bags per square meter	10.03 bags
				Total	**78.91 say 79 bags**
8	वार्ड नं0 12 में जिला कचहरी से आनन्द विहार कलोनी फेज–1 तक रास्ते का सुधार	श्री रतन सिंह चौहान	248 पृष्ठ 25 से 27	(1) P/L cement concrete 1:6:12, 1.89 cubic meter x 2.20 bags per cubic meter	4.19 bags
				(2) R/R massonary/ Polygonal rubble massonary with hard stone of approved quality in cement mortar 1:6, 60.93 cubic meter x 1.65 bags per cubic meter	100.53 bags
				Total	**104.72 bags say 105 bags**

निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त पत्र में दिषा निदेषों के दृष्टिगत अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01, दिनांक 01.01.2010 द्वारा भी उठाया गया था जिसमें अंकेक्षण को उन कारणों व परिस्थितियो ंसे अवगत करवाने हेतु कहा गया था जिनके चलते नगर परिषद सोलन को निदेषक, शहरी विकास के उपरोक्त पत्र की अवहेलना में सीमेन्ट से होने वाले निर्माण कार्य ठेकेदारों को नगर परिषद कार्यालय द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध न करवाने की अवस्था में भी करवाने हेतु बाध्य होना पड़ा।

किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय से अंकेक्षण को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वांछित कारणों व परिस्थितियों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त न केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मास से सम्बन्धित उपरोक्त कार्य अपितु इस प्रकार के अन्य निर्माण कार्यों की भी पहचान करके या तो समस्त ऐसे कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं व

भुगतान बिलों में सक्षम प्राधिकारी से यह सत्यापन करवाया जाए कि सम्बन्धित कार्यों में ठेकेदारों द्वारा अपने स्तर पर उपलब्ध किए गए सीमेन्ट की गुणवता व प्रमात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है तथा यह कार्य नगर परिषद द्वारा अपने जोखिम पर करवाया गया है, और या फिर ऐसे सभी प्रकरणों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच सुनिष्चित करते हुए जाँच के परिणामों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न होना भी सुरिष्चित किया जाए।

¼x½ fofHkUu Bsdsnkjks dks tkjh fuekZ.k lkexzh dh iwjh [kir u gksus o 'ks"k lkexzh Hk.Mkj esa okfil ikIr u gksus dh voLFkk esa Bsdsnkjksa ls ₹93]646-00 dh 'kks"k olwyh

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि ठेकेदारों को जारी निर्माण सामग्री न तो पूरी निर्माण में प्रयोग हुई है और न ही ठेकेदारों द्वारा वापिस भण्डार में लौटाई गई है। ऐसी अवस्था में नियमानुसार ठेकेदारों से निर्माण सामग्री की जारी दर से दुगनी दर (Double the issue rate) पर वसूली की जानी अपेक्षित है :–

Ø0 l0	Bsdsnkj dk uke	fuekZ.k lkexzh dk fooj.k	bUMsUV l0 o fuekZ.k lkexzh dh ek=k	LVkd jftLVj i`"B l0 tgka fuekZ.k lkexzh tkjh n'kkZbZ xbZ gS	eki iqfLrdk dk fooj.k tgka lkexzh dh olwyh dh xbZ gS rFkk lkexzh dh ek=k	LVkd jftLVj dk fooj.k tgka tkjh lkexzh okfil Hk.Mkj esa tek djokbZ xbZ gS rFkk lkexzh dh ek=k	olwyh ;ksX; ek=k rFkk olwyh dk dqy fooj.k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½
1	श्री पवन कष्यप	सीमेन्ट	के0डी0–iv-195 द्वारा115 बोरियां	पृष्ठ–93 पर यह प्रमात्रा 125 बोरियां दर्षाई गई है।	माप पुस्तिका संख्या 244 के पृष्ठ 90 पर 88 बोरियों की वूसली ₹190 प्रति बोरी की गई है।	–	27 बोरियों की वसूली 190x2 = ₹380.00 प्रति बोरी के हिसाब से ₹10,260.00

2	श्री शंकर दास	सीमेन्ट	वी0के0पी–77 द्वारा 100 बोरियां	पृष्ठ 89	माप पुस्तिका सं0 251 पृष्ठ 6 पर 90 बोरियों की वसूली ₹170 प्रति बोरी	–	10 बोरियों की वसूली 170x2 = ₹340.00 प्रति बोरी के हिसाब से ₹3,400.00
3	श्री गुरमीत सिंह	सीमेन्ट	वी0के0पी–52 द्वारा 135 बोरियां	पृष्ठ 85	माप पुस्तिका सं0 251 पृष्ठ 9 पर 130 बोरियों की वसूली ₹180 प्रति बोरी के हिसाब से।	–	5 बोरियों की वसूली 180x2 = ₹360.00 प्रति बोरी के हिसाब से ₹1,800.00
4	श्री विवेक ढोबाल	सीमेन्ट	वी0के0पी0–107 द्वारा 122 बोरियां	पृष्ठ 97 पर 50 बोरियां तथा पृष्ठ 98 पर 72 बोरियां	माप पुस्तिका सं0 251 पृष्ठ 11 पर 113 बोरियों की वसूली ₹190 प्रति बोरी के हिसाब से।	–	9 बोरियों की वसूली 190x2 = ₹380.00 प्रति बोरी के हिसाब से ₹3,420.00
5	श्री बिषन दास	सरिया 10 mm परिधि	के0डी0–III-147 1188 kg	पृष्ठ 24	माप पुस्तिका सं0 244 पर 1000 कि0ग्रा0 की वसूली ₹50 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से।	–	188 कि0ग्रा0 की वसूली 50x2 = ₹100.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹18,800.00
6	श्री अनूप चन्द दत्ता	सीमेन्ट	एम.एल. टी–4–9/2008 द्वारा 70 बोरियां	पृष्ठ 89	माप पुस्तिका सं0 239 पृष्ठ 71 पर ₹190 प्रति बोरी के हिसाब से 18 बोरियों की वसूली।	–	52 बोरियों की वसूली के हिसाब से ₹19,760.00
7	श्री अनूप चन्द दत्ता	सरिया 10 m.m परिधि	एम.एल. टी–4–9/2008 द्वारा 46 कि0ग्रा0	पृष्ठ 24	कोई वसूली की गई नहीं प्रतीत होती है।	–	46 कि0ग्रा0 की वसूली 50x2 = ₹100.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹4,600
8	श्री अनूप चन्द दत्ता	सरिया 8 m.m	एम.एल. टी–4–9/2008	पृष्ठ 18	कोई वसूली की गई नहीं प्रतीत	–	30 कि0 ग्रा0 की वसूली 50x2 = ₹100.00 प्रति कि0

		परिधि	द्वारा 30 कि0ग्रा0		होती है।		ग्रा0 के हिसाब से ₹3,000
9	श्री विषन दास	सरिया 16 m.m परिधि तथा 10 m.m परिधि	के0डी0–II-119 द्वारा 16 m.m =50 kg तथा 10 m.m =20kg	क्रमशः पृष्ठ 30 व पृष्ठ 24	कोई वसूली की गई प्रतीत नहीं होती है।	–	70 कि0ग्रा0 की वसूली 31x2 = ₹62.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹4,340
10	श्री अनूप चन्द दत्ता	सरिया 8 m.m तथा 12 m.m तथा 16 m.m परिधि	बी0एस–173/2007 द्वारा निम्न विवरणानुसार 8 m.m परीधि =571.85 कि0ग्रा0 तथा 12 m.m परिधि =1199.43 कि0ग्रा0 तथा 16 m.m परिधि= 1906.78 कि0ग्रा0 कुल =3678.06 कि0ग्रा0	क्रमशः पृष्ठ 18, 44 तथा 29 पर तथा 16 m.m परिधि के प्रकरण में यह प्रविष्टि 1906.78 के स्थान पर 1907 कि0ग्रा0 की गई है।	माप पुस्तिका सं0 233 के पृष्ठ 44 पर मात्र 3673 कि0ग्रा0 की वसूली ₹31.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से की गई है।	–	5.06 कि0ग्रा0 की वसूली ₹31x2 = ₹62.00 प्रति कि0 ग्रा0 के हिसाब से ₹313.72 अर्थात ₹314.00
11	श्री राजेश कुमार	सरिया 8 m.m तथा 10 m.m परिधि	बी0के0पी0–17 द्वारा निम्न विवरणानुसार 8 m.m परीधि =310.00 कि0ग्रा0 तथा 10 m.m परिधि =441.00 कि0ग्रा0 कुल =75 कि0ग्रा0	क्रमशः पृष्ठ 18 तथा 24 पर	माप पुस्तिका सं0 236 के पृष्ठ 53 पर मात्र 750 कि0ग्रा0 की वसूली ₹34.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से की गई है।	–	एक किलोग्राम की वसूली ₹34x2 = ₹68.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹68.00
12	श्री रमेश शर्मा	सरिया 10 m.m परिधि	बी0के0पी0–54 द्वारा 69 कि0ग्रा0	पृष्ठ–24	माप पुस्तिका सं0 236 के पृष्ठ 89 द्वारा मात्र 66 कि0ग्रा0 की वसूली ₹34.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से की गई है।	–	3 किलोग्राम की वसूली ₹34x2 = ₹68.00 प्रति कि0 ग्रा0 के हिसाब से ₹204

13	श्री श्याम लाल	तारकोल	बी0एस–175 /07 द्वारा 2 ड्रम तारकोल	पृष्ठ 24	माप पुस्तिका सं0 227 पृष्ठ 48 द्वारा प्रारम्भ में इसी कार्य हेतु जारी 40 ड्रम तारकोल की वसूली ₹3,370 प्रति ड्रम के हिसाब से कर ली गई है किन्तु बाद में इसी कार्य हेतु जारी 2 अन्य ड्रमों की वसूली अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं की गई।	–	2 ड्रमों की वसूली ₹3,370 x 2 = ₹6,740 प्रति ड्रम के हिसाब से ₹13,480.00
14	श्री गीता राम	सीमेन्ट	के0डी0 51 द्वारा 35+50=85 बोरियां	पृष्ठ 65 तथा 71 पर क्रमशः 47 तथा 38=85 बोरियां	माप पुस्तिका सं. 228 पृष्ठ 80 द्वारा 55 बोरियां सीमेन्ट की वसूली ₹170 प्रति बोरी के हिसाब से की गई।	–	30 बोरियों की वसूली ₹170 x 2 = ₹340 प्रति बोरी के हिसाब से ₹10,200.00
						dqy ;ksx	₹93]646-00

उपरोक्त प्रकरणां के सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिवाय श्री बी0एस0ठाकुर के जो अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं), उस समय के भण्डार लिपिक तथा सहायक अभियन्ता से भी चर्चा की गई थी किन्तु उपरोक्त दर्षाई गई वसूलियों के अतिरिक्त न तो किसी अन्य वसूली से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया और न ही इन ठेकेदारों से उपरोक्त शेष निर्माण सामग्री वापिस भण्डार में प्राप्त किए जाने सम्बन्धी कोई स्टॉक प्रविष्टि अथवा कोई अन्य दस्तावेज़ अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त शेष निर्माण कार्य सामग्री इन ठेकेदारों से वापिस प्राप्त ही नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त ₹93,646.00 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित करने के अतिरिक्त इन प्रकरणों में कोताही हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि कोताही के ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लग सके।

¼?k½ Bdnkj dk ₹61]240-00 dk lngkLin Hkxrku ¼&

वाऊचर संख्या 468 माह 11/2007 द्वारा श्री विनय मगनाल, ठेकेदार को “Removal of garbage from Ashwari Khud Road from dumping yard Salogra” नामक कार्य के द्वितीय व अन्तिम बिल का ₹61,240.00 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान निम्न कारणों से संदेहास्पद प्रतीत होता है :–

(1) मिट्टी/कूड़ा–कचरा इत्यादि उठवाने का कार्य जे0सी0बी0 के माध्यम से किया गया तथा भुगतान बिल के साथ संलग्न कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय नोट जो कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय नोट जो कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधान द्वारा भी हस्ताक्षरित है के अनुसार यह कार्य आपातकाल स्थिति में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका एक्ट, 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत करवाया गया है क्योंकि दिनांक 11 व 12.8.2007 को अत्याधिक वर्षा के कारण सलोगड़ा में डम्पिंग साईट के पास गांव की ओर जाने वाली सड़क मलवा व कूड़ा कचरा सड़क पर आ जाने के कारण बन्द हो गई थी। नगर पालिका एक्ट की उपरोक्त धारा के अनुसार आपातकाल में ऐसे करवाए गए कार्य की स्वीकृति नगर परिषद की आगामी बैठक में ली जानी अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद कार्यालय उक्त स्वीकृति अंकेक्षण को दर्षाने में असमर्थ रहा है।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु टैन्डर नोटिस इन्वाईटिंग टैण्डर संख्या MCS-Tender-2007-1832-33 dated 7-8-2007 द्वारा आमंत्रित किए गए थे जबकि उपरोक्त कार्यालय नोट के अनुसार सड़क पर मलवा/कुडा कचरा इत्यादि दिनांक 11 तथा 12.8.2007 को अत्याधिक वर्षा के कारण आया था। यह दोनों तथ्य परस्पर विरोधी हाने के कारण संदेहास्पद हैं।

अतः यह प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारीयों के विषेष ध्यानार्थ इस प्रकरण की सुक्षम छानबीन व चूककर्त्ताओं के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करने के अतिरिक्त अनुचित भुगतान यदि कोई हो की वसूली के उद्देष्य से लाया जाता है।

¼3½¼1½ fuek.k dk;k d ₹1]70]04]410-00 l vf/kd #i; d V.Mj ukfVl dk idkf'kr u djokuk ¼&

निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेषों के अनुसार यदि टैण्डर की अनुमानित राशि ₹50,000.00 से अधिक है तो कार्य के टैण्डर नोटिस का क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाषन अनिवार्य है ताकि टैण्डर जारी

करने वाली संस्था को प्रतियोगी दरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किन्तु नगर परिषद सोलन के निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि उक्त कार्यालय द्वारा ₹50,000.00 की अधिक अनुमानित राशि के टैण्डर नोटिस किसी समाचार पत्र में प्रकाषित किए बिना ही जारी किए गए हैं :–

Ø0 l0	dk;Z dk laf{kIr fooj.k	VS.Mj tkjh djus dh frfFk	VS.Mj dh vuqekfur jkf'k	fVIi.kh
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	C/o Road from NH-22 to Baba Balak Nath temple at Deonghat in word No-1	16.4.06	79,359.00	टैण्डर नोटिस की प्रति किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
2	Restoration of road with pre-mixed carpet surface from HFCL towards Bawra village in ward no-3	16.4.06	67,148.00	टैण्डर नोटिस की प्रति किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
3	R/R of paths from Aggarwal House to tank road in ward no-9 C/o of retaining wall for protection of wall	16.9.06	85,953.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
4	R/R of path from Aggarwal House to tank road in ward no-9 C/o of retaing wall for protection of path near Aggrawal house and Mr. Rohela’s House	16.9.06	95,720.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
5	R/R of path from car parking to tank road in ward no-9	16.9.06	88,692.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
6	C/o retaining wall for protection of road near Mr. kachroo’s house at Basant vihar, word no-1	16.9.06	57,648.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
7	Restoration of path from Subathu road to Sh. Naresh thakur’s house-phase-I in	16.9.06	75,623.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार

	ward no-1			पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
8	Restoration of path from Subathu road to Sh. Naresh thakur's house-phase-II in ward no-1	16.09.06	75,363.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
9	C/o road from NH-22 to Police line in word no-3	16.9.06	63,932.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
10	R/R of path from main road to Baba Balak Nath Temple in ward no-1	09.05.07	90,970.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
11	R/R of Power House Road in ward no-1	09.05.07	94,929.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
12	R/R of road from Power House Road to HPSEB office and towards S.E residence and link road from Gurdwara road in ward no-1	09.05.07	91,430.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
13	Improvement fo Thodo ground at Solan	09.05.07	54,752.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
14	Restoration of path from upper bazzar to Jawahar park in ward no-6	09.05.07	94,346.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
15	R/R of nalah from Hari Mandir to onward side in word no-7	09.05.07	97,385.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
16	R/R of Path and drain from Katla Nala towards primary school Pajo in woard no-11	09.05.07	99,954.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
17	R/R of path from Sh.Raheja's House to Sh. Aggarwal's house	09.05.07	99,600.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार

	in Madhuban Colony ward no-9			पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
18	R/R of housing board colony in ward no-13	09.05.07	96,635.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
19	C/o stage artest accommodation at Thodo ground-Sanitary work	09.05.07	96,091.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
20	R/R of path and drain from Anand Complex to Municipal Park ward no-2	20.6.07	60,214.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
21	R/R of path from Rajgarh road near DC office towards Sh. Sanjay Aggrawal's house and Sh. R.K. Sandial's house in word no-6	20.06.07	77,655.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
22	R/R of path from Vijay Chand shop to telephone exchange in ward no-6 (phase-I)	20.6.07	68,730.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
23	R/R of path from Vijay Chand's shop to telephone exchange in ward no-6 (phase-II)	20.6.07	70,239.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
24	R/R of nalah at Shakti Nagar in ward no-8 (phase-I)	20.6.07	95,621.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
25	R/R of nalah at Shakti Nagar in ward no-8 (phase-II)	20.6.07	95,621.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
26	C/o Hume pipe drain from Bragta house to culvert behing hari mandir in ward no-11	20.6.07	97,917.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
27	C/o path and drain from Sh. Rakesh's shop to Basheer house	20.6.07	52,816.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार

	in ward no-13			पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
28	C/o drain from Sh. Dinesh Kashyap's house to road near Negi's house at housing board colony ward no-13	20.6.07	1,27,475.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
29	R/R of drain from Sunny side road to path adjoining Kwatra's building in ward no-12	20.6.07	1,29,454.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
30	R/R of nalah from Sh. Naresh thakur's house to subathu road in ward no-1	20.6.07	52,816.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
31	R/R of path near Giani Advocate's house in ward no-1	20.6.07	53.149.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
32	R/R of path at chamunda colony in ward no-3	7.8.07	99,181.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
33	R/R of path and nalah from Sh. Kamal's house towards Gurkha Dhaba in ward no-3	7.8.07	96,092.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
34	Removal of garbaj from Ashwani Khud slider from garbage dumping yard Salogra in ward no-4	7.8.07	97,587.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
35	R/R of path and nalah from Rajgarh road towards Dhobighat at Kota nala in ward no-11	7.8.07	99,857.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
36	R/R of path from Sh.Uidya Sagar's house in ward no-11	7.8.07	97,089.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
37	R/R of path and drain at Kaleen in ward no-13	7.8.07	96,771.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित

				नहीं की गई।
38	R/R of path and nalah from Santoshi Mata mandir to primary school Kaleen in ward no-13	7.8.07	77.366.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
39	Restoration of path near house of Sh. Sinah and Sh. Manoj's house in ward no-1	26.6.07	88,477.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
40	Improvement of path from Dhobighat near house of Sh. Shankar and Rajender Sharma in ward no-1	26.6.07	97,192.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
41	Restoration of path from ITI road towards Lal kothi in ward No-2	26.6.07	80,358.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
42	C/o Staers and drain behind control Library in ward no-3	26.6.07	52,125.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
43	C/o Drain from Brahm Kumari building to Divya Swarup Ashram at Jawahar park road in U shape drain ward No-6	26.6.07	54,490.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
44	C/o drain from Brahm Kumari Building to Divya Swarup Ashram at Jawahar park road in ward No- 6 stone soling and concrete pavement	26.6.07	82,134.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
45	C/o drain on road side of lower housing board colony in ward No-13	26.6.07	71,281.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
46	R/R of path and drain neat Bassi House at housing board colony in ward No-13	26.6.07	62,078.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
47	Restoration of Jawahar park in ward No-6	26.6.07	98,432.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार

				पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
48	R/R of nalah from PTI house to Sunder's house at Chambaghat ward No-3	03.01.08	51,742.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
49	C/o Parking at Children park in ward No- 10	03.01.08	58,752.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
50	C/o parking at JBT road in ward No-10	03.01.08	88.334.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
51	C/o Rehar Baser building at Thodo ground C/o Chajja and cement plaster etc.	03.01.08	90,966.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
52	R/R of path/road near Smt Madhu kaushik's Niwas at Summy side ward No-12	3.1.08	54,274.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
53	R/R of nalah from lower housing board colony road to nalah inward No-13	3.1.08	98,802.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
54	R/R of road from NH-22 to Gol tank at housing board colony in ward No-13	03.01.08	55,035.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
55	R/R of door and windows of Asstt. Superintendent Residence and electric fillings of old jail building	03.01.08	93,386.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
56	C/o Slageat Thodo ground SH. Providing of PVC ceiling at stage	03.01.08	52,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
57	R/R of road from Sainik Rest House to jain house in ward No-12 (Phase-I)	14.03.08	94,244.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित

				नहीं की गई।
58	R/R fo road from Sainik Rest House to Jain House in ward no-12. Sub-head C/o R/wall for widening of road in front of Amit Apartment (Phase-II)	14.03.08	94,921.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
59	C/o parking at Children park in ward No-2	14.03.08	97,970.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
60	R/R of path from Saproon Chowk to Railway line via Anand Vihar in ward No-12	14.03.08	73,903.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाष्न हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
61	R/R of nalah from PTI house to Sunder house in ward No-4	27.7.08	99,270.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
62	Coverage of nalah from munia's house towards Hari Mandir in ward No-7 and (Phase-II)	27.7.08	99,259.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
63	Restoration of nalah from Ahuja niwas to Subathu Road in ward No-1(Phase-II)	27.7.08	77,879.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
64	Special repair of Executive office house at Thodo ground-SH- provding of tiles, repair of plaster, sanitary fillings etc.	27.7.08	93,686.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
65	Providing drainking water supply to solan from Giri River-White washing and painting of 10 lac gallon Capacity water tank	27.7.08	76,616.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
66	Restoration of path from Guljari Lal shop to railway line ward No-1	27.7.08	58,689.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।

67	Restoration of path from Deonghat to Railway line in ward No-1	27.7.08	58,689.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
68	C/o road from S.E's residence to Sh. Bhardwaj's house in ward No-1(Phase-I)	27.7.08	99,842.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
69	C/o road from S.E's residence to Sh. Bhardwaj's house in ward No-1(Phase-II)	27.7.08	99,842.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
70	R/R of main water storage tank-SH-white washing and painting of 12 lac, gallon tank	27.7.08	63,488.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
71	C/o Boundry wall for main wheel value in main storage tank of Solan town	27.7.08	80,983.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
72	Providing finishing items for Shops/Stalls at children Park (first floor phase-I)	27.7.08	77,749.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
73	Providing finishing items for Shops/Stalls at Children Park (first floor phase-II)	27.7.08	91,826.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
74	Providing finishing items for Shops/Stalls at Children park (first floor phase-III)	27.7.08	99,417.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
75	Providing finishing items for Shops/Stalls at Children Park (second floor phase-I)	27.7.08	77,749.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
76	Providing finishing items for Shops/Stalls at Children Park (second floor phase-II)	27.7.08	91,826.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित

				नहीं की गई।
77	Providing finishing items for Shops/Stalls at Children Park (second floor phase-III)	27.7.08	99,417.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
78	Providing and fixing railway, Collapseblegate, grills, gate at Municipal rest house, Solan	2.4.08	94,755.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
79	R/R of Municipal guest house	2.4.08	96,991.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
80	R/R of G.M. Residence DIC. Chambaghat	2.4.08	89,001.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
81	Improvement/Development of Children Park	23.4.08	99,582.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
82	Improvement/Development of Children Park-Providing plastic coated chequered tiles on lawn.	23.4.08	75,293.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
83	R/R of path from Gurcharan house to DD Sharma's house-link Thakur house at old Dhobighat in ward no.12	23.4.08	61,331.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
84	C/o Toilet block near Thodo ground-SH C/o Toilet building	11.5.08	93,738.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
85	C/o toilet block near Thodo ground-SH-Sanitary filling	11.05.08	68,774.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
86	R/R of road from main road to Sunny side upto Distt. Court	11.05.08	82,753.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित

				नहीं की गई।
87	R/R of path from D.K. Jain's house to Chawla's house in ward No-12	11.05.08	58,566.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
88	R/R of path from Sh. Khem Raj's house to Sh.I.D. Sharma's house in ward No-11	24.05.08	79,486.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
89	A/R and M/o water supply of Solan town-SH-supply of tools and accessaries	24.05.08	61,790.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
90	A/R and M/o Municipal crematorium at Chambaghat	30.6.08	53,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
91	R/R of garbage dumping site at Salogra- shifting of garbage within dumping yard.	30.6.08	64,000.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
92	R/R of Municipal Propertion at Thodo ground	7.7.08	98,724.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
93	Providing railing and pre-cast chequered tiles from NH to Sapatoo road in ward No-1	7.7.08	95,515.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र में प्रेषित नहीं की गई।
94	R/R of toilets in Municipal office Complex	7.7.08	52,223.00	–यथोपरि–
95	Providing plantation in Solan township under green Solan clean Solan project in ward No 1,2,3,4,9,&10	7.7.08	96,740.00	–यथोपरि–
96	Providing Plantation in Solan township under Green Solan Clean Solan project in ward No-5,8,11,12,&13	7.7.08	96,740.00	–यथोपरि–
97	providing plantation in Solan township	7.7.08	99,850.00	–यथोपरि–

	under Green Solan Clean Solan project			
98	Restoration of rain damage in Solan town-removal of slips etc.	7.7.08	85,969.00	–यथोपरि–
99	Restoration of rain damages reconstruction of retaining wall in ward No-13	1.10.08	50,029.00	–यथोपरि–
100	P/F pre-cast chequerd tiles from railway line to Deonghat in ward No-1	1.10.08	87,379.00	–यथोपरि–
101	Restoration of retaining wall near ghosh house in ward No-7	1.10.08	93,143.00	–यथोपरि–
102	lifting of garbage from Solan Township	1.10.08	65,385.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
103	A/R and M/o Municipal Cremationrium at Chambaghat in ward No-4-SH-Supply of fuel wood	22.10.08	83,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
104	R/R of nalah from near pathania's house to lala Ram's house Shakti nagar ward No-8 (phase-1)	24.10.08	51,698.00	–यथोपरि–
105	R/R nalah from-Sh-C/o Rcc slab over nalah in cement concrete (phase-II)	24.10.08	54,396.00	–यथोपरि–
106	Providing plantation in Solan town under Green Solan Clean Solan project in ward No-2,9 &10	24.10.08	68,538.00	–यथोपरि–
107	C/o Pedstrain path along Rajgarh road from D.C office to HDFC bank	24.10.08	99,574.00	–यथोपरि–
108	R/R of path from Railway line to municipal toilet in ward No-2	24.10.08	88,626.00	–यथोपरि–
109	Improvement of path in Vikas Mohalla and adjoining areas in ward No-I	24.10.08	57,046.00	–यथोपरि–
110	R/R of path opposite Jaineshwar Jain's house in ward	24.10.08	65,847.00	–यथोपरि–

	No-12			
111	R/R of nalah from Ram Chand's house to Sh. Ram Dass welding shop in ward No-3	24.10.08	89,944.00	–यथोपरि–
112	R/R of path near Santoshi Mata Mandir in ward No 13	24.10.08	80,304.00	–यथोपरि–
113	C/o Pedestrain path along D.C. office-SH-C/o Steel frame for path	24.10.08	96,053.00	–यथोपरि–
114	R/M of Municipal roads in ward No-9	24.10.09	80,000.00	–यथोपरि–
115	Restoration of road at Netaji Subhash Chander Marg in ward No-13	24.10.08	96,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
116	R/R of road damages caused due to P/F fire line in lakkar bazaar and Ganj Bazar	24.10.08	79,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
117	R/M of Woarking women Hostel-Sh-Repair of Toilet and sanitary installations	24.10.08	95,600.00	–यथोपरि–
118	A/R & M/o Municipal Crematorium at Chambaghat-Sh- Supply of fuel wood.	15.11.08	83,500.00	–यथोपरि–
119	A/R & M/o Municipal Crematorium at Chambaghat-Sh- supply of fuel wood	2.12.08	83,500.00	–यथोपरि–
120	C/o Wall along Thodo ground road and maintenance of Thodo ground area	3.2.08	97,527.00	–यथोपरि–
121	R/R of i.e. forest road from RD% to 0/420	3.2.08	60,604.00	–यथोपरि–
122	R/R of path from Dada Chela Ram Ashram to Subathu road damaged due to heavy rain (ward No-1)	3.2.08	80,711.00	–यथोपरि–
123	R/R of path from Distt. Court to	3.2.08	75,618.00	–यथोपरि–

	Anand Vihar Colony phase-II			
124	C/o Two wheeler parking in front of Police Chowkin Solan	3.2.08	84,777.00	—यथोपरि—
125	R/R of path damaged due to heavy rain from Sh. Om Parkash's house to Ram Chand's house in ward No-3	3.2.08	68,596.00	—यथोपरि—
126	R/R of nalah from house of Sh.SS Sahni to Hussain Jung house in ward No-11	3.1.09	98,141.00	—यथोपरि—
127	R/R of nalah near HRTC Bus Stand in ward no-2	3.2.09	63,275.00	—यथोपरि—
128	R/R of path from Dhobighat road to Adarsh nagar in ward No-7	3.2.09	73,868.00	—यथोपरि—
129	Improvement of path from Jwala Mandir to new Dhobighat and adjoing area in ward No-7	3.2.09	66,950.00	—यथोपरि—
130	R/R of Kalka Shimla road to parking park at Sunny Side in ward No-12	3.2.09	99,454.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
131	P/L Chequered tiles on steps and path near house of Sh. Rawat and A.K Dhral in ward No3 near flora Hotel	3.2.09	99.741.00	—यथोपरि—
132	C/o Path Behing CMD's residence in ward No-10	3.2.09	97,124.00	—यथोपरि—
133	R/R of path from Distt Court of Anand Vihar Colony Phase-I	3.2.09	77,251.00	—यथोपरि—
134	R/R of path/nalah in ward no-12	3.2.09	88,521.00	—यथोपरि—
135	A/R and M/o Municipal Properties at Thodo ground Solan	3.2.09	98,652.00	—यथोपरि—
136	R/M of solid waste management project at Salogra-Sh- Removal of slips (garbage)	3.2.09	99,645.00	—यथोपरि—
137	R/R of Path from Rajgarh road near Tehsil Colony in ward no-11	3.2.09	55,646.00	—यथोपरि—
138	Providing Cement Concrete in front and back of working	3.2.09	64,080.00	—यथोपरि—

	women hostel in ward No-10			
139	R/R of path from Dhobighat nalah to Devkunj at Dhobighat in ward No-12	3.2.09	52,021.00	–यथोपरि–
140	Improvement of Street light of town supply of street light fixture at Kather in ward No-3	3.2.09	61,050.00	–यथोपरि–
141	C/o car parking behing M.C. Office-SH-cutting in earth work	6.1.09	99,491.00	–यथोपरि–
142	C/o car parking behind M.C. Office-SH- C/o retaining wall for approach road from rest house stairs to upeard side phase-I	6.1.09	65,769.00	–यथोपरि–
143	C/o Car parking behind M.C. Office-SH-C/o retaining wall for approach road from rest house stairs to upward side phase-II	6.1.09	61,869.00	–यथोपरि–
144	C/o Car parking behind M.C.Office-SH-C/o retaing wall for approach road at stair towards rest house	6.1.09	50,711.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई
145	C/o Approach road from Subhash chander Marg to Ser Kaleen in ward No-13-SH-Cutting in earth work	6.1.09	97,278.00	–यथोपरि–
146	C/o Approach road from Subhash Chamder mard to Ser Kaleen in ward No-13-SH-providing retaining wall	6.1.09	97,633.00	–यथोपरि–
147	R/r of path from PWD Colony to Danga upto Balmiki Mandir in ward No-6	31.1.09	75,474.00	–यथोपरि–
148	R/r of Path near Amar's house phase-I to culvert at H.B Colony in ward No-13	31.1.09	59,830.00	–यथोपरि–
149	R/R of path steps from Water source near C.P. Sharma's house to Negi's house at village pajo in ward No-11	31.1.09	57,844.00	–यथोपरि–

150	C/o path and drain from Balbir's house to Railway line at Uday vihar in ward No-I	31.1.09	66,127.00	—यथोपरि—
151	C/o nalah from Subathu road to Ahuja's house in ward No-I	31.1.09	68,931.00	—यथोपरि—
152	R/R of path from salogra road to adjoining area near Tulsi Ram's house in ward No-4	31.1.09	55,600.00	—यथोपरि—
153	C/o path near Sh. Khanna's house at Deonghat in ward No-I	31.1.09	88,500.00	—यथोपरि—
154	C/o Approach road 8/10 mtr width NH-22 to military ground	31.1.09	95,800.00	—यथोपरि—
155	C/o railing from Mittal's house to Basu's house in ward No-9	31.1.09	77,500.00	—यथोपरि—
156	C/o nalah from Tank road from Raman's house ot Chand Building in ward No-9	31.1.09	95,373.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई
157	R/R of path from S.E's residence ot Bhardwaj's house in ward No-I	31.1.09	81,030.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
158	R/r of path from Major Sharms's house to Gautam's house in ward No-I	31.1.09	99,699.00	—यथोपरि—
159	R/r of Road from Nanak villa to pooled accommodation in ward No-10	31.1.09	65,600.00	—यथोपरि—
160	R/r of road from Nanak Villa to Char Khamba in ward No-10	31.1.09	95,400.00	—यथोपरि—
161	R/R of path and drain from Ramesh's shop to nalah at Kaleen in ward No-13	31.1.09	91,290.00	—यथोपरि—
162	R/R of road from D.C's residence in ward No-8	31.1.09	95,400.00	—यथोपरि—
163	R/R of approach road to Thodo ground	31.1.09	88,670.00	—यथोपरि—
164	R/r of approach road Salogra Bus Stand	31.1.09	95,000.00	—यथोपरि—

	to Barad Basti in ward no-4			
165	R/R of nalah from Tilak Raj's house to Shoolini nagar ward No-8	31.1.09	95,000.00	–यथोपरि–
166	R/r of path from Durga Stall to Sohan lal's house in ward No-8	31.1.09	50,222.00	–यथोपरि–
167	C/o proposed parking for M.C at Saproon near Gurdwara in ward No-I	6.2.09	97,800.00	–यथोपरि–
168	C.o Proposed parking for M.C at Saproon near Gurdwara in ward No-I	6.02.09	97,400.00	–यथोपरि–
169	C/o Proposed parking for M.C on Solan Bye pass in ward No-2 SH- foundation footing columm	6.2.09	96,200.00	–यथोपरि–
170	C/o proposed parking for M.C. on Solan Bye pass in ward No-2 SH- Rcc Slab	6.2.09	98,500.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई
171	C/o proposed park for M.C in H.B Colony phase-I in ward No-13-C/o boundry wall	6.2.09	88,600.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
172	C/o proposed park for M.C in H.B Colony phase-I in ward No-13 –SH-C/o nalah	6.2.09	97,199.00	–यथोपरि–
173	R/R of old Dhobighat near Kargil colony in ward No-12	6.2.09	81,110.00	–यथोपरि–
174	C/o Modern Dhobighat in ward no-7	6.2.09	98,500.00	–यथोपरि–
175	R/r of path from Railway line to Dhar Om Sing's house in ward No-13	6.2.09	89,438.00	–यथोपरि–
176	R/r of nalah in ward No-3	6.2.09	89,438.00	–यथोपरि–
177	R/R of path in kather patti in ward No-3	6.2.09	99.647.00	–यथोपरि–
178	R/M of Municipal Office/Rest house	6.2.09	98,957.00	–यथोपरि–
179	C/o pedestrial path along kalka Shimla road valley side	6.2.09	98,500.00	–यथोपरि–
180	C/o pedestrial path –Sh-C/o path from	6.2.09	99,500.00	–यथोपरि–

	hawaghar to sanjeevni hospital			
181	C/o Approach road behind Tehsil	6.2.09	99,271.00	–यथोपरि–
182	R/R of old Sirmour road Khundi Dhar in ward No-11	6.2.09	78,225.00	–यथोपरि–
183	R/R of path/Steps from Roop Ram's house to Ram's house ot Ram Lal's house in ward No-11	6.2.09	98,475.00	–यथोपरि–
184	P/F steel railing in ward No-11 KhundiDhar	6.2.09	54,528.00	–यथोपरि–
185	R/R of path from Wine shop in Thakur Building Kotla nala	6.2.09	77,174.00	–यथोपरि–
186	R/M of path/nalah near pathania's house to Guleria's house in ward No-8	6.2.09	86.868.00	–यथोपरि–
187	R/R of path from Kwalras house towards Amarjeets house in ward No-12	6.2.09	56,928.00	–यथोपरि–
188	C/o path near Distt. Court in ward No-12	6.2.09	88,021.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
189	R/M of Street light of Solan Town-SH- Supply of G.I. Pipe brackets and clamps.	6.2.09	81,000.00	–यथोपरि–
190	Installation of electric poles in different wards of Solan	6.2.09	75,450.00	–यथोपरि–
191	C/o Shop near rain shelter at Saproon for excise Department	6.2.09	85,600.00	–यथोपरि–
192	R/M of path near Chamunda Mandir in ward No-3	6.2.09	95,756.00	–यथोपरि–
193	R/M of path from Palam road to Parking near Madhu ban colony in ward No-9	6.2.09	90,526.00	–यथोपरि–
194	R/M of Street from Rajeev Sood house ot Kamal Niwas in ward no-8 Shakti Nagar	6.2.09	69,688.00	–यथोपरि–
195	R/R of nalah near Dropta Devi's house in ward no-11	6.2.09	71,600.00	–यथोपरि–

196	C/o road from tank road to Chaurighati in ward No-10	6.2.09	70,983.00	—यथोपरि—
197	C/o path from Negi's house to Durga Dutt's house ser kalen in ward No-13	6.2.09	79,562.00	—यथोपरि—
198	C/o nalah adjoining modern School to Chamela Ram's house in ward No-8	6.2.09	82,907.00	—यथोपरि—
199	Prepration of architectural drawings designs and surveying works	6.2.09	90,000.00	—यथोपरि—
200	R/M of path from Dhobighat road to Adarsh nagar	6.2.09	77,000.00	—यथोपरि—
201	R/R of path behind Ghanshyam's house to friends colong in ward no-4	6.2.09	95,414.00	—यथोपरि—
202	R/M of Circular road Solan	6.2.09	85,800.00	—यथोपरि—
203	R/M of ambulance road Shakti Nagar	6.2.09	95,000.00	—यथोपरि—
204	providing Chequered tiles behind working women hostel ward No-10	6.2.09	55,000.00	टैण्डर नोटिस की प्रति प्रकाषन हेतु किसी भी समाचार पत्र को प्रेषित नही की गई
205	C/o Approach road netagi Subhash Chander Marg to G.P.S. Kaleen	6.2.09	92,960.00	—यथोपरि—
206	R/M of path at Chaurighatti from Amar Singh Shop Stairs to water tank in ward No-10	6.2.09	95,000.00	—यथोपरि—
207	providing of Chequered tiles from hospital road to S.D.M residence in ward No-10	6.2.09	65,000.00	—यथोपरि—
		dy ;kx	₹1]70]04]410-00	

उपरोक्त 207 प्रकरणों के अतिरिक्त वास्तु सेवाओं (Architectural services) सम्बन्धी निम्नलिखित 4 टैण्डर भी बिना किसी समाचार पत्र में प्रकाषन के ही जारी किए गए जिनका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :—

Ø0 l0	dk;Z dk laf{kIr fooj.k	frfFk	VsaMj dh vuqekfur jkf'k	fVIi.kh
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	Arichitectural services regarding maps, detailed estimates and structural drawings of proposed parking complex behing Municipal Building	11.05.08	One job of ₹60.00 lacs approximately	टैण्डर नोटिस की प्रति किसी समाचार पत्र को प्रेषित नहीं की गई।
2	Architectural Services regarding prepration of maps, detacted estimated and structural drawings of proposed parking complex at Sunny Side	11.05.08	One job of ₹30.00 lacs approximately	–यथोपरि–
3	Architectural Services regarding prepration of maps, detacted estimated and structural drawings of proposed parking complex at D.C office, Solan	11.05.08	One job of ₹20.00 lacs approximately	–यथोपरि–
4	Architectural Services regarding prepration of maps, detacted estimated and structural drawings of proposed Various miscellaneous Building within Municipal area	11.05.08	Different job of ₹50.00 lacs approximately	–यथोपरि–

अतः टैण्डर प्रकाषन में कृत कोताही के सन्दर्भ में ठोस कारणों सहित अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के अतिरिक्त कोताही हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूक कर्त्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही सुनिष्चित की जाए व उक्त अनियमितता के नियमानुकूलन हेतु समूचित कार्रवाई करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼3½¼2½ ₹57]83]174-00 ds VsaMj ukfVlksa dk lekpkj i=ksa esa izdk'ku lqfuf'pr u djuk %&

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेषों तथा निर्माण कार्य नियमों के अनुसार ₹50,000.00 से अधिक की अनुमानित राशि के टैण्डर नोटिस का क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं हिमाचल प्रदेश गिरिराज में प्रकाषन अनिवार्य है। किन्तु नगर परिषद, सोलन निम्नलिखित प्रकरणों के सन्दर्भ में टैण्डर नोटिस के प्रकाषन के सन्दर्भ में कोई दस्तावेज़ जैसे की प्रकाषित टैण्डर

नोटिस की प्रति अथवा सम्बन्धित समाचार पत्र से प्रकाषन से सम्बन्धित कोई बिल अथवा कोई अन्य दस्तावेज़ अंकेक्षण को बारम्बार अनुरोध के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनके अभाव में इन टैण्डर नोटिसों का सम्बन्धित समाचार पत्रों/गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाषन संशयपूर्ण है :–

Ø0 l0	dk;Z dk laf{kIr fooj.k	VsaMj uksfVl tkjh djus dh frfFk	VsaMj dh vuqekfur jkf'k	fVIi.kh
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	Repair and restoration of and nalah near ITI in ward No-2	7.7.2007	1,34,447.00	टैण्डर नोटिस की प्रति गिरिराज साप्ताहिक को पृष्ठांकित तो दर्षाई गई है किन्तु इसके वास्तव में प्रकाषन सम्बन्धी कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	Repair and restoration of path and drain from Sh. karam Chand house to nalah at Kather bye pass in ward No-3	7.7.07	1,29,933.00	–यथोपरि–
3	Repair and restoration of nalah from Rajgarh road towards the house of Sh. R.K. Rana in ward No-11	7.07.07	1,96,960.00	–यथोपरि–
4	R/R of nalah from D.C Office to Dhobighat in ward No-12	7.07.07	1,34,447.00	–यथोपरि–
5	R/R of nalah from house of Sh. Nahar Singh to Municipal Staff quarters in ward no-12	7.07.07	1,34,447.00	टैण्डर नोटिस की प्रति गिरिराज साप्ताहिक को पृष्ठांकित तो दर्षाई गई है किन्तु इसके वास्तव में प्रकाषन सम्बन्धी कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
6	Supply of garbage Cantainer Closed type 4.50 cumtr capacity fabricated from 3.15mm thick MS. Sheet inbottom 1.66mm sheet on top 2.50mm sheet on	29.9.07	3,44,000.00	–यथोपरि–

	all side			
7	A/R and M/o water supply scheme at Solan-supply of water supply fittings	29.9.07	2,96,058.00	—यथोपरि—
8	Development of dumping yard of Municipal council at Bajrol	16.1.08	29,47,384.00	टैण्डर नोटिस की प्रतियां दिव्य हिमाचल व गिरिराज साप्ताहिक को पृष्ठांकित तो दर्षाई गई है किन्तु इस टैण्डर नोटिस के इन समाचार पत्रों में वास्तव में प्रकाषन सम्बन्धी कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
9	Repair and maintenance of municipal Street lights at Solan Supply of 9.00 RM length tubelor pole	4.7.08	3,25,000.00	टैण्डर नोटिस को गिरिराज साप्ताहिक, हिम केसरी धर्मषाला व हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाषित करने के सन्दर्भ में पत्र संख्या MC-SLN-Tender/2008-2456-58, दिनांक 7.7.08 की प्रतियां तो अंकेक्षण को दर्षाई गई किन्तु इस टैण्डर नोटिस के वास्तव में इन समाचार पत्रों में प्रकाषन सम्बन्धी कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
10	Repair and maintenance of Municaipal Street light at Solan-Supply of 7.00 RM length tubelor pole	4.07.08	4,50,000.00	—यथोपरि—
11	R/R of ambulance road from jaunaji road to Shakti Nagar in ward No-8	10.9.08	1,42,731.00	टैण्डर नोटिस को गिरिराज साप्ताहिक व हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाषित करने हेतु पत्र संख्या MC-SLN-Tender/2008-3452-53, दिनांक 15.9.08 की प्रतियां तो अंकेक्षण को दर्षाई गई किन्तु इस टैण्डर नोटिस के इन

				समाचार पत्रों में वास्तव में प्रकाषन सम्बन्धी कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
12	Restoration offort culvert in Hari Mandir in ward No-11	10.9.08	2,74,446.00	–यथोपरि–
13	Providing wooden flooring badminton hall at Thodo ground	10.09.08	1,38,874.00	–यथोपरि–
14	Repair and restoration of path near ITI in ward No-2	10.09.08	1,34,447.00	–यथोपरि–
		d|y ;kx	**₹57,83,174.00**	

अतः उपरोक्त टैण्डर नोटिसों के वास्तव में उपरोक्त समाचार पत्रों/गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाषन सम्बन्धी दस्तावेज़/अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं, अन्यथा इस टैण्डर नोटिसों को प्रकाषित न करवाए जाने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण दिए जाने के साथ–साथ इस प्रकार की अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुकूलन करवाया जाए।

¼p½ <u>ey ikôyu l vf/kd fuek.k dk;l gku i j Hkh fopyrk ¼**Deviation**½ l{ke ikf/kdkjh l vuekfnr djok, fcuk ₹1]62]008-00 dk vfu;fer Hkxrku</u> ¼&

निम्नलिखित निर्माण कार्य बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि कृत निर्माण कार्य की वास्तविक लागत मूल प्राक्कलन से बढ़ने पर भी ठेकेदारों को कृत कार्यों का भुगतान बिना सक्षम प्राधिकारी से विचलता (Deviation) अनुमोदित करवाए हुए किया गया है जबकि ऐसे प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश पालिका संहिता, 1975 के नियम 189(बी)(3) के अनुसार कार्य पूर्ण करने से पूर्व मूल प्राक्कालन में आवष्यक संषोधन निर्धारित प्रपत्र पर आवष्यक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। चूंकि इन प्रकरणों में भुगतान बिना विचलता को अनुमोदित करवाए हुए किया गया है अतः यह भुगतान नियमानुसार अनुचित है जिनका नियमन विचलता को अनुमोदित करवाकर किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित की जाए :–

ok0 l0 o ekg	dk;l dk fooj.k	vuekfur jkf'k ¼#i;k e½ ¼ey	Hkxrku dh xbl jkf'k	fopyrk@vUrj ¼#i;k e½

		ikôyu½	¼#i ;k e½	
433 माह 11/07	वार्ड नं0–3 में चामुण्डा कालौनी में रास्ते व नाले का सुधार/मुरम्मत	₹1,53,750.00	₹1,81,986.00	₹28,236.00
443 माह 11/07	वार्ड नं0–3 कथेड़ में सब्जी मण्डी के पास पानी के टैंक का निर्माण	₹1,10,100.00	₹1,15,528.00	₹5,428.00
492 माह 11/07	हाऊसिंग बोर्ड कालौनी वार्ड नं0–13 में रास्ते व नाली का सुधार	₹70,554.00	₹78,532.00	₹7,978.00
427 माह 11/07	वार्ड नं0–2 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड वर्कषाप से आई0टी0आई0 तक रास्ते का सुधार	₹2,13,270.00	₹2,25,660.00	₹12,390.00
449 माह 11/07	वार्ड नं0–10 में वन निगम कार्यालय से श्री भण्डारी व श्री उप्पल के घर तक रास्ते का सुधार	₹1,31,600.00	₹1,38,803.00	₹7,203.00
811 मई 3/09	वार्ड नं0–13 में सन्तोषी माता मन्दिर के पास रास्ते का सुधार	₹1,31,860.00	₹1,47,567.00	₹15,707.00
816 माह 3/09	ठोड़ो ग्राऊण्ड सोलन में नगर परिषद की सम्पतियों की वार्षिक मुरम्मत व रख–रखाव	₹98,652.00	₹1,62,439.00	₹63,787.00
832 माह 3/09	वार्ड नं0–12 में नाले/रास्ते की मुरम्मत व सुधार	₹1,65,381.00	₹1,54,912.00	₹10,469.00
431 माह	Restoration of road with pre-mix carpet surface from	₹1,34,300.00	₹1,45,110.00	₹10,810.00

11/07 HFCC towards Bawra Village
(Bawra Road) in ward No-3

d|y ;kx	₹1]62]008-00

¼N½ okLrfod fuek.k dk;l ykxr d LFkku ij Hkxrku vuekfur ykxr l djuk

नगर परिषद के निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान निम्न प्रकरणों में कुल वास्तविक लागत के आधार पर करने की बजाए अनुमानित तौर पर Awarded amount of the contract पर सीमित करके किया गया है जो कि एक अनुचित प्रक्रिया है जैसा कि पूर्व में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के अंकेक्षण पैरा 7(1)(ङ) द्वारा भी स्पष्ट किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा यह अनुचित प्रक्रिया मात्र इसलिए अपनाई जा रही है कि ताकि मूल प्राक्कलन का संषोधन अथवा Deviation इत्यादि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से न करवानी पड़े तथा एत सम्बन्धी औपचारिकताओं से बचा जा सके। इस प्रकार भुगतान राशि कम किए जाने बारे संविदाकारों/ठेकेदारों से लिखित कोई वार्तालाप अथवा कोई अन्य दस्तावेज भी कार्यालय द्वारा न लिया जाना अपने आप में एक अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनुचित प्रक्रिया को निष्चित तौर पर रोका जाए।

Ø0 l0	ok0 l0 o ekl	fuek.k dk;l dk fooj.k	d'r dk;l dh d|y okLrfod ykxr	Hkxrku gr| lhfer dh xbl jkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	424 माह 11/2007	वार्ड नं0 11 में जल स्त्रोत से प्राथमिक पाठषाला पाजों तक रास्ता निर्माण कार्य	₹72,858.00	₹72,842.00
2	433 माह 11/2007	वार्ड नं0–3 में चामुण्डा कलौनी में रास्ते व नाले का सुधार/मुरम्मत	₹1,82,682.00	₹1,81,986.00

3	494 माह 11/2007	वार्ड नं.–11 में राजगढ़ मार्ग पर पषु चिकित्सालय, कोटला नाला के पास नाले का सुधार	₹2,28,429.00	₹2,24,084.00
4	452 माह 11/2007	वार्ड नं0–10 में टैंक रोड का सुधार	₹81,039.00	₹79,865.00
5	453 माह 11/2007	वार्ड नं0–10 में जे0बी0टी0 संस्थान के निकट पांर्किंग व रास्ते का सुधार	₹1,12,967.00	₹1,12,941.00
6	427 माह 11/2007	वार्ड नं.–2 में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड वर्कषॉप से आई0टी0आई0 तक रास्ते का सुधार	₹2,32,676.00	₹2,25,660.00
7	449 माह 11/2007	वार्ड नं0–10 में वन निगम कार्यालय से श्री भण्डारी व श्री उप्पल के घर तक रास्ते का सुधार	₹1,39,299.00	₹1,38,803.00
8	428 माह 11/2007	विकास मोहल्ला वार्ड नं0–1 में नाले व रास्ते का सुधार	₹75,221.00	₹72,945.00
9	429 माह 11/2007	वार्ड नं0–1 में ज्ञानी एडवोकेट के घर से गौतम हाऊस तक रास्ते का सुधार	₹75,472.00	₹70,501.00
10	826 माह 3/2009	वार्ड नं0–6 में नाली व रास्ते का सुधार मिट्टी व मलवा उठाना	₹21,073.00	₹19,494.00

¼t½ <u>okÅpj l¡[;k 459] ekg 11@2007 jkf'k ₹54]545-00</u> ¼&

इस वाऊचर द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, ठेकेदार को ''वार्ड नं0–6 में जवाहर पार्क में रास्ते की मुरम्मत व सुधार–उप शीर्ष डंगे का निर्माण कार्य'' के प्रथम व अंतिम बिल के रूप में ₹54,545.00 का भुगतान किया गया है। इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(1) इस कार्य में अन्य मदों के साथ–साथ निम्नलिखित मदों का भुगतान भी किया गया है जैसा कि माप पुस्तिका संख्या 235, के पृष्ठ–33 से 35 पर प्रविष्टियों तथा तत्सम्बन्धी Contingent Bill के साथ संलग्न प्रथम व अन्तिम चलत बिल में प्रविष्ट कार्य के विवरण से स्पष्ट है :–

Ø0 l0	dk;Z dk fooj.k	dk;Z dh ek=k ?ku ehVj esa	Hkqxrku nj izfr ?ku ehVj	dqy Hkqxrku
1	Removal of Slips in all kinds of soil, garbage upto all lead and lift stacking of serviceable material and disposal of the unserviceable material upto all lead.	18.35	₹90.00	₹1,652.00
2	Excavation in earth work and disposal of excavated earth upto all lead and lift.	13.77	₹90.00	₹1,239.00
3	Carriage of excavated earth by manual labour including loading and unloading and stacking for adistance of 200 mts.	32.12	₹100.00	₹3,212.00
4	Carriage of excavated earth by mechanical transport indueding	32.12	₹100.00	₹3,212.00

loading and unloading
upto all lead in lift

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 3 तथा 4 पर वर्णित मिट्टी की प्रमात्रा अर्थात 32.12 घनमीटर क्रम संख्या 1 तथा 2 पर वर्णित मिट्टी की प्रमात्राओं अर्थात 18.35 घन मीटर तथा 13.77 घनमीटर को जोड़कर बनी है तथा यदि उपरोक्त क्रम संख्या 1 तथा 2 पर वर्णित कार्यों का विवरण देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ठेकेदार द्वारा मलवे की मिट्टी (removal of slips) तथा (Excavation) द्वारा काटी गई मिट्टी (all lead and lift) तक फैंकी जानी थी तथा ऐसी अवस्था में क्रम संख्या 3 तथा 4 पर दर्षाया गया कार्य तर्क संगत नहीं है अपितु अनुचित है। अतः इस ₹3,212 + ₹3,212 = ₹6,424.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार तथा ऐसा न होने की अवस्था में उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(2) बिल के साथ संलग्न सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (श्री बी0एस0 ठाकुर) के कार्यालय नोट जिसपर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर भी है, के अनुसार यह कार्य आपात काल परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका एक्ट, 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत करवाया गया है क्योंकि 11 व 12 अगस्त 2007 को अत्याधिक वर्षो के कारण land slide हो गया तथा मलवा पहले से ही विद्यमान Retaining wall पर गिरने के कारण उक्त Retaining wall क्षतिग्रस्त हो गई। किन्तु इस कार्य को करवाने की पूर्व अनुमति/sanction न तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और न ही प्रधान से ली गई क्योंकि उक्त कार्यालय नोट पर दोनों प्राधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है यद्यपि यह कार्यालय नोट इन दोनों पदाधारियों को अंकित (mark) किया हुआ दर्षाया गया है तथा उकत कार्यालय नोट सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता ने किस दिन लिखा तथा हस्ताक्षर किया है, यह भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि दोनों के हस्ताक्षरो के नीचे हस्ताक्षर करने की तिथियां अंकित नहीं है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर पालिका एक्त, 1994 की धारा 37 के अनुसार नगरपालिका का प्रधान तथा प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधन तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी आपातकाल में ऐसे कार्य करवाने में सक्षम है किन्तु इस प्रकार आपातकाल में करवाए गए कार्य आगामी बैठक में नगर परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु लाए जाने अपेक्षित हैं। किन्तु नगर परिषद सोलन कार्यालय अंकेक्षण को यह दर्षाने में भी असमर्थ रहा कि उक्त कार्य की स्वीकृति नगर परिषद की किस बैठक में ली गई है।

(3) इस कार्य हेतु निविदाएं Notice Inviting Tender no. MCS-Tender-2007-1832-33, dated 7-8-2007 द्वारा आमंत्रित की गई जबकि कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के उपरोक्त कार्यालय नोट के अनुसार रिटेनिंग वॉल को नुकसान दिनांक 11 तथा 12.8.2007 को हुआ है तथा यह दोनों परस्पर विरोधी तथ्य व उपरोक्त तथ्य यह दर्षाते हैं कि किया गया यह भुगतान संदेहास्पद है व ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर न केवल चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानसुार कार्रवाई अपेक्षित है अपितु उक्त अनियमित भुगतान की वसूली भी उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼>½ Bdnkjkas dk vkcaVr fuekZ.k dk;ksZa dh njksa esa vizR;kf'kr fHkUurk ¼&

नगर परिषद के निर्माण कार्यों के आबंटन सम्बन्धी अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि एक ही प्रवृति के निर्माण कार्यों, जो कि विभिन्न ठेकेदारों को या तो एक साथ और या फिर नगण्य अन्तराल में आबंटित किए हैं, की दरों में अप्रत्याषित भिन्नता पाई गई जिन्हें न्यायोचित ठहराने के समर्थन में कोई विभागीय औचित्य तैयार नहीं किया गया था। प्रीमियम दर में भिन्नता के कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं :–

Ø0 l0	dk;Z dh en	ok- l0 o ekl	fuekZ.k dk;Z dk fooj.k	dk;Z vkcaVu i= l0 o frfFk	nj izfr ;wfuV
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
1	Cutting in earth work	465 माह 11/2007	R/R of path from existing path near Deepak Niwas to Ram Dass's shop in ward No-2	Award letter No 1745 dated 30-7-2007	₹190 per m^3
		429 माह 11/2007	R/R of path near Giani Advocates house to Gautam's house in ward No-1	Award letter No 2886 dated 24-9-07	₹100 per m^3

2	Excavation in earth work	423 माह 11／2007	R/R of link road from existing forest road to colony behind HIMFED Godown at Chambaghat	Award letter No 4930 dated 14-3-2007	₹80 per m^3
		432 माह 11／2007	Improvement of road from Deonghat from the house of Sh. Joginder Singh at Pine Estate in ward no-1	Award letter No 1790 dated 30-7-2007	₹180 per m^3
		425 माह 11／2007	R/R of drain from Sunny side road to path adjoining Kwatras building in ward No-12	Award letter No 2300 dated 24-8-2007	₹110 per m^3
3	Cement Concrete 1:6:12	428 माह 11／2007	Improvement of nalah and path at Vikas Mohalla in ward No-I	Award letter No 2020 dated 20-8-2007	₹1,250 per m^3
		426 माह 11／2007	R/R of ITI road from HPSEB work shop to ITI in ward No-2	Award letter No 2296 dated 23-8-2007	₹1,300 per m^3
4	R.R Massonary	812 माह 3／2009	R/R of path from Rajgarh road to Tehsil colony in ward No-11	Award letter No 433 dated 6-2-2009	₹1,550 per m^3
		832 माह	R/R of path/nalah	Award letter No 440 dated	₹2,050 per m^3

		3/2009	in ward No-12	6-2-2009	
5	Providing from work with steel plates on flat surface	425 माह 11/2007	R/r of drain from Sunny Side road to path adjoining Kwatra's building in ward No-12	Award letter No 2300 dated 24-8-2007	₹110 per m^3
		428 माह 11/2007	Improvement of nalah and path in Vikas Mohalla in ward No-I	Award letter No 2020 dated 20-8-2007	₹145 per m^3
6	Removal of Slips	427 माह 11/2007	R/R of ITI Road from HPSEB workshop to ITI in ward No-2	Award letter No 731 dated 4-6-2007	₹90 per m^3
		454 माह 11/2007	C/o Pume pipe drain in from Bragta house to foot culvert behing Hari Mandir in ward No-11	Award letter No 2888 dated 24-9-2007	₹190 per m^3

चूंकि उपरोक्त प्रकरणों में दरों में अप्रत्याषित भिन्नता के बावजूद भी विभागीय औचित्य तैयार नहीं किए गए जिससे इन भिन्नताओं को उचित सिद्ध किया जा सकता, अतः इस धारणा से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन प्रकरणों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः इन प्रकरणों की विस्तृत जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों अथवा सम्बन्धित कर्मचारियों से सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼.k½ ₹18]000-00 dh jkf'k dk Qthh eLVj jksy dk Hkqxrku ½&

वाऊचर संख्या 437, माह 11/2007 की जांच करने पर पाया गया कि इस वाऊचर द्वारा मस्टर रोल द्वारा 8 मजदूरों का माह 10/2007 की मजदूरी का भुगतान किया गया है। किन्तु इन

मजदूरों द्वारा कृत कार्य की प्रगति का कोई ब्यौरा न तो मस्टर रोल में दर्ज है और न ही सम्बन्धित माप पुस्तिका और न ही इन मजदूरों द्वारा उपयोग में लाई गई किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री का कोई उल्लेख अथवा प्रविष्टियां अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई। इन सब प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में मजदूरों को दर्शाया गया कृत भुगतान प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके अनुचित भुगतान किया गया है। चूंकि इस भुगतान में संलिप्त कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता कहीं अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं तथा नगर परिषद के विद्यमान अभियन्ताओं से चर्चा में कोई सन्तोषजनक प्रत्युत्तर अंकेक्षण को प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस प्रकरण की जांच कर जांच के परिणामों व अनुवर्ती कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, अन्यथा दोषी कर्मचारी से इस भुगतान में संलिप्त राशि की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼r½ Bsdsnkj dks lheSUV tkjh fd, fcuk Bsdsnkj ls lheSUV dh dher ₹1]700-00 olwy djuk ¼&

वाऊचर संख्या 430, माह 11/2007 से सम्बन्धित दस्तावेज़ों की जांच करने पर पाया गया कि श्री भूपेन्द्र सिंह, ठेकेदार से वार्ड नं0–3 (कथेड़–सब्ज़ी मण्डी) में नाली के सुधार नामक कार्य का भुगतान करते हुए माप पुस्तिका संख्या–231 के पृष्ठ–17 द्वारा 10 बोरियां सीमेन्ट की कीमत की वसूली ₹170/– प्रति बोरी के हिसाब से की गई है। किन्तु उक्त ठेकेदार को उक्त कार्य हेतु कोई सीमेन्ट नगर परिषद भण्डार से जारी किया हुआ प्रतीत नहीं होता क्योंकि एत सम्बन्धी न तो कोई इन्डैन्ट अंकेक्षण को सम्बन्धित अभियन्ता से इस सन्दर्भ में चर्चा के बावजूद भी उपलब्ध करवाया गया और न ही एत सम्बन्धी कोई प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में अंकित है। क्योंकि ठेकेदार को सीमेन्ट जारी किए बिना ठेकेदार से सीमेन्ट की कीमत की वसूली संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः इस सन्दर्भ में छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼Fk½ lafonkdkj ls cxSj izfrHkwfr jkf'k ¼**Security amount**½ dkVs gq, Hkqxrku djuk

वाऊचर संख्या 826, माह 3/2009 की जांच करने पर पाया गया कि श्री नैन सिंह, ठेकेदार से वार्ड नं0–6 मे नाली/रास्ते के सुधार–मलवा व मिट्टी उठाने का कार्य वर्क आर्डर संख्या शून्य, दिनांक 30.1.2009 के अन्तर्गत करवाया गया तथा इस कार्य हेतु ₹19,494.00 का भुगतान

किया गया जैसा कि माप पुस्तिका संख्या 247 के पृष्ठ–38–39 के अवलोकन से विदित होता है। ठेकेदार को यह भुगतान बिना किसी प्रतिभूति राशि के काटे हुए ही किया गया है जबकि नियमानुसार ठेकेदार से ₹19,494.00 का 10% भाग अर्थात ₹1,949.00 बतौर प्रतिभूति राशि काटे जाने आपेक्षित थे अतः इस प्रकरण में प्रतिभूति न काटे जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व दोषी कर्मचारी के विरूद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼n½ <u>fuek.k dk;l ¼**Below specification**½ djokuk</u> ½&

निर्माण कार्य सम्बन्धी मानकों के अनुसार यदि निमार्ण कार्य में सीमेन्ट का प्रयोग वांछित प्रमात्रा से (+) अथवा (–) 5% बढाने अथवा घटाने से अधिक अथवा कम होगा तो वह निर्माण कार्य (Below specification) माना जाएगा। नगर परिषद सोलन के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि इन निर्माण कार्यों में 5% की देय भिन्नता (Variation) को घटाने पर भी निमार्ण कार्यों में वांछित सीमेन्ट की प्रमात्रा से कम सीमेन्ट प्रयोग हुआ है जिस कारण यह कार्य (Below specification) है :–

ok0 l0	fuek.k dk;l dk fooj.k	lheUV dh dy l)kfUrd¼**Theoretical**½ [kir@n; 5% fHkUurk d ckn [kir tk okLro e gkuh pkfg, Fkh	lheUV dh [kir tk okLro e dh xbl o bUMUV l[;k	lheUV dh dy de [kir
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
842 माह 3/2009	वार्ड नंम्बर 8 में जौणाजी मार्ग से शक्ति नगर तक एम्बुलैन्स मार्ग का सुधार	सैद्धान्तिक खपत =226.66 बोरियां (–) 5% देय भिन्नता =11.33 बोरियां सीमेन्ट की खपत वास्तव में होनी चाहिए थी =226.66–11.33 =215.33 बोरियां	210 बोरियां इन्डैन्ट सं0 वी0के0पी0–101 द्वारा	5.33 बोरियां
811 माह 3/2009	वार्ड नंम्बर 13 में सन्तोषी माता मन्दिर के पास रास्ते का सुधार	कुल सैद्धान्तिक खपत =113.07 बोरियां (–) 5% देय भिन्नता =5.65 बोरियां सीमेन्ट की खपत वास्तव में होनी चाहिए थी =113.07–5.65 =107.42 बोरियां	105 बोरियां इन्डैंट सं0 वी0के0पी0 –115 द्वारा	2.42 बोरियां

810 माह 3/2009	वार्ड नंम्बर 6 में जवाहर पार्क से के0आर0 बाली के घर तक रास्ते की मुरम्मत व सुधार	कुल सैद्धान्तिक खपत =95.54 बोरियां (–) 5% देय भिन्नता=4.77 बोरियां सीमेन्ट की खपत वास्तव में होनी चाहिए थी = 95.54–4.77=90.77 बोरियां	90 बोरियां इन्डैंट सं0 वी0के0पी0 –77 द्वारा	0.77 बोरियां

अतः कोताही के उपरोक्त गम्भीर प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने व अंकेक्षण को कृत कार्यवाही से अवगत करवाने के उद्देष्य से लाए जाते हैं।

¼?k½ <u>dfUk"B vfHk;Urkvksa ds ,e0,0,l jftLVj vfHkys[k.k esa iLrqr u djuk</u> %&

नगर परिषद के स्टॉक खातों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियनताओं को नगर परिषद भण्डार से सीमेन्ट जारी किया गया है :–

Ø0 l0	dfUk"B vfHk;Urk dk uke	lheUV dh iek=k tks tkjh fd;k x;k g	LVkd jftLVj dk fooj.k tgka lheUV tkjh fd;k gqvk n'kkZ;k x;k g
1	श्री बी0एस0 ठाकुर	130 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 65
2	श्री बी0एस0 ठाकुर	20 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 68
3	श्री बी0एस0 ठाकुर	15 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 70
4	श्री बी0एस0 ठाकुर	15 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 72
5	श्री बी0एस0 ठाकुर	15 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 75
6	श्री बी0एस0 ठाकुर	26 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 77
7	श्री बी0एस0 ठाकुर	24 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 79
8	श्री बी0एस0 ठाकुर	10 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 81
9	श्री बी0एस0 ठाकुर	20 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 83
10	श्री विनोद कुमार पाल	2 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 85

11	श्री विनोद कुमार पाल	8 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 88
12	श्री विनोद कुमार पाल	18 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 88
13	श्री विनोद कुमार पाल	3 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 95
14	श्री विनोद कुमार पाल	3 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 97
15	श्री विनोद कुमार पाल	15 बोरियां	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 99

उपरोक्त जारी किए गए सीमेन्ट के सन्दर्भ में यह तथ्य प्रकाश में लाया जाता है कि अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20, दिनांक 10.2.2010 द्वारा अनुरोध के बावजूद सिवाय श्री विनोद कुमार पाल, कनिष्ठि अभियन्ता के किसी अन्य कनिष्ठ अभियन्ता के एम0ए0एस रजिस्टर अंकेचण में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा श्री विनोद कुमार पाल कनिष्ठ अभियन्ता के एम0ए0एस रजिस्टर में भी उपरोक्त जारी सीमेन्ट के सन्दर्भ में एम0ए0एस0 रजिस्टरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के अतिरिक्त अन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं के एम0ए0एस0 रजिस्टर अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼u½ fuekZ.k dk;Z fcuk ckrphr ¼**Negotiation**½ ds djokus ds dkj.k uxj ifj"kn dks foÙkh; gkfu ½&

वाऊचर संख्या 450, माह 11/2007 की जांच करने पर पाया गया कि इस वाऊचर द्वारा श्री शंकर दास, ठेकेदार को जिलाधीश कार्यालय के निकट रेलिंग का कार्य करने का प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान किया गया है तथा इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज़ों की जांच करने पर पाया गया कि इस कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त ठेकेदार की दरें न्यूनतम थी जैसा कि तुलनात्मक विवरणिका के अवलोकन से विदित होता है तथा जब यह दरें अनुमोदनार्थ सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत की गई तो उक्त अभियन्ता को प्रस्तुत की गई तो उक्त अभियन्ता ने यह दरें अनुमोदित करने की बजाए तुलनात्मक विवरणिका में ही उपरोक्त ठेकेदार को बातचीत (Negotation) हेतु बुलाने के आदेश पारित किए।

किन्तु उपरोक्त आदेषों की अनुपालना बिना ही यह कार्य बिना बातचीत के उसी ठेकेदार को आबंटित किया गया जिसे बातचीत के बाद यह कार्य आंबटित दरों से कम पर आबंटित किया जाना था।

अतः इस प्रकरण मे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही के अतिरिक्त इस प्रकरण में नगर परिषद

कार्यालय को हुई वित्तीय हानि का आंकलन करते हुए वित्तीय हानि की भरपाई भी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼i½ Bdnkj ls ikuh iHkkj dh ₹697-00 dh de dVkSrh %&

निर्माण कार्य से सम्बन्धित वाऊचर संख्या 843, माह 3/2009 तथा माप पुस्तिका संख्या 250, के पृष्ठ–35 की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के टेबल टैनिस हाल की मुरम्मत के सन्दर्भ में श्री प्रेम कुमार, ठेकेदार को कार्य का भुगतान करते समय पानी के प्रभार की ₹697.00 की कम कटौती की गई है क्योंकि इस कार्य के अवॉर्ड लैटर की शर्त संख्या 5 के अनुसार नगर परिषद द्वारा पानी ठेकेदार को उपलब्ध करवाए जाने की अवस्था में कृत कार्य की कीमत (Value of work done) का 1.5% पानी प्रभार के रूप में काटा जाना अपेक्षित है। इस प्रकरण में कृत कार्य की कुल कीमत (Value of work done) ₹68,328.00 है जिसपर 1.5% की दर से पानी प्रभार ₹1,025.00 बनता है तथा उक्त ठेकेदार से इस प्रकरण में मात्र ₹328.00 की कटौती की गई है।

अतः यह स्पष्ट है कि 1025–328=₹697.00 की पानी प्रभार की कम कटौती ठेकेदार से की गई है जिसकी वसूली अब निष्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼Q½ eki iqfLrdkvksa esa xyr x.kuk ds dkj.k Bsdnkjksa dks ₹851-00 dk vf/kd Hkqxrku

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में ठेकेदारों द्वारा कृत कार्य की गणना करते समय जमा अथवा गुणा की गणना त्रुटिपूर्वक करते हुए कृत कार्य की प्रमात्रा उच्चतर ओर (higher side) लेने के कारण ₹851.00 का अधिक भुगतान हुआ है :–

ok0 l0	dk;Z dk fooj.k	en dk fooj.k	dk;Z dh iSek=k tks okLro esa gkuk pkfg, Fkk	=qfViw.kZ eki iqfLrdk esa yh xbZ iSek=k	Hkqxrku dh nj	vf/kd Hkqxrku dh jkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½
427 माह 11/2007	R/R of ITI road from HPSEB work shop to ITI ward in ward	Removal of slips in all kinds of soel but exclude of boulders and rocky portion requiring blasting	44.62 घनमीटर	46.89 घनमीटर	₹90.00 प्रति घनमीटर	₹204.30 अर्थात ₹204.00

	No-2	upto adistance of 20 mts				
812 माह 3/2009	R/R of path from Rajgarh road near tehsil gate towards tehsil colony in ward No-11	Second class brick work using common burnt clay in foundation and plinth in C.M 1:6	7.83 घनमीटर	8.01 घनमीटर	₹3,040.00 प्रति घनमीटर	₹547.20 अर्थात ₹547.00
					dqy ;ksx	₹851-00

अतः उपरोक्त ₹851.00 के अधिक भुगतान की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼c½ Bsdsnkj ls fcØhdj dh ₹20-00 dh de dVkSrh djuk %&

वाऊचर संख्या 837.00 माह 3/2009 की जांच करने पर पाया गया कि श्री विवेक ढोबाल, ठेकेदार से पुलिस चौकी के सामने दुपहिया वाहनों के निर्माण कार्य का भुगतान करते समय निम्न गणनानुसार बिक्रीकर की ₹20.00 की कम कटौती की गई है। जैसा कि माप पुस्तिका संख्या 251 के पृष्ठ–11 के अवलोकन से विदित होता है :–

(1)	कृत कार्य की कुल कीमत (Total value of work done)	=₹1,67,708.00
(2)	उपरोक्त राशि पर 2 प्रतिषत बिक्रीकर जो काटा जाना था	=₹3,354.00
(3)	बिक्रीकर जो ठेकेदार से काटा गया	=₹3,334.00
(4)	कम काटा गया बिक्रीकर	=₹3,354–3,334=₹20

अतः उपरोक्त कम काटे गए ₹20.00 के बिक्रीकर की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित विभाग मे जमा करवाया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼Hk½ Bsdsnkjksa ls fuekZ.k lkexzh dh olwyh mUgsa okLro esa tkjh fuekZ.k lkexzh izek=k ls vf/kd izek=k dh djuk %&

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि ठेकेदारों से निर्माण सामग्री की वसूली उन्हें वास्तव में जारी निर्माण सामग्री प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा की की गई है :–

Ø0 l0	Bsdsnkj dk uke	tkjh dh xbZ oLrq dk fooj.k izek=k o bUMsUV rFkk LVkd jftLVj dk fooj.k	oLrq dh izek=k o dher ftldh olwyh Bsdsnkj ls dh xbZ gS	eki iqfLrdk dk fooj.k tgka Bsdsnkj ls	vfHk;qfDr

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	o lyh dh xbZ gS ¼5½	¼6½
1	श्री शंकर दास	इन्डैन्ट सं0 के0डी0 –2–128 द्वारा 8 एम0 एम0 परिधि का 468 कि0ग्रा0 सरिया जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 128 पर है।	483 कि0ग्रा0 सरिया ₹34.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से	माप पुस्तिका सं0 240, पृष्ठ 14	–
2	श्री मंगलेष्घर शर्मा	इन्डैन्ट सं0 वी0के0 पी0–89 द्वारा 166.00 कि0ग्रा0 सरिया जिसकी प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–24 तथा 30 पर निम्नानुसार है :– 10 एम0एम0 परिघि =69 कि0ग्रा0 16 एम0एम0 परिधि =97 कि0ग्रा0 कुल योग =166 कि0ग्रा0	169.50 कि0ग्रा0 सरिया ₹53.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से	माप पुस्तिका सं0 247, पृष्ठ 14	इन्डैन्ट में सरिए की परिधि नहीं दर्षाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर पर प्रविष्टियों के अनुसार यह प्रमात्रा यथा विवरण स्तम्भ – (3) है।
3	श्री रतन सिंह	इन्डैन्ट संख्या के0डी0 –3–158 द्वारा 10 एम0एम0 परिधि का 104 कि0ग्रा0 सरिया जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 24 पर है।	106 कि0ग्रा0 सरिया ₹50.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से	माप पुस्तिका सं0 244, पृष्ठ 31	–
4	श्री अनूप चन्द दत्ता	इन्डैन्ट संख्या के0डी0 –3–167 द्वारा निम्न विवरणानुसार सरिया 16 एम0एम0 परिधि=85 कि0ग्रा0 8 एम0एम0 परिधि =110 कि0ग्रा0 कुल=195 कि0ग्रा0 उपरोक्त सरिए की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर पर क्रमशः 30 तथा 18 पर है	202 कि0ग्रा0 सरिया ₹50.00 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से	माप पुस्तिका सं0 240, पृष्ठ 21	–
5	श्री रतन सिंह	इन्डैन्ट सं0 बी0एस0 –118/2007 द्वारा सीमेन्ट की 117 बोरियां जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में 117 बोरियां ही की गई है	127 बोरियां सीमेन्ट ₹170/–प्रति बोरी के हिसाब से	माप पुस्तिका सं0 229, पृष्ठ 60	प्रारम्भ में इन्डैन्ट में सीमेन्ट की प्रमात्रा 117 बोरियां दर्षाई गई है जिन्हें बाद में

					127 बोरियां किया गया है तथा इस इन्डैन्ट पर किसी कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
6	श्री शंकर दास	इन्डैन्ट सं0 बी0एस0 –132/2007 द्वारा सीमेन्ट की 77 बोरियां जिनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में 77 बोरियां ही की गई है।	80 बोरियां	माप पुस्तिका सं0 232, पृष्ठ 34	प्रारम्भ मे इन्डैन्ट में सीमेन्ट की प्रमात्रा 77 बोरियां दर्शाई गई है जिन्हें बाद में 80 बोरियां दर्शाया गया है तथा इन्डैन्ट में किसी कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

चूंकि ठेकेदारों से निर्माण कार्य सामग्री की वसूली उन्हें वास्तव में जारी की गई निर्माण कार्य सामग्री की प्रमात्रा से अधिक किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है अतः उपरोक्त प्रकरणों की विस्तृत छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उन कारणों व परिस्थितियों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिनमें नगर परिषद कार्यालय को ऐसा करने पर विवश होना पड़ा।

8 ¼d½ okgukss dh bZ/ku [kir fu/kkZfjr [kir ls vf/kd gksus ds dkj.k ₹2]74]412-00 dh olwyh ¼&

नगर परिषद की अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 की लॉग बुकों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित मानकों से बहुत अधिक थी जैसा की लॉग बुकों पर आधारित तैयार की गई निम्न तालिकाओं से स्पष्ट होता है :–

okgu dk fooj.k	ekg	okgu }kjk ekg esa r; dqy nwjh	ekg esa Mhty dh dqy [kir rFkk okgu }kjk izfr yhVj Mhty ls r; nwjh dh vkSlr	okgu dh okafNr U;wure okafNr vkSlr vk/kkj ij Mhty dh [kir	Mhty dh vf/kd [kir	Mhty dk ewY; izfr yhVj

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½	¼9½
HP-14-3785 डम्पर प्लेसर (औसत 6 कि0 मी0 प्रति लीटर)	4/07	2024 कि0मी0	479 लीटर	4.22 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रति लीटर	337 लीटर	142 लीटर	₹31–34 प्रति लीटर 31.3.09 के मूल्य को आधार मानकर
	5/07	2350 कि0मी0	520 लीटर	4.52 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	392 लीटर	128 लीटर	
	6/2007	2613 कि0मी0	621 लीटर	4.21 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	436 लीटर	185 लीटर	
	7/2007	2196 कि0मी0	513 लीटर	4.28 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	366 लीटर	147 लीटर	
	8/2007	3613 कि0मी0	785 लीटर	4.60 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	602 लीटर	183 लीटर	
	9/2007	2481 कि0मी0	605 लीटर	4.10 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रति लीटर	414 लीटर	191 लीटर	
	10/2007	486 कि0मी0	116 लीटर	4.19 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	81 लीटर	35 लीटर	
	11/2007	2092 कि0मी0	470 लीटर	4.45 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	349 लीटर	121 लीटर	
	12/2007	1423 कि0मी0	320 लीटर	4.45 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	237 लीटर	83 लीटर	
	1/2008	1878 कि0मी0	387 लीटर	4.85 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	313 लीटर	74 लीटर	
	2/2008	1473 कि0मी0	315 लीटर	4.68 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	246 लीटर	69 लीटर	
	3/2008	1983 कि0मी0	444 लीटर	4.47 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	331 लीटर	113 लीटर	
	4/2008	2128 कि0मी0	471 लीटर	4.52 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	355 लीटर	116 लीटर	
	5/2008	4417 कि0मी0	962 लीटर	4.59 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	736 लीटर	226 लीटर	
	6/2008	2932 कि0मी0	640 लीटर	4.58 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	489 लीटर	151 लीटर	
	7/2008	2164 कि0मी0	511 लीटर	4.23 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	361 लीटर	150 लीटर	

	8/2008	2204 कि0मी0	532 लीटर	4.14 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	367 लीटर	165 लीटर	
	9/2008	3253 कि0मी0	791 लीटर	4.11 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	542 लीटर	249 लीटर	
	10/2008	3407 कि0मी0	795 लीटर	4.29 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रति लीटर	568 लीटर	227 लीटर	
	11/2008	1935 कि0मी0	433 लीटर	4.47 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	323 लीटर	110 लीटर	
	12/2008	2980 कि0मी0	709 लीटर	4.20 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	497 लीटर	212 लीटर	
	1/2009	3811 कि0मी0	870 लीटर	4.38 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	635 लीटर	235 लीटर	
	2/2009	2336 कि0मी0	555 लीटर	4.20 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	389 लीटर	166 लीटर	
	3/2009	2852 कि0मी0	680 लीटर	4.19 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	475 लीटर	205 लीटर	
		Mhty dh d|y vf/kd [kir					3683 yhVj	
H.P.14-2960 डम्पर प्लेसर (औसत 6 कि0 मी0 प्रति लीटर)	4/2007	2617 कि0मी0	560 लीटर	4.67 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रति लीटर	436 लीटर	124 लीटर	₹31.34 प्रति लीटर 31.3.09 के मूल्य को आधार मानकर
	5/2007	2252 कि0मी0	481 लीटर	4.68 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	375 लीटर	106 लीटर	
	6/2007	2335 कि0मी0	485 लीटर	4.81 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	389 लीटर	96 लीटर	
	7/2007	2459 कि0मी0	524 लीटर	4.69 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	410 लीटर	114 लीटर	
	8/2007	42 कि0मी0	10 लीटर	4.20 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रति लीटर	7 लीटर	3 लीटर	
	9/2007	186 कि0मी0	40 लीटर	4.65 कि0मी0	–यथोपरि–	31 लीटर	9 लीटर	

			प्रति लीटर			
10/2007	2980 कि0मी0	674 लीटर	4.42 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	497 लीटर	177 लीटर
11/2007	2350 कि0मी0	460 लीटर	5.11 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	392 लीटर	68 लीटर
12/2007	2012 कि0मी0	395 लीटर	5.09 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	335 लीटर	60 लीटर
1/2008	2138 कि0मी0	387 लीटर	5.52 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	356 लीटर	31 लीटर
2/2008	1955 कि0मी0	355 लीटर	5.51 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	326 लीटर	29 लीटर
3/2008	2199 कि0मी0	459 लीटर	4.79 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	367 लीटर	92 लीटर
4/2008	1191 कि0मी0	248 लीटर	4.80 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	199 लीटर	49 लीटर
5/2008	108 कि0मी0	25 लीटर	4.32 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	18 लीटर	7 लीटर
6/2008	1769 कि0मी0	397 लीटर	4.45 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	295 लीटर	102 लीटर
7/2008	2271 कि0मी0	509 लीटर	4.46 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	379 लीटर	130 लीटर
8/2008	2880 कि0मी0	640 लीटर	4.50 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	480 लीटर	180 लीटर
9/2008	2130 कि0मी0	525 लीटर	4.05 कि0मी0	–यथोपरि–	355 लीटर	170 लीटर

				प्रति लीटर				
	10/2008	2212 कि0मी0	535 लीटर	4.13 कि0मी0 प्रति लीटर	6 कि0मी0 प्रतिलीटर	369 लीटर	166 लीटर	
	11/2008	3117 कि0मी0	723 लीटर	4.13 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	520 लीटर	203 लीटर	
	12/2008	1692 कि0मी0	399 लीटर	4.24 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	282 लीटर	117 लीटर	
	1/2009	2252 कि0मी0	500 लीटर	4.50 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	375 लीटर	125 लीटर	
	2/2009	1918 कि0मी0	462 लीटर	4.15 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	320 लीटर	142 लीटर	
	3/2009	2992 कि0मी0	704 लीटर	4.25 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	499 लीटर	205 लीटर	
		Mh t y dh d|y vf/kd [kir					2485 yhVj	
H.P.14-2960 टिप्पर ट्रक औसत 4 कि0 मी0 प्रति लीटर	4/2007	932 कि0मी0	345 लीटर	2.70 कि0मी0 प्रति लीटर	4 कि0मी0 प्रति लीटर	233 लीटर	112 लीटर	₹31.34 प्रति लीटर 31.3.09 के मूल्य आधार पर
	5/2007	1096 कि0मी0	406 लीटर	2.70 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	274 लीटर	132 लीटर	
	6/2007	820 कि0मी0	307 लीटर	2.67 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	205 लीटर	102 लीटर	
	7/2007	886 कि0मी0	329 लीटर	2.69 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	222 लीटर	107 लीटर	

8/2007	835 कि0मी0	319 लीटर	2.62 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	209 लीटर	110 लीटर
9/2007	993 कि0मी0	374 लीटर	2.65 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	248 लीटर	126 लीटर
10/2007	983 कि0मी0	370 लीटर	2.66 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	246 लीटर	124 लीटर
11/2007	429 कि0मी0	165 लीटर	2.60 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	107 लीटर	58 लीटर
12/2007	446 कि0मी0	187 लीटर	2.39 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	112 लीटर	75 लीटर
1/2008	858 कि0मी0	326 लीटर	2.63 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	215 लीटर	111 लीटर
2/2008	798 कि0मी0	297 लीटर	2.69 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	200 लीटर	97 लीटर
3/2008	793 कि0मी0	300 लीटर	2.64 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	198 लीटर	102 लीटर
4/2008	903 कि0मी0	347 लीटर	2.70 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	226 लीटर	108 लीटर
5/2008	930 कि0मी0	308 लीटर	2.68 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	233 लीटर	114 लीटर
6/2008	834 कि0मी0	308 लीटर	2.71 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	209 लीटर	99 लीटर
7/2008	898 कि0मी0	337 लीटर	2.66 कि0मी0 प्रति लीटर	—यथोपरि—	225 लीटर	112 लीटर
8/2008	890 कि0मी0	329 लीटर	2.71 कि0मी0	—यथोपरि—	223 लीटर	106 लीटर

				प्रति लीटर				
	9/2008	821 कि0मी0	310 लीटर	2.65 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	205 लीटर	105 लीटर	
	10/2008	880 कि0मी0	335 लीटर	2.63 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	220 लीटर	115 लीटर	
	11/2008	774 कि0मी0	294 लीटर	2.63 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	194 लीटर	100 लीटर	
	12/2008	733 कि0मी0	273 लीटर	2.68 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	183 लीटर	90 लीटर	
	1/2009	884 कि0मी0	332 लीटर	2.66 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	221 लीटर	111 लीटर	
	2/2009	814 कि0मी0	301 लीटर	2.70 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	204 लीटर	97 लीटर	
	3/2009	840 कि0मी0	316 लीटर	2.66 कि0मी0 प्रति लीटर	–यथोपरि–	210 लीटर	106 लीटर	
		Mhty dh dqy vf/kd [kir					2519 yhVj	
H.P.14-A-5030 महिन्द्र बोलैरो एस0 एल0 एक्स – यूरो–II (हार्ड टॉप)	6/2008	504 कि0मी0	58 लीटर	8.69 कि0मी0 प्रति लीटर	9 कि0मी0 प्रति लीटर	56 लीटर	2 लीटर	₹31.34 प्रति लीटर 31.3.09 के मूल्य को आधार मानकर
	7/2008	604 कि0मी0	70.28 अर्थात 70 लीटर	8.59 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	67 लीटर	3 लीटर	
	8/2008	214	24	8.91	–यथोपरि–	24	–	

	कि0मी0	लीटर	कि0मी0 प्रतिलीटर		लीटर	
9/2008	531 कि0मी0	60 लीटर	8.85 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	59 लीटर	1 लीटर
10/2008	497 कि0मी0	56 लीटर	8.87 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	55 लीटर	1 लीटर
11/2008	728 कि0मी0	91 लीटर	8.00 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	81 लीटर	10 लीटर
12/2008	1141 कि0मी0	148 लीटर	7.71 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	127 लीटर	21 लीटर
1/2009	1128 कि0मी0	146 लीटर	7.73 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	125 लीटर	21 लीटर
2/2009	679 कि0मी0	77 लीटर	8.82 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	75 लीटर	2 लीटर
3/2009	1083 कि0मी0	128 लीटर	8.46 कि0मी0 प्रतिलीटर	–यथोपरि–	120 लीटर	8 लीटर

Mhty dh dqy vf/kd [kir 69 yhVj

¼1½	okgu la[;k ,p0ih0&14&3785¾3683x31-34	₹1]15]425-00
¼2½	okgu la[;k ,p0ih0&14&2960¾2485x31-34	₹77]880-00
¼3½	okgu la[;k ,p0ih0&14&2400¾2519x31-34	₹78]945-00
¼4½	okgu la[;k ,p0ih0&14&,&5030¾69x31-34	₹2]162-00
	dqy ;ksx	₹2]74]412-00

इस प्रकार ईंधन (डीज़ल की अधिक खपत के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समबन्धित कर्मचारियों से उपरोक्त ₹2,74,412.00 की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2002 से 31.3.2007 के पैरा 8(iii) में दर्षाई गई

₹6,60,971.00 की वसूली वर्तमान अंकेक्षण के समाप्त होने तक भी न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाने के साथ–साथ उक्त वसूली भी यथाषीध्र सुनिष्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाहन की औसत पुनः सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर इसकी प्रविष्टि प्रत्येक लॉग बुक मे की जानी सुनिष्चित की जाए तथा प्रत्येक वाहन की ईधन खपत की गणना तदानुसार ही करके कम औसत की वसूली प्रत्येक माह सम्बन्धित चालक से सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ uxj ifj"kn ink/kkfj;k }kjk uxj ikfydk okgu dh gdnkjh u gku d ckotn Hkh okgu i;kx dju d dkj.k ₹16]951-00 dk vi0;; ½&

संयुक्त निदेषक, शहरी विकास के कार्यालय आदेश संख्या यू0डी0–एच(सी)–(10)–9/2002– 10147–10198, दिनांक 15.9.2007, जो कि अन्यों के साथ–साथ सभी नगर परिषदों/पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को भी पृष्ठांकित है, तथा जिसके अनुसार नगर पालिका के वाहन के प्रयोग हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए विभिन्न पदाधारी निर्धारित किए गए हैं, के अनुसार केवल नगर परिषदों/पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पार्षद व कार्यकारी अधिकारी/सचिव ही नगर पालिका वाहन के प्रयोग हेतु हकदार हैं क्योंकि उक्त कार्यालय आदेश इस विषय में जारी सभी दिषा निर्देषों के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस कार्यालय आदेश में उपरोक्त पदाधारियों के अतिरिक्त नगर परिषद/पंचायत कार्यालय में कार्यरत किसी श्रेणी/पद का कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि इन पदाधारियों के अतिरिक्त कोई अन्य पदाधारी/कर्मचारी नगर पालिका वाहन के प्रयोग हेतु सुपात्र नहीं है।

किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि निम्नलिखित पदाधारियों ने उपरोक्त कार्यालय आदेश जारी होने के पष्चात अर्थात 15.9.2007 के पष्चात भी नगर पालिका वाहन का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु किया है जैसा कि वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 (मोहेन्द्रा बोलैरो–एस0एल0एक्स) की लॉग बुक पर आधारित निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

Ø0 l0	fnukd ftl fnu okgu i;kx fd;k x;k	okgu i;kx dju oky inkf/kkjh dk uke@inuke	dy ;k=k ¼fd0eh0 e½	;k=k dk i;ktu o LFkku tgk&tgk ;k=k, dh xb

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	23.7.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सोलन	176 कि0मी0	नालागढ़ नगर परिषद के निर्माण कार्यों की जांच व टैन्डर से सम्बन्धित औपचारिक्ताओं के निरीक्षण के सन्दर्भ में सोलन से नालागढ़ व वापसी यात्रा।
2	27.8.2008	–यथोपरि–	110 कि0मी0	नगर परिषद परवाणु के शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से परवाणु व वापसी यात्रा।
3	26.9.2008	–यथोपरि–	120 कि0मी0	–यथोपरि–
4	29.9.2008	–यथोपरि–	190 कि0मी0	शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से काला अम्ब व वापसी सोलन यात्रा।
5	22.10.2008	–यथोपरि–	133 कि0मी0	शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से षिमला, षिमला में स्थानीय यात्राएं व वापसी सोलन यात्रा।
6	11.11.2008	–यथोपरि–	82 कि0मी0	सोलन से परवाणु शासकीय यात्रा व वापिस सोलन।
7	18.11.2008	–यथोपरि–	81 कि0मी0	–यथोपरि–
8	21.11.2008	–यथोपरि–	85 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु स्थानीय यात्रा व वापिस सोलन शासकीय कार्य के सन्दर्भ में।
9	2.12.2008	–यथोपरि–	180 कि0मी0	सोलन स्थानीय यात्राओं, सोलन से नगर परिषद नालागढ़ कार्यालय व वापिस सोलन शासकीय यात्राएं।
10	6.12.2008	–यथोपरि–	110 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।

11	16.12.2008	–यथोपरि–	112 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।
12	24.12.2008	–यथोपरि–	90 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।
13	27.12.2008	–यथोपरि–	101 कि0मी0	सोलन से षिमला व वापसी सोलन शासकीय यात्राएं।
14	2.2.2009	–यथोपरि–	37 कि0मी0	स्थानीय सोलन में विभिन्न शासकीय यात्राएं।
15	3.2.2009	–यथोपरि–	94 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापिस सोलन तथा सोलन में स्थानीय यात्राएं (सभी शासकीय यात्राऐं)।
16	5.2.2009	–यथोपरि–	16 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राएं सोलन में
17	7.2.2009	–यथोपरि–	40 कि0मी0	–यथोपरि–
18	13.2.2009	–यथोपरि–	25 कि0मी0	–यथोपरि–
19	25.2.2009	–यथोपरि–	141 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व परवाणु से बद्दी तथा वापिस सोलन शासकीय यात्राएं।
20	2.3.2009	–यथोपरि–	34 कि0मी0	सोलन में सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
21	9.3.2009	–यथोपरि–	52 कि0मी0	–यथोपरि–
22	15.6.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
23	24.6.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
24	25.6.2008	–यथोपरि–	24 कि0मी0	–यथोपरि–
25	26.6.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–

26	27.6.2008	–यथोपरि–	24 कि0मी0	–यथोपरि–
27	28.6.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
28	1.8.2008	–यथोपरि–	8 कि0मी0	–यथोपरि–
29	2.8.2008	–यथोपरि–	41 कि0मी0	–यथोपरि–
30	28.8.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
31	10.9.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सोलन एवं राजस्व पटवारी	13 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से राजस्व कार्यालय चम्बाघाट एवं वापिस नगर परिषद कार्यालय।
32	9.10.2008	–यथोपरि–	12 कि0मी0	सभी शासकीय स्थानीय यात्राऐं सोलन में।
33	19.10.2008	–यथोपरि–	32 कि0मी0	लॉग बुक में यात्राओं का उल्लेख नहीं है।
34	19.11.2008	सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व सैनेटरी स्टाफ	49 कि0मी0	सोलन व सलोगड़ा में सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
35	20.11.2008	श्री आर0के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	33 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
36	26.11.2008	–यथोपरि–	53 कि0मी0	–यथोपरि–
37	27.11.2008	–यथोपरि–	14 कि0मी0	–यथोपरि–
38	28.11.2008	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
39	8.12.2008	–यथोपरि–	25 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं एवं कथेड़ तथा वापिस सोलन।
40	18.12.2008	–यथोपरि–	16 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
41	20.12.2008	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
42	26.12.2008	–यथोपरि–	35 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से

				सलोगड़ा व वापिस (दो फेरे) तथा सभी यात्राऐं शासकीय।
43	30.12.2008	–यथोपरि–	26 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन व सलोगड़ा तथा वापिस सोलन।
44	31.12.2008	–यथोपरि–	15 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
45	20.2.2009	–यथोपरि–	7 कि0मी0	–यथोपरि–
46	28.2.2009	–यथोपरि–	14 कि0मी0	–यथोपरि–
		d|y ;kx	2595 fd0eh0	
47	27.10.2008	श्री एम0एल0 ठाकुर अतिरिक्त सहायक अभियन्ता	6 कि0मी0	सोलन में स्थानीय शासकीय यात्राऐं ।
48	7.11.2008	–यथोपरि–	143 कि0मी0	सोलन से षिमला शासकीय यात्राऐं व वापिस सोलन।
49	15.11.2008	–यथोपरि–	123 कि0मी0	सोलन से षिमला, कसुम्पटी नगर निगम षिमला कार्यालय शासकीय यात्राऐं व वापिस सोलन।
50	17.12.2008	–यथोपरि–	12 कि0मी0	सोलन में स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
51	23.12.2008	–यथोपरि–	16 कि0मी0	–यथोपरि–
52	3.1.2009	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
53	16.1.2009	–यथोपरि–	10 कि0मी0	–यथोपरि–
54	29.1.2009	–यथोपरि–	118 कि0मी0	सोलन से षिमला शासकीय कार्य हेतु यात्रा व वापिस सोलन तथा सोलन से खुंडीधार शासकीय यात्रा व वापिस सोलन।
55	12.2.2009	–यथोपरि–	9 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से सर्विस स्टेषन बसाल व

				वापिस नगर परिषद कार्यालय।
56	18.2.2009	—यथोपरि—	22 कि0मी0	सोलन से स्थानीय शासकीय यात्राएं।
		d|y ;kx	482 fd0eh0	
57	20.8.2008	श्री के0डी0 शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	5 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से टैंक रोड व वापिस नगर परिषद कार्यालय
		d|y ;kx	5 fd0eh0	

;k=kvk dk d|y ;kx %&

¼1½	Jh vkj0 d0 x|rk] lgk;d vfHk;Urk	2595 fd0eh0
¼2½	Jh ,e0 ,y0 Bkd|j vfrfjDr lgk;d vfHk;Urk	482 fd0eh0
¼3½	Jh d0 Mh0 'kek dfu"B vfHk;Urk	5 fd0eh0
	d|y ;kx	3]082 fd0eh0

अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3.2010 द्वारा भी उठाया गया था जिसमें संयुक्त निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेश का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया था कि अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद वाहन का उपयोग बहुत बार उन पदाधारियों द्वारा भी किया गया है जो कि उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार नगर परिषद के वाहन का प्रयोग करने के सुपात्र नहीं है तथा यदि इन पदाधारियों को इस सुविधा हेतु सुपात्र धोषित करने सम्बन्धी कोई अन्य अनुदेश है तो उक्त अनुदेषों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा अनाधिकृत होने के

कारण इन यात्राओं को निजि यात्राएं मानते हुए वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो उपरोक्त पदाधारियों के नगर परिषद के वाहन का प्रयोग करने हेतु सुपात्र घोषित करने सम्बन्धी किसी अनुदेषों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई और न ही इन अनाधिकृत यात्राओं सम्बन्धी किसी पदाधारी से कोई वसूली की गई।

अतः 3082 किलोमीटर यात्राओं की वसूली कृत यात्राओं को निजि यात्राऐं मानते हुए ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रत्येक पदाधारी से करके ₹16,951.00 नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ l{ke ikf/kdkjh dh Lohd`fr ikIr fd, fcuk okgu dk vukf/kd`r i:;kx dju: o'k ₹22-149-00 dk vi0;; ½&

संयुक्त निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या यू0डी0–एच(सी)– (10)–9/2002–10147–10198, दिनांक 15.9.2007 के अनुसार नगर परिषद के वाहन के प्रयोग हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी/षासी निकाय सक्षम है

inuke	jkT; d: Hkhrj	jkT; d: ckgj
कार्यकारी अधिकारी/सचिव	सम्बन्धित निकाया का प्रधान अथवा यात्रा स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी।	निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष।
प्रधान/उप–प्रधान/पार्षद	सदन की अनुमति।	निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष।

नगर परिषद, सोलन के वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 (मोहेन्द्रा बोलैरों एस0एल0एक्स) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त पैरा संख्या 8(ख) में वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त नगर परिषद के वाहन हेतु सुपात्र निम्न पदाधारियों ने शासकीय वाहन का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी/षासी निकाय की अनुमति प्राप्त किए हुए किया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

Ø0	fnukd ftl fnu	okgu i:;kx dju: oky:	d:y ;k=k fd0eh0	;k=k dk i:;k:tu o LFkkuk: dk l:f{kIr o.k:u

l0	okgu iz;kx fd;k x;k	ink/kkjh dk uke@inuke	e	tgk&tgk 'kkldh; okgu e ;k=k,a dh xbZ
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1	4.7.2008	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी व श्री आर0 के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	116 कि0मी0	सोलन से परिमहल षिमला व वापिस माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से बैठक के सन्दर्भ में।
2	12.9.2008	–यथोपरि– तथा कनिष्ठ अभियन्ता (लॉग बुक में नाम नहीं दिया है)	105 कि0मी0	सोलन से षिमला, षिमला से स्थानीय यात्राऐं एवं वापसी सोलन (षासकीय यात्राएं)।
3	25.10.08	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	130 कि0मी0	सोलन से शहरी विकास निदेषालय, षिमला एवं वापसी शासकीय यात्रा।
4	28.10.08	–यथोपरि–	103 कि0मी0	–यथोपरि–
5	15.12.08	–यथोपरि–	115 कि0मी0	सोलन से हिमाचल प्रदेश सचिवालय षिमला व वापिस सोलन शासकीय कार्य के सम्बन्ध में।
6	15.12.08	–यथोपरि–	81 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापिस सोलन–शासकीय कार्य।
7	9.1.2009	–यथोपरि–	115 कि0मी0	सोलन से षिमला व वापिस तथा सोलन में स्थानीय यात्राएं (सभी शासकीय यात्राएं)।

8	13.1.2009	–यथोपरि–	119 कि0मी0	–यथोपरि–
9	17.1.2009	–यथोपरि–	125 कि0मी0	सोलन से स्थानीय यात्रा व षिमला तथा वापिस सोलन एव् सोलन में स्थानीय यात्रा (सभी शासकीय यात्राएं)।
10	10.2.2009	–यथोपरि–	81 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापसी सोलन शासकीय यात्राएं।
11	जून 2008 से मार्च 2009 तक छुटपुट स्थानीय शासकीय यात्राएं	–यथोपरि–	2,627 कि0मी0	नगर परिषद द्वारा वाहन क्रय करने से 31.3.2009 तक कार्यकारी अधिकारी द्वारा कृत स्थानीय शासकीय यात्राओं की सूची बहुत लम्बी होने के कारण इन यात्राओं में संलिप्त किलोमीटरों का कुल योग स्तम्भ संख्या (4) में दिया गया है।
		d|y ;kx	3]717 fd0eh0	
12	30.6.08	श्री देवेन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष नगर परिषद	47 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
13	16.9.08	–यथोपरि–	21 कि0मी0	–यथोपरि–
14	29.11.08	–यथोपरि–	41 कि0मी0	सोलन से डगषाई–कोटला नाला–राजगढ़ रोड व वापिस नगर परिषद कार्यालय शासकीय यात्राएं।
15	30.11.08	–यथोपरि–	9 कि0मी0	स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन

				में।
16	5.1.2009	–यथोपरि–	32 कि0मी0	सभी शासकीय यात्राऐं स्थानीय सोलन में।
17	22.1.2009	–यथोपरि–	58 कि0मी0	यथा विवरण पृष्ठ–14 (लॉग बुक) सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
18	23.1.2009	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
19	26.1.2009	–यथोपरि–	18 कि0मी0	–यथोपरि–
20	28.1.2009	–यथोपरि–	36 कि0मी0	–यथोपरि–
21	22.2.2009	–यथोपरि–	33 कि0मी0	यथा लॉग बुक के पृष्ठ–16 पर वर्णित सभी शासकीय यात्राएं स्थानीय सोलन में।
		dqy ;ksx	310 fd0eh0	

;k=kvksa dk dqy ;ksx %&

¼1½	Jh noUnz Bkdqj v/;{k] uxj ifj"kn	310 fdyksehVj
¼2½	Jh vtsj flag Bkdqj] dk;Zdkjh vf/kdkjh] uxj ifj"kn	3]717 fdyksehVj
	dqy ;ksx	4]027 fdyksehVj

संयुक्त निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेश का उल्लेख करते हुए यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3.2010 द्वारा उठाया गया था किन्तु उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुरूप उपरोक्त यात्राओं में स्वीकृति की अपेक्षा नगर परिषद

कार्यालय द्वारा सम्बन्धित वाहन के पृष्ठ संख्या 39 पर नगर परिषद के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र/उद्दघोषणा अंकित की जो कि इस प्रकार है :–

"The vehicle No HP-14A-5030 was used by the Chairman/Officers/Officials and elected members w.e.f. 12-6-2008 to 31-1-2010. The journey performed by the above officials is hereby sanctioned"

चूंकि उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र/उद्दघोषणा संयुक्त निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेषों की न तो अनुपालना है और न ही किसी अवस्था में विनिर्दिष्ट (Specific) है, अतः इसे कृत यात्राओं की स्वीकृति किसी भी अवस्था में नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त कृत यात्राओं के सन्दर्भ में विस्तृत कार्योत्तर स्वीकृति उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुरूप प्राप्त कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए अन्यथा इन यात्राओं को अनाधिकृत करार देते हुए निजि यात्राएं माना जाए व 4,027 किलोमीटर की वसूली सम्बन्धित पदाधारियों से ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल वसूली ₹22,148.50 अर्थात ₹22,149.00 करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में नगर परिषद वाहन मे कृत यात्राओं के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति समय रहते ही प्राप्त करना सुनिष्चित किया जाए ताकि नगर परिषद के वाहन के प्रयोग में प्रभावषाली नियन्त्रण सुनिष्चित हो सके।

¼?k½ <u>okgu iz;ksx djus okys inkf/kdkfj;ksa }kjk ykWx cqd esa d`r ;k=kvksa dk lR;kiu u djuk</u> ½&

वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 (मोहेन्द्रा बोलैरों एस0एल0एक्स) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि लॉग बुक में निम्न विवरणानुसार उक्त वाहन निम्न तालिका में दर्षाए गए पदाधारियों द्वारा प्रयोग किया गया दर्षाया गया है। किन्तु इस सन्दर्भ में इन सम्बन्धित पदाधारियों द्वारा इन यात्राओं से सम्बन्धित लॉग बुक में कृत प्रविष्टियों का अपेक्षित सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बिना लॉग बुक में की गई प्रविष्टियों प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती :–

Ø0 la0	fnukad	okgu iz;ksx djus okys inkf/kdkjh dk uke@inuke	dqy ;k=k fd0eh0 esa	;k=k dk iz;kstu o LFkkuksa dk laf{kIr fooj.k tgka&tgka ;k=k,a dh xbZ gSa
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½

1	15.6.2008	श्री आर0 के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता	23 कि0मी0	सोलन से देवघाट व स्थानीय यात्राएं कार्य निरीक्षण के सन्दर्भ में।
2	21.6.2008	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	23 कि0मी0	सोलन से देवघाट व स्थानीय यात्राऐं कार्य निरीक्षण के सन्दर्भ में।
3	22.10.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता	133 कि0मी0	सोलन से हिमाचल प्रदेश सचिवालय, षिमला विकास नगर, शहरी विकास कार्यालय व वापिस सोलन शासकीय कार्य हेतु।
		dqy ;ksx	179 fd0eh0	

यह प्रकरण नगर परिषद कार्यालय से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3.2010 द्वारा भी उठाया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त प्रवृति के प्रकरणों के सन्दर्भ में लॉग बुक में दर्षाई गई यात्राओं का सत्यापन सम्बन्धित पदाधारियों से करवाया जाए अन्यथा इन दर्षाई गई यात्राओं को निजि यात्राएं मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण कर वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित की जाए। किन्तु उपरोक्त प्रकरणों के सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अपेक्षित कार्रवाई अब अमल में लाकर अंकेक्षण से सत्यापन करवाया जाए, अन्यथा उपरोक्तानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाते हुए 179 किलो मीटर की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ₹984.50 अर्थात ₹985.00 सुनिष्चित की जाए व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼3½ ykWx cqd esa ;k=kvksa dh QthZ izfof"V;ka ½&

वाहन संख्या एच0पी0–14–3785 (डम्पर प्लेसर) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन में माह 3/2007 में कुल 363 लीटर डीज़ल डाला गया तथा इस सारे के सारे डीज़ल की खपत माह 3/2007 में ही की गई जैसा की उक्त वाहन की Out turn की गणना करते हुए दर्षाया गया है। अतः इस गणना के अनुसार 31.3.2007 को वाहन में डीज़ल बिल्कुल समाप्त हो गया था तथा इस वाहन में दिनांक 2.4.2007 को 81 लीटर डीज़ल डाला गया जैसा कि उक्त लॉग बुक में एत्सम्बन्धी कृत प्रविष्टि के अवलोकन से विदित होता है। लॉग बुक में कृत प्रविष्टियों के अनुसार यह वाहन दिनांक 1.4.2007 को 60 किलोमीटर चला है जो कि उपरोक्त

प्रविष्टियों के अनुसार किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं है क्योंकि जब 1.4.2007 को वाहन में डीज़ल ही नहीं था तो वाहन बिला डीज़ल से उस दिन 60 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है।

अतः स्पष्ट हे कि इस प्रकरण में लॉग बुक में वाहन के दिनांक 1.4.2007 को 60 किलोमीटर चलने सम्बन्धी कृत प्रविष्टियां प्रामाणिक न होकर मिथ्या (Fake) हैं। चूंकि इस वाहन की डीज़ल खपत 6 किलोमीटर हेतु एक लीटर निर्धारित है अतः 60 किलोमीटर की मिथ्या प्रविष्टियों के सन्दर्भ में 10 लीटर डीज़ल की कीमत की वसूली के अतिरिक्त दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कपटपूर्ण तरीके (fraudulent way) से कार्य करनेवश नियमानुसार अनुषासनात्मक कार्रवाई भी अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 vfxze jkf'k %&

नगर परिषद द्वारा विभिन्न संस्थाओं व अपने कर्मचारियों को विभिन्न उद्देष्यों हेतु दिए गए अग्रधन में से दिनांक 31.3.2009 को यथा विवरण परिशिष्ट 'ञ' ₹7,81,408.00 की राशि असामायोजित पड़ी थी जिनमें से ₹7,14,858.00 की राशि उन विभिन्न संस्थओं के पास असामायोजित पड़ी थी जिनसे नगर परिषद कार्यालय निर्माण सामग्री खरीदता है अथवा उनकी सेवाएं अन्य कार्य हेतु लेता है, जबकि ₹66,550.00 की राशि परिषद के अपने ही कर्मचारियों के पास वर्ष 1999 से 31.3.2009 तक पड़ी हैं परिशिष्ट के अवलोकन से विदित होता है कि न तो नगर परिषद कार्यालय उन संस्थाओं के साथ खातों का मिलान करता है जिनसे निर्माण सामग्री खरीदी जाती है क्योंकि इन संस्थाओं के पास भी असामायोजित राशि वर्ष 2005–2006 से 31.3.2009 तक पड़ी है और न ही अपने कर्मचारियों के पास पड़ी असामायोजित राशि के समायोजन के प्रति गम्भीर है क्योंकि उनके पास तो यह राशि वर्ष 1999 से लम्बित चली आ रही है।

अतः उपरोक्त असामायोजित राशि का समायोजन यथाषीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए तथा जिन कर्मचारियों के पास असामायोजित राशि पड़ी है उन्हें आगामी अग्रिम केवल गत अग्रिमों के समायोजन के पष्चात ही स्वीकृत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

10 iSU'ku ys[kk %&

¼d½ iU'ku ,o xP;Vh fuf/k e ₹75]56]527-00 dk v'knku foHkkxh; iHkkj d :i e u djuk ¼&

हिमाचल प्रदेश म्युन्सिपल कर्मचारी (पैन्षन ग्रैच्यूटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2000 जो कि दिनांक 25.4.2000 को अधिसूचित हुए हैं के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद/पंचायत को अपने स्वीकृत बजट का 1 प्रतिषत हिस्सा बतौर विभागीय प्रभार पैन्षन एंव ग्रैच्यूटी निधि मे निवेष करना अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा यह अपेक्षित निवेश वर्ष 2000–2001 से अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया जबकि यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19, दिनांक 8.2.2010 द्वारा भी उठाया गया था।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए बजट सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार पैन्षन एवं ग्रैच्यूटी फंड में नगर परिषद कार्यालय द्वारा निवेश की जाने वाली राशि निम्न गणनानुसार वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2009–2010 तक ₹75,56,527.00 बनती है, जिसका निवेश समबन्धित खाते में यथाषीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाए जाने के अतिरिक्त उक्त निवेश अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–बी(1)–1/79–III दिनांक 25.4.2000 के अधिसूचित होने से अद्यतन न किए जाने के ठोस कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए

Ø0 l0	o"kZ	Lohd`r ctV	1% foHkkxh; iHkkj	dqy jkf'k ¼**Progressive Total**½
1	2000–2001	2,90,86,831.00	2,90,868.00	2,90,868.00
2	2001–2002	3,42,37,430.00	3,42,374.00	6,33,242.00
3	2002–2003	3,90,56,569.00	3,90,566.00	10,23,808.00
4	2003–2004	4,75,94,174.00	4,75,941.00	14,99,749.00
5	2004–2005	5,25,32,207.00	5,25,322.00	20,25,071.00
6	2005–2006	5,59,93,064.00	5,59,931.00	25,85,002.00

7	2006—2007	7,60,47,600.00	7,60,476.00	33,45,478.00
8	2007—2008	8,58,09,462.00	8,58,095.00	42,03,573.00
9	2008—2009	13,05,37,727.00	13,05,377.00	55,08,950.00
10	2009—2010	20,47,57,738.00	20,47,577.00	75,56,527.00

[(₹75,56,527.00) पच्चतर लाख छप्पन हज़ार पांच सौ सताईस रुपये मात्र]

¼[k½ <u>fgekpy izns'k flfoy lsok va'knk;h isa'ku fu;e] 2006 dh vogsyuk esa isa'ku ,oa xzSP;qVh fuf/k esa fu;ksDrk va'knku dk ₹4]28]676-00 dk vfHknku</u> ¼&

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंषदायी पैंषन नियम, 2006 के नियम 4(1) तथा 4(2) के अनुसार जो कर्मचारी 15.5.2003 तथा इस तिथि के उपरान्त नियुक्त हुए हैं, उनसे उनके मूल वेतन + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ते + एन0पी0ए0 का 10% हिस्सा अंषदाई पैंषन स्कीम में मासिक अभिदान किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक कर्मचारी, जो स्कीम के लिए अभिदान करता है के लिए राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक मास कर्मचारी के अभिदान के बराबर का अभिदान किया जाना अपेक्षित है। इसी नियम के नियम 4(3) के अनुसार अंषदायी पैंषन स्कीम हेतु अभिदाय प्रत्येक मास कर्मचारियों के वेतन से वसूल किया जाना अपेक्षित है जिस प्रकार कि सामान्य भविष्य निधि हेतु अभिदाय किया जाता है।

किन्तु नगर परिषद कार्यालय सोलन के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2007 में आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के उपरान्त भी उपरोक्त नियमों के नियम (25) के अनुपालना में कर्मचारियों से सेवा में पद ग्रहण करने के आगामी मास के वेतन से न तो अभिदाय की कटौती की गई और न ही उक्त अभिदाय के समरूप शासकीय अभिदाय उक्त निधि में किया गया । इसकी बजाए नगर परिषद कार्यालय द्वारा पैंषन एवं् ग्रैच्यूटी फंड मे क्रमशः 12 व 15 प्रतिषत का अभिदान केवल नियोक्ता हिस्सा के रूप में उपरोक्त कर्मचारियो ंके नियमित पद ग्रहण करने की तिथि से माह अक्तूबर 2007 से माह जुलाई 2008 तक किया जाता रहा तथा उक्त अभिदान के बराबर का हिस्सा किसी भी कर्मचारी से नहीं काटा गया।

इस प्रकरण में अंकेक्षण के दौरान चर्चा की अनुपालना में नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त अवधि में त्रुटिपूर्वक पैंषन एवं ग्रैच्यूटी फंड में खाता संख्या 55080127661 में किए गए कुल अभिदान को वापिस नगर परिषद के खाता संख्या 55080123350 में चैक संख्या 659162, दिनांक 6.6.2010 द्वारा हस्तांतरित किया गया तथा उपरोक्त दोनों संचालनों (Transactions) व एत् सम्बन्धी गणना की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

किन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंषदायी पैंषन नियम 2006 के नियम (25) की अनुपालना में कर्मचारियों के पद ग्रहण करने के मास से आगामी मास से अंकेक्षण की समाप्ति तक भी लागू नहीं किया गया। अतः उपरोक्त नियम की अनुपालना से अपेक्षित कार्यवाही अब करके अंषदायी पैन्षन स्कीम में मासिक अभिदाय उपरोक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण के आगामी मास से नियोक्ता अभिदाय सहित किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 ijku vfu.khr ijk ij dkjokbl %&

नगर परिषद सोलन के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट निर्णीत/अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति यथा परिशिष्ट 'ट' पर है जिसके अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि नगर परिषद कार्यालय पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे में गम्भीर नहीं है। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13, दिनांक 17.11.2009 तथा 02, दिनांक 02.01.2010 व 37, दिनांक 22.3.2010 द्वारा अनुरोध के बावजूद भी बहुत कम अनिर्णीत पैरों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान सम्भव हो सका क्योंकि नगर परिषद कार्यालय की पुराने अनिर्णीत पैरों के सन्दर्भ में अनुपालना ही बहुत कम थी। इस कारण नगर परिषद के अनिर्णीत पैरों की संख्या में उतरोतर वृद्धि हो रही है। यहां तक कि नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से वसूली सम्बन्धी पैरे भी अनिर्णीत पड़े हैं क्योंकि इन पर या तो कार्यवाही की ही नहीं गई अथवा जिन प्रकरणों में कार्यवाही हुई है वह भी पूर्ण न होने के कारण आंषिक रूप से ही निर्णीत हो सके। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों से वसूली सम्बन्धी कोई भी पैरा वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत नहीं हुआ क्योंकि ऐसे किसी भी पैरे पर कोई भी कार्यवाही कार्यालय द्वारा नही की गई थी।

अतः पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय का रवैया परिषद के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि अधिक से अधिक पुराने अनिर्णीत पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

12 <u>y/kq vkifÙk foojf.kdk</u> %& इसे पृथकता से जारी नहीं किया गया क्योंकि लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था।

13 <u>fu"d"kZ</u> %& लेखों में विषेष सुधार की आवष्यकता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों के निपटारे की ओर भी विषेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद के बढ़ते कार्यकलापों के फलस्वरूप बढ़ती हुई आय और व्यय तथा निरन्तर बढ़ती जा रही अंकेक्षण आपत्तियों व नगर परिषद के इन अंकेक्षण आपत्तियों के प्रति उदासीन रवैये के कारण नगर परिषद में प्री–ऑडिट प्रणाली लागू करेन के प्रति विचार किए जाने की नितान्त आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(4)/73-Fin(L.A)-Vol-II, दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेंजें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuwi dqekj½